विषय सूची

क्र० स०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	2-3
2	रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग का परिदृश्य	4-35
3	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	36-42
4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	43-48
5	स्वायत्त संस्थान	49-58
6	सामान्य प्रशासन	59-63

क्र० स०	अनुबंध	पृष्ठ संख्या
I.	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज 2011-12	64-90
II.	उत्पाद-वार स्थापित क्षमता और प्रमुख रसायनों का उत्पादन	91-98
III.	उत्पाद-वार स्थापित क्षमता और प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन	99-103
IV.	संगठन चार्ट	104

अध्याय – I

1.0 प्रस्तावना

1.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) का उधेश्य है:

(i) देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना; और

(ii) उद्योग के उपर्युक्त वर्णित सेक्टरों के चतुर्दिक विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का माहौल बनाना।

1.2 विभाग को निम्नांकित व्यापक विषय–वस्तुओं से संबंधित कार्य को निष्पादित कराना है–

i. कीटनाशी अधिनियम, 1968 (46 का 1968) के प्रशासन को छोड़कर कीटनाशक;

ii. मोलासिस;

iii. मोलासिस मार्ग से अल्कोहल–औद्योगिक और पेय;

iv. डाईस्टफ और डाई मध्यवर्ती;

v. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को नहीं सौंपे गए हों;

vi. विभाग द्वारा देखे जा रहे सभी उद्योगों का नियोजन, विकास, नियंत्रण और उनकी सहायता;

vii. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी – उससे संबंधित विशेष कानून;

viii. पेट्रोरसायन;

ix. गैर–सेल्युलोज सिंथेटिक फाइबर, (नाइलोन, पॉलिस्टर, एक्रीलिक इत्यादि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग;

x. सिंथेटिक रबड़; और

xi. प्लास्टिक के फेब्रिकेशन सहित प्लास्टिक और मोल्डिड गुड्स।

1.3 विभाग के दो कार्यात्मक प्रभाग हैं – रसायन और पेट्रोरसायन। रसायन सेक्टर में दो पीएसयूज, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि0 (एचओसीएल) तथा हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि0 (एच आई एल) हैं और पेट्रोरसायन क्षेत्र में एक पीएसयू, अर्थात ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लि0 हैं। इस विभाग के अधीन सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) और इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) नामक स्वायत्त संस्थान हैं जिनको इस विभाग द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाता है।

1.4 श्री एम. के अलागिरी और श्री श्रीकांत कुमार जेना कमशः रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री और राज्य मंत्री हैं। श्री के0 जोस सिरिक 31 अक्तूबर, 2012 तक इस विभाग के सचिव थे। 07 जनवरी, 2013 को श्री इंद्रजीत पाल ने सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

1.5 रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग परिणाम रूंपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) के माध्यम से अपने लक्ष्यों को चिन्हित व कार्य निष्पादन की निगरानी कर रहा है। वर्ष 2011–12 के लिए आरएफडी विभाग के अंदर व मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रभाग द्वारा गठित तदर्थ टास्क फोर्स के साथ वृहत परिचर्चा के उपरांत अंतिम रूंप दिया गया था। 2011–12 आरएफडी की प्रति अनुबंध I पर संलग्न है। आरएफडी 2011–12 के द्वारा पूरा किए जाने वाले महत्वपूर्ण लक्ष्य/कार्यवाही में राष्ट्रीय रसायन नीति, इंडिया केम गुजरात का आयोजन, पीसीपीआईआर का अनुमोदन व प्रसार, असम गैस क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन, सिपेट के माध्यम से प्लास्टिक क्षेत्र का विकास, राष्ट्रीय पेट्रो–रसायन नीति का क्रियान्वयन, भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए समन्वय शामिल है, साथ ही, विभाग की सेवा को सुधारने, लेखा तंत्र के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे कतिपय अनिवार्य सूचक भी इसमें शामिल हैं।

1.6 विभाग के कार्य निष्पादन की सरकार के कार्य निष्पादन संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा समीक्षा की गई है और विभाग ने 89.56 समेकित अंक प्राप्त किए हैं।

अध्याय – II

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग का परिदृश्य

रसायन उद्योग का परिदृश्य

2.1 रसायन उद्योग, जिसमें मूल रसायन एवं इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेंट्स एवं वार्निश, गैस, साबुन, परफ्यूम एंव टॉयलेटरीज और औषध शामिल हैं, सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे अधिक विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है जिसमें हजारों वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.2 वर्तमान में भारत में घरेलू औद्योगिक क्रिया–कलापों में रसायन एवं पेट्रो–रसायन क्षेत्र की 14% हिस्सेदारी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में पेट्रो–रसायन और रसायन की वृद्धि क्रमशः 12.6% और 10% होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन (UNIDO) के अनुसार, 2000 के स्थिर मूल्यों पर, भारत का रसायन क्षेत्र एवं पेट्रो–रसायनों का विश्व में भाग के रूप में 6वां स्थान तथा एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। औद्योगिक संघों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 में भारतीय रसायन उद्योग का आकार 108.4 बिलियन यू.एस डॉलर था।

रसायन क्षेत्र – उत्पादन रूंझान

2.3 रसायन उद्योग देश के पुराने उद्योगों में शामिल है और देश के औद्योगिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह विभिन्न अंतिम उत्पादों जैसे वस्त्र कागज, पेंट व वार्निश, चमड़ा आदि जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक हैं, के लिए महतवपूर्ण रसायन प्रदान करता है। भारतीय रसायन उद्योग भारत में औद्योगिक एवं कृषि विकास का आधार स्तम्भ है और डाऊंन स्ट्रीम उद्योगो के लिए आधारशिला प्रदान करता है।

2.4 भारतीय रसायन उद्योग में छोटे और वृहत स्तरीय इकाइयां दोनों हैं। आठवें दशक के मध्य में लघु स्तरीय क्षेत्र को दी गई वित्तीय रियायतों के फलस्वरूप लघु स्तरीय उद्योग क्षेत्र में भारी संख्या में उद्योग स्थापित हुए। वर्तमान में, भारतीय रसायन उद्योग पुर्नसंरचना व समेकन के चरण में है। उत्पाद नवोन्मेषण, ब्रांड निर्माण एवं पर्यावरण अनुकूलन पर विशेष बल दिए जाने के कारण यह उद्योग अधिक ग्राहकोन्नमुख हो रहा है। हालांकि भारत में मूल कच्ची सामग्री की प्रचुर मात्रा

में आपूर्ति उपलब्ध है किंतु देश में तकनीकी सेवाएं व मार्केटिंग क्षमता को सुदृढ़ करना है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके व निर्यात में हिस्सेदारी में वृद्धि हो।

2.5 नब्बे के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था संरक्षित अर्थव्यवस्था थी, अतः बौद्धिक सम्पदा के सृजन के लिए रसायन उद्योग द्वारा बहुत कम वृहद् आर एंड डी आरंभ किया गया था। जनवरी, 2005 से उत्पाद पेटेंट अस्तित्व में आया। तदनुसार, यूनिटों को अत्यधिक नवोन्मेषी होना होगा और अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास संस्थापन होने चाहिए। इससे नए मोलिक्विल्स के विकास में मदद मिलेगी। भारत में अनेक वैज्ञानिक संस्थान हैं और देश की क्षमता इसके उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिक जनशक्ति पर निर्भर करती है।

2.6 भारत भारी मात्रा में उत्कृष्ट और विशिष्ट रसायनों का उत्पादन करता है जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है जिनका प्रयोग खाद्य संयोजी, पिगमेंट्स, पोलीमर संयोजी और रबड़ उद्योग आदि में ऑक्सीडेंट रोधी के रूंप में होता है।

2.7 रसायन सेक्टर में, 100% एफ डी आई अनुमत्य होता है। अधिकांश रासायनिक उत्पादों का निर्माण अन्य बातों के साथ–साथ इसमें शामिल कार्बनिक/अकार्बनिक, रंजक पदार्थों और पेस्टिसाइड लाइसेंस मुक्त हैं। उद्यमियों को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के साथ केवल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) प्रस्तुत किए जाने की जरूंरत है बशर्ते कि स्थान संबंधी दृष्टिकोण लागू न हो। केवल निम्नलिखित मदें उनकी खतरनाक प्रकृति के कारण, अनिवार्य लाईसेंस सूची में शामिल हैं:

- हाइड्रोसायनिक एसिड और इसके व्युत्पाद
- फॉस्जीन और इसके व्युत्पाद
- आइसोसाइनेट्स और हाइड्रोकार्बन के डाय–आइसोसाइनेट्स

2.8 भारत में रंजक सेक्टर रसायन उद्योग का एक प्रमुख भाग है जिसमें अनेक सेक्टरों जैसे कपड़ा, चर्म, कागज, प्लास्टिक, मुद्रण की स्याही और खाद्य पदार्थ शामिल हैं। कपड़ा उद्योग में रंजक पदार्थों की खपत का सबसे बड़ा लगभग 70% भाग बनता है। 1950 के दशक में आयातकर्ता और वितरक होने वाला यह उद्योग आज बहुत सबल उद्योग और प्रमुख विदेशी मुद्रा कमाने वाला बन गया है। भारत रंजक और रंजक पदार्थों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन गया है विशेषकर रिएक्टिव, एसिड, वैट और डायरेक्ट डाईज के मामले में अग्रणी है। जहां तक रंजकों के वैश्विक उत्पादन का संबंध है, भारत का विश्व उत्पादन में लगभग 7% योगदान है।

2.9 रासायनिक उर्वरकों के अलावा, पेस्टीसाइड्स ने 1960 और 1970 के दशक में 'हरित क्रांति' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गत पाँच वर्षों में भारतीय कृषि रसायनों ने निर्यात में खासी वृद्धि दिखाई है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, मलेशिया और सिंगापुर प्रमुख निर्यात गंतव्य बाजार हैं। घरेलू रूप से 60 से अधिक तकनीकी ग्रेड के कीटनाशकों के निर्माण के कारण भारत विश्व के सर्वाधिक गतिशील कीटनाशी निर्माताओं में से एक है।

2.10 रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग ने राष्ट्रीय रसायन नीति तैयार किया है जिसे विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है ताकि विभिन्न स्टेकधारकों की टिप्पणी प्राप्त हो सके। विधिवत अनुमोदनों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि भविष्य में रसायन क्षेत्र की प्रगति हो सके।

2.11 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण(एनआईसी) 2004 के अनुसार रसायन एवं रसायनिक उत्पाद औद्योगिक समूह 24 के अधीन शामिल हैं। इस समूह के अधीन उत्पाद समूहों का विवरण तालिका–I में दिया गया है।

तालिका I – उत्पाद समूह का विवरण

श्रेणी	विवरण
2411	उर्वरक नाइट्रोजन कंपाउन्ड को छोड़कर मूल रसायनों का विनिर्माण
2412	उर्वरक व नाइट्रोजन कंपाउन्ड का विनिमार्ण
2413	प्राथमिक रूप व सिंथेटिक रबड़ से प्लास्टिक का विनिमार्ण
2421	कीटनाशक एवं अन्य कृषि रसायनों उत्पादों का विनिर्माण
2422	पेंट, वार्निश एवं समान कोटिंग्स, प्रिंटिंग स्याही एवं मास्टिक्स का विनिर्माण
2423	साबुन एवं डिटर्जेंट, क्लीनिंग एवं पॉलिशिंग तैयारी, परफ्यूम एवं टायलेट प्रीपरेशन का विनिर्माण
2424	दवाइयों मेडिसिनल रसायन एवं बायोटेनिकल उत्पादों का विनिर्माण
2429	अन्य रसायनिक उत्पादों का विनिमार्ण
2430	मानव निर्मित फाइबर का निमार्ण (इस श्रेणी में कृतिम व सिंथेटिक फिलामेंट एवं गैर–फिलामेंट फाइबर का विनिर्माण)

2.12 केंद्रीय सांखयिकी कार्यालय(सीएसओ) के अनुमानों के अनुसार, रसायन एवं रसायनिक उत्पाद क्षेत्र(एनआईसी 2004 का कोड 24) वर्ष 2009–10 में 2.27% की तुलना में वर्ष 2010–11 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.12% (2004–05 के मूल्य पर) था। वर्ष 2004–05 के मूल्य पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी वर्ष 2010–11 के दौरान 13.4% थी। इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2010–11 में विनिर्माण के लिए 7.6% की तुलना में 1.3% था और भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.4% था। इन क्षेत्रों

में वर्ष 2009–10 में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 18.3%, 9-7% एवं 8.4% था। सीएसओ के अनुमान के अनुसार, उत्पादन के मूल्य के रूंप में भारतीय रसायन उद्योग का आकार वर्ष 2010–11 में 4,80,618 करोड़ रुं0 था।

2.13 वर्ष 2006–07 से वर्ष 2011–12 और सितम्बर, 2012 तक के दौरान प्रमुख रसायनों का वार्षिक उत्पादन तालिका–II में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका–II: चुने हुए प्रमुख रसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार मी.टन)

क्षेत्र		उत्पादन						
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सितम्बर, १२ तक)
अल्कली रसायन	उत्पादन	5269	5443	5442	5602	5981	6113	2973
	वृद्धि दर (%)	-3.8	3.3	0	2.9	6.8	2.2	
अकार्बनिक रसायन	उत्पादन	602	609	513	518	572	574	267
	वृद्धि दर (%)	10.7	1.1	-15.8	1	10.5	0.4	
कार्बनिक रसायन	उत्पादन	1545	1552	1254	1280	1342	1396	656
	वृद्धि दर (%)	0	0.4	-19.2	2	4.9	4	
पेस्टिसाइड (तक०)	उत्पादन	98	102	105	104	111	120	60
	वृद्धि दर (%)	4.6	4.2	2.6	-1	6.7	8.4	
रंजक और रंजक पदार्थ	उत्पादन	90	117	110	149	164	171	86
	वृद्धि दर (%)	29.5	30.5	-6.5	35.8	10.5	4	
कुल प्रमुख रसायन	उत्पादन	7605	7823	7423	7651	8170	8374	4041
	वृद्धि दर (%)	-1.6	2.9	-5.1	3.1	6.8	2.5	

नोटः वृहत एवं मध्यम आकार के अंतर्गत विनिर्माताओं से मासिक उत्पादन रिटर्न पर आधारित उत्पादन समाहित है।

स्थापित क्षमता और उत्पादन का उत्पाद–वार और समूह–वार ब्यौरा अनुबंध–II में है।

2.14 तालिका–II से यह स्पष्ट है कि अल्कली रसायनों का उत्पादन प्रमुख रसायनों के कुल उत्पादन का 70% से अधिक है। रसायनों का उत्पादन 2010–11 में 8170 हजार एमटी की तुलना में वर्ष 2011–12 में 8374 हजार एमटी का और 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख रसायनों के उत्पादन का समान चित्र–I में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–I: प्रमुख रसायनों के उत्पादन का रुंझान

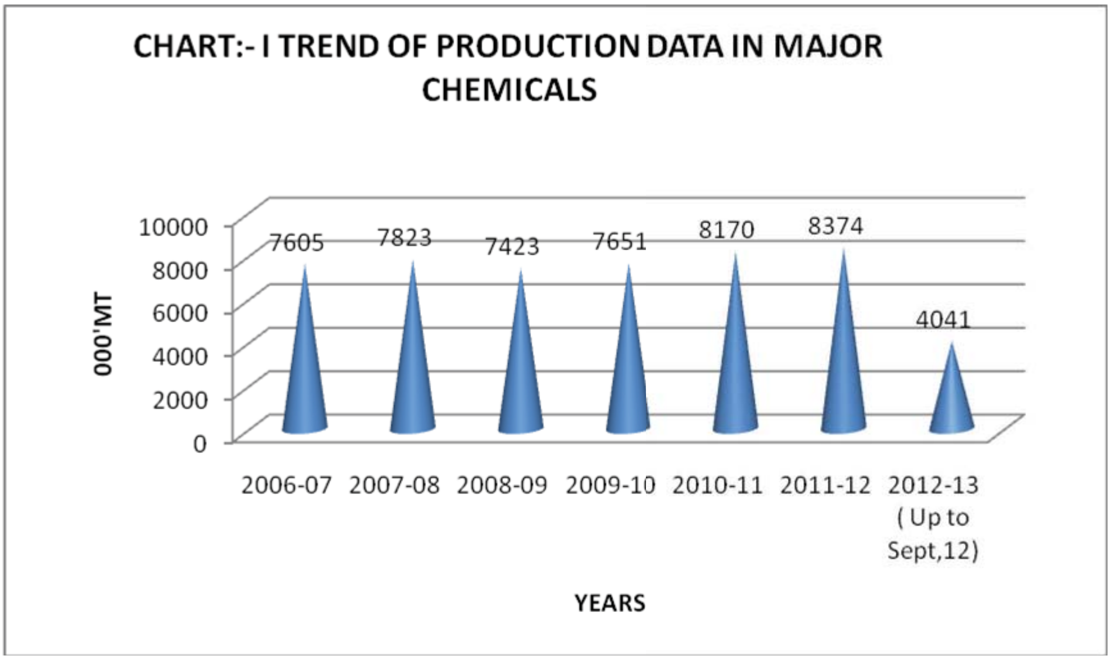

पेट्रोरसायन क्षेत्र – उत्पादन रुंझान

2.15 पेट्रोरसायन उद्योग में मुख्य रूंप से सिन्थेटिक फाइबर, पॉलीमर, एलास्टोमर्स, सिन्थेटिक डिटरजेन्ट मध्यवर्तियां और निष्पादन प्लास्टिक शामिल हैं। पेट्रो–रसायनों के लिए फीडस्टॉक और ईंधन का मुख्य स्त्रोत प्राकृतिक गैस और नाफ्था है। आज पेट्रोरसायन उत्पाद दैनिक प्रयोग के सभी क्षेत्रों में फैल गया है और जीवन के सभी क्षेत्रों में जैसे वस्त्र, गृहनिर्माण, निर्माण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, घरेलू मदें, खिलौनें, कृषि, बागवानी, सिंचाई, एवं चिकित्सकीय यंत्रों के पैकिंग आदि में इसका इस्तेमाल होता है।

2.16 देश में चार नाफ्था आधारित और इसी के समान गैस आधारित क्रैकर कॉम्पलेक्स है, और इनकी समग्र इथाइलिन वार्षिक क्षमता 3.75 मिलियन मीट्रिक टन है। इसके अतिरिक्त, 2.8 मिलियन एमटी की समग्र जाइलिन क्षमता के साथ चार एरोमेटिक परिसर हैं। वर्ष 2006–07 से 2011–12 के दौरान और वर्ष 2012 के सितम्बर तक मुख्य पेट्रो–रसायनों का वास्तविक उत्पादन तालिका –III में दिया गया है।

तालिका III: चुनिंदा प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार एमटी में)

समूह	उत्पादन / वृद्धि दर	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सितम्बर, १२ तक)
सिंथेटिक फाइबर	उत्पादन	2251	2524	2343	2600	2791	2697	1351
	वृद्धि दर (%)	18.1	12.1	-7.2	11	7.3	-3.4	
पोलिमर्स	उत्पादन	5183	5303	5061	4792	5292	6211	3198
	वृद्धि दर (%)	8.7	2.3	-4.6	-5.3	10.4	17.4	
इलास्टोमर्स (सिंथेटिक रबर)	उत्पादन	95	104	96	105	94	88	43
	वृद्धि दर (%)	4.4	9.5	-7.7	9.4	-10.5	-6.4	
सिंथेटिक डिर्टजेंट मध्यवर्ती	उत्पादन	556	585	551	618	639	623	305
	वृद्धि दर (%)	0	5.2	-5.8	12.2	3.4	-2.5	
परफारमेंस पलास्टिक	उत्पादन	132	156	140	172	192	183	96
	वृद्धि दर (%)	3.9	18.2	-10.3	22.9	11.6	-4.7	
कुल प्रमुख पेट्रोरसायन	उत्पादन	8217	8672	8191	8287	9008	9802	4993
	वृद्धि दर (%)	10.3	5.5	-5.5	1.2	8.7	8.8	

नोटः वृहत एवं मध्यम आकार के अंतर्गत विनिर्माताओं से मासिक उत्पादन रिटर्न पर आधारित उत्पादन समाहित है।

स्थापित क्षमता और उत्पादन का उत्पाद–वार और समूह–वार ब्यौरा **अनुबंध–III** में है।

2.17 तालिका III से यह देखा जा सकता है कि पॉलीमर का उत्पादन प्रमुख पेट्रो–रसायन के कुल उत्पादन का 60% से अधिक है। वर्ष 2011–12 तक प्रमुख पेट्रो–रसायन का उत्पादन 9802 हजार मी0 टन था जबकि वर्ष 2010–11 में 9008 हजार मी0 टन था जोकि 8.8% की वृद्धि को दर्शाता है प्रमुख पेट्रो–रसायनों के उत्पादन के रूझान को **चार्ट–II** में दर्शाया गया है–

चार्ट – II: प्रमुख पेट्रोरसायन के उत्पादन का रुंझान

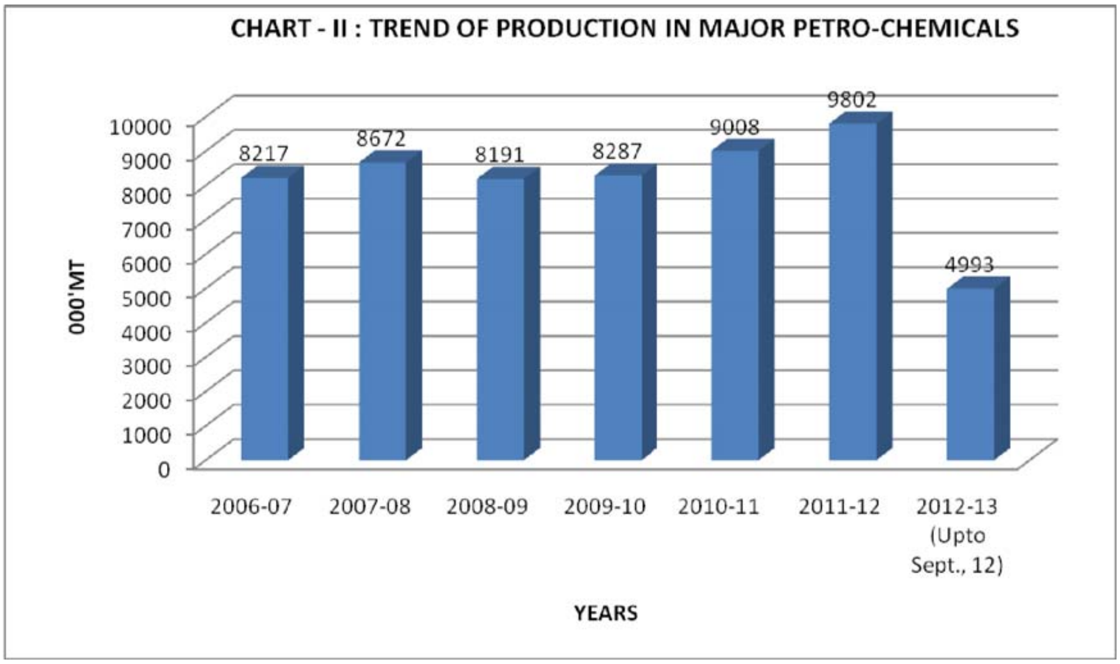

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

2.18 रसायन एवं रसायनिक उत्पादों के उत्पादन प्रदर्शन का उपयोग भारतीय औद्योगिक वृद्धि के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। रसायन एवं रसायन उत्पादों का वजन(एनआईसी 2004 का औद्योगिक कोड 24) औद्योगिक उत्पदन के सूचकांक 1000 में 100.59 है(आधार वर्ष 2004–05)। सामान्य सूचकांक सितंबर, 2012 के माह में 163.6 है जोकि सितंबर, 2011 की तुलना में 0.4% कम है। अप्रैल से सितंबर, 2012–13 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि, गत वर्ष के संगत अवधि की तुलना में 0.1% है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक विनिर्माण क्षेत्र में सितंबर, 2012 माह के लिए 174.7 है जोकि सितंबर, 2011 माह की तुलना में 1.5% कम है जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रसायन एवं रसायन उत्पादों के लिए सितंबर, 2011 माह की तुलना में 1.7% अधिक होकर, 127.3% है। विनियमों मामले में अप्रैल–सितंबर, 2012–13 के दौरान, सामान्य आईआईपी में संबंधी वृद्धि 2011–12 की संगत अवधि में –0.3% की तुलना में 0.1% था और रसायन एवं रसायनिक उत्पादों की तुलना में 2.3% था / 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान आद्योगिक उत्पादन सूचकांक का माह–वार ब्यौरा तालिका–IV औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का है।

तालिका IV औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार– 2004–05=100)

अविध	रसायन और रसायन उत्पाद	विनिर्माण उत्पाद	सामान्य
अप्रैल, 11	123.5	176.1	166.2
मई, 11	126	174.5	166.2
जून, 11	122.8	184	171.4
जुलाई, 11	121.6	177.4	167.2
अगस्त, 11	122.5	171.7	161.4
सितम्बर, 11	125.2	177.4	164.3
अक्तूबर, 11	118.1	165.9	158.3
नवम्बर, 11	118.4	177.8	167.5
दिसम्बर, 11	129.6	192.6	180.3
जनवरी, 12	118.6	188.6	177.6
फरवरी, 12	117.9	186.8	175.2
मार्च, 12	127.6	198.7	187.6
अप्रैल, 12	122	173	164.1
मई, 12	124.6	179	170.3
जून, 12	121.3	178.1	168
जुलाई, 12	127.9	176.7	166.9
अगस्त, 12	135.4	175.9	165.1
सितम्बर, 12	127.3	174.7	163.6

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

2.19 रसायन एवं रसायनिक उत्पादों का सामान आईआईपी एवं विनिर्माण के संबंध में आईआईपी वर्ष 2005–06 एवं 2011–12 तक तालिका V और चार्ट III में दिया गया है।

तालिकाट : औद्योगिक उत्पादन (आधार– 2004–05 = 100) का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

विवरण	भार	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
रसायन और रसायन उत्पाद	100.59	101	110.4	118.4	115	120.7	123.1	122.7
विनिर्माण उत्पाद	755.27	110.3	126.8	150.1	153.8	161.3	175.7	181
सामान्य	1000	108.6	122.6	141.7	145.2	152.9	165.5	170.3

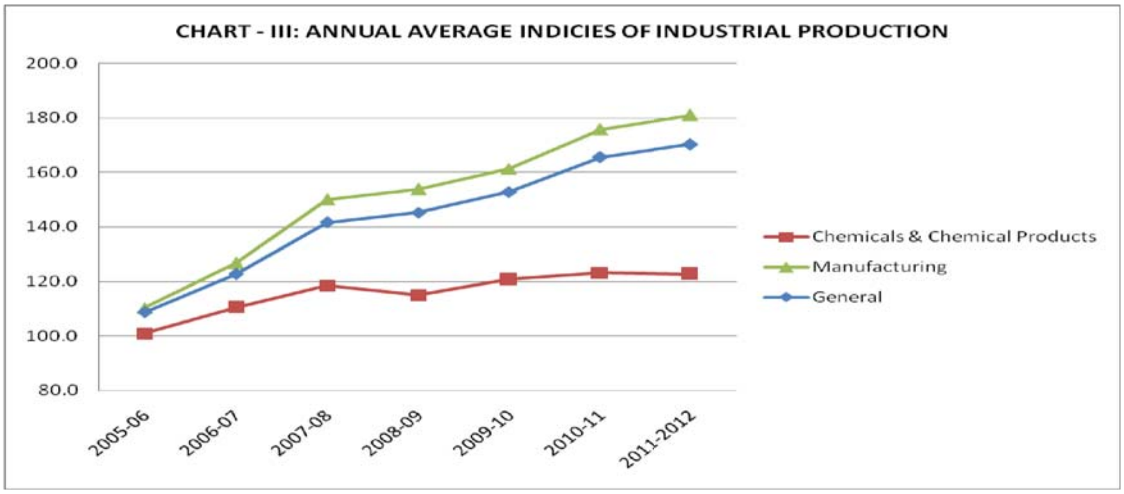

थोक मूल्य सूचकांक

2.20 सभी उत्पादों के लिए आर्थिक सलाहकार द्वारा जारी मासिक डब्ल्यूपीआई के आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति का दर सितंबर, 2011 की तुलना में सितंबर, 2012 में 7.81% था। इसी अवधि के दौरान, खाद्य पदार्थों का समूह 7.86% प्रमुख विनिर्मित उत्पाद द्वारा 6.26% और रसायन एवं रसायनिक उत्पाद समूह द्वारा 7.47% की वृद्धि दर्ज की गई है। रसायन एवं रसयानिक उत्पादों का भार डब्ल्यूपीआई के विचलन(आधार वर्ष 2004–05) सभी उत्पादों के 100 भार की तुलना में 12.02 है। वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान डब्ल्यूपीआई का मासिक सूचकांक तालिका VI में दिया गया है।

तालिका VI थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (आधार– 2004–05 = 100)

मास	सभी उत्पाद	खाद्य पदार्थ	विनिर्माण उत्पाद	रसायन और रसायन उत्पाद
अप्रैल, 11	152.1	186.8	136.6	131
मई, 11	152.4	186.3	137.4	131.8
जून, 11	153.1	188.8	137.9	132.2
जुलाई, 11	154.2	192.8	138	132.7
अगस्त, 11	154.9	193.7	138.4	133
सितम्बर, 11	156.2	197.2	139	133.8
अक्तूबर, 11	157	199.3	139.6	135.2
नवम्बर, 11	157.4	196.5	140.4	135.6
दिसम्बर, 11	157.3	190.9	140.9	136.5
जनवरी, 12	158.7	191.1	141.5	137.8
फरवरी, 12	159.3	192.4	141.8	137.9
मार्च, 12	161	197.1	142.6	139.2
अप्रैल, 12	163.5	207.2	143.8	140.3

मई, 12	163.9	206.1	144.6	141.4
जून, 12	164.7	209.4	145.3	141.9
जुलाई, 12	164.8	212.2	145.7	142.3
अगस्त, 12	166.6	211.4	146.9	143.2
सितम्बर, 12	168.4	212.7	147.7	143.8
स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय				

2.21 नीचे दी गई **तालिका** –VII और **चार्ट** –IV वर्ष 2005–06 से 2011–12 के दौरान, सभी वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की तुलना में रसायन और रसायन उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक को दर्शाते हैं।

तालिका VII :थोक बिक्री मूल्यों (आधार– 2004–05 = 100) का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

विवरण	भार	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
सभी वस्तुएं	100	156.13	143.32	130.81	126.02	116.63	111.35	104.47
खाद्य पदार्थ	14.34	192.74	179.63	155.39	134.8	123.57	115.52	105.38
विनिर्माण उत्पाद	64.97	139.51	130.07	123.05	120.38	113.39	108.22	102.42
रसायन और रसायन उत्पाद	12.02	134.72	124.04	117.76	118.07	112.83	108.94	103.79

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

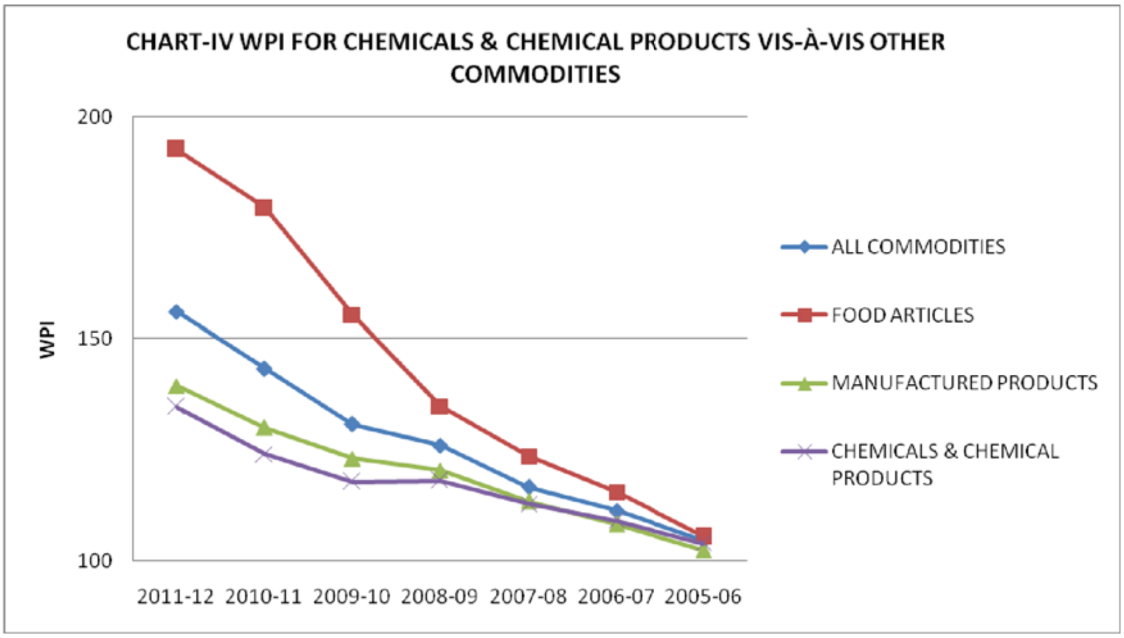

2.22 नीचे दी गई तालिका VIII वर्ष 2005–06 से 2011–12 के दौरान रसायन एवं रसायन उत्पादों के अन्दर विभिन्न वस्तु समूहों के डब्ल्यूपीआई को दर्शाती है–

तालिका–VIII रसायन एवं रसायनिक उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक

विवरण	भार	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
रसायन और रसायन उत्पाद	12.02	134.7	124	117.8	118.1	112.8	108.9	103.8
मूल अकार्बनिक रसायन	1.19	138.2	126.3	125	126.2	117.1	109.5	106.4
मूल कार्बनिक रसायन	1.95	135	124.4	115.7	118	112	111	103.6
उर्वरक	2.66	132.6	116.8	108.2	106.8	106.3	104.4	102.2
कीटनाशक	0.48	114.9	113.6	110.6	110.5	106.7	108.4	102.2
पेंट, वार्निश एवं लेक्वर	0.53	128.5	122.6	117.5	117.6	110.6	105.7	104.3
डाइस्टफ एवं इंडिगो	0.56	122.5	116.3	111.9	115.5	115	110.6	102.3
दवाइयां	0.46	119.6	115.4	112.7	111.4	108.1	102.6	101.3
इत्र, श्रृंगार, प्रशाधन आदि	1.13	145.3	138.5	134.8	129.2	119.1	111.1	104.5
टर्पेनटाइन प्लास्टिक रसायन	0.59	136.1	123.4	117.4	116.9	115.3	115.2	109.6
सिंथेटिक रबर पॉलिमर	0.97	130.4	123.4	116.3	119.6	115.5	108.8	103
पेट्रो–रसायन मध्यवर्ती	0.87	156.2	137.4	127.7	133.5	121	116.6	105.1
विस्फोटक एवं अन्य रसायन	0.63	135.5	128.7	123.8	121.6	114.4	107.1	102.7

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

2.23 वर्ष **2006–07** से **2011–12** के दौरान प्रमुख रसायन और पेट्रो–रसायन के निर्यात और आयात का रूंझान तालिका IX और चार्ट V और VI में दिया गया है।

तालिका IX: निर्यात और आयात – प्रमुख रसायन और पेट्रो–रसायन

(आंकड़े करोड़ ₹ में)

मदें / वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
क: कुल राष्ट्रीय निर्यात	571779	655864	840755	845534	1142922	1465959
जिसमे से						
रसायन @	39351	43482	53738	54948	67008	86690
पेट्रोरसायन #	21801	22199	24226	29272	36875	48377
कुल रसायन और पेट्रोरसायन	61152	65681	77964	84220	103883	135067
कुल राष्ट्रीय निर्यात में कुल रसायन एवं पेट्रोरसायन का अंश (%)	10.7	10	9.3	10	9.1	9.2
ख: कुल राष्ट्रीय आयात	840506	1012312	1374436	1363736	1683467	2345463
जिसमे से						
रसायन @	47914	54422	74857	76682	94154	121887
पेट्रोरसायन #	16339	19577	24020	30221	39436	46801
कुल रसायन और पेट्रोरसायन	64253	73999	98877	106903	133590	168688
कुल राष्ट्रीय आयात में कुल रसायन और पेट्रोरसायन का हिस्सा (%)	7.6	7.3	7.2	7.8	7.9	7.2

@ प्रमुख रसायनों में अकार्बनिक रसायन (एचएस कोड 28), कार्बनिक रसायन (एचएस कोड 29), डायिंग (एचएस कोड 32) एवं विविध रसायनिक उत्पाद (कीटनाशक) (एचएस कोड 38) शामिल हैं।

प्रमुख पेट्रो–रसायन में प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद (एचएस कोड 39), मानव निर्मित फिलामेंट (एचएस कोड 54), मानव निर्मित स्टेपल फाइबर (एचएस कोड 55) शामिल हैं।

स्त्रोत: सांख्यिकी एवं वाणिज्यक अधिसूचना महानिदेशालय (डीजीसीआईएस), कोलकाता

Chart V: Trends in Export of Major-Chemicals & Petro-Chemicals

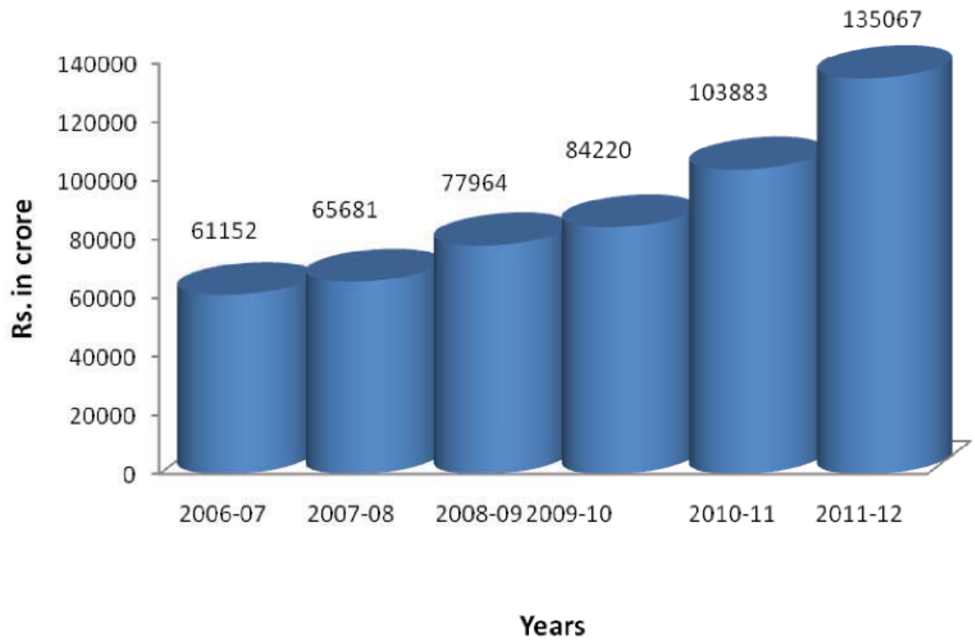

Chart VI: Trends in Import of Major-Chemicals & Petro-Chemicals

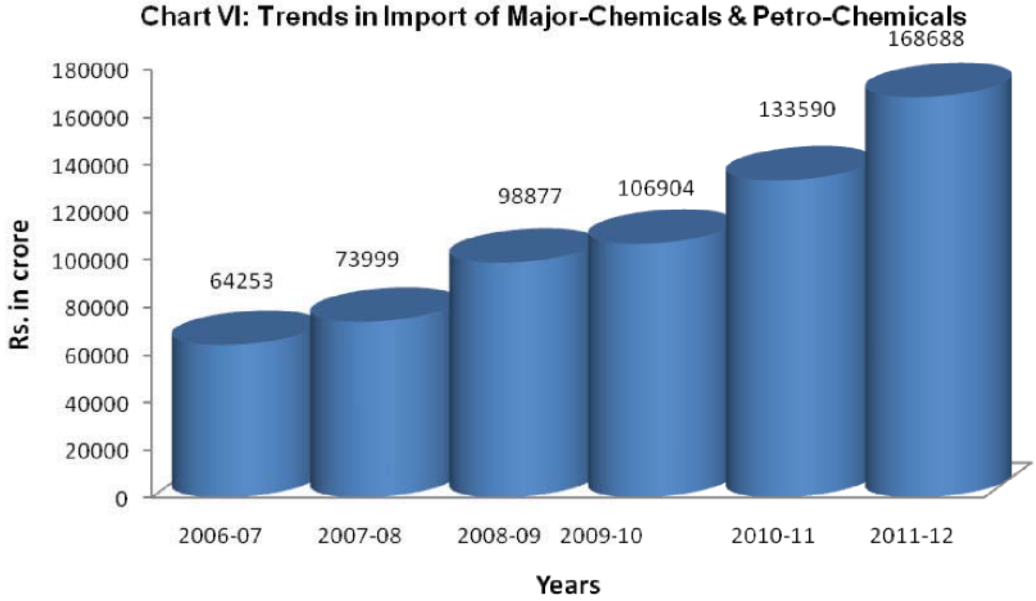

2.24 प्रमुख रसायनों एवं पेट्रो–रसायनों उत्पाद का आयात 2010–11 में, कुल आयात में 7.2% का योगदान करता है जबिक वर्ष 2009–10 में यह 7.8: था। प्रमुख रसायनों एवं पेट्रो–रसायन उत्पाद का निर्यात 2009–10 में 10.00% की तुलना में 2010–11 में 9.9: था (तालिका–IX)।

योजनागत स्कीमें

2.25 रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के विकास में विभाग की संवर्द्धक, सुसाध्य और विनियामक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्लान योजनाओं के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र निवेश अत्यन्त सीमित है। पीएसयूज तथा स्वायत्त संस्थानों को किए गए निर्गमों के अलावा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख प्लान योजना असम गैस क्रैकर परियोजना है जिसके लिए नियत लागत आधार पर परियोजना हेतु 4690 करोड़ रू0 की पूंजी सबसिडी और नियत लागत रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। दिसम्बर, 2013 में जब यह पूरा हो जाएगा तो आशा की जाती है कि इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार सृजन में पर्याप्त वृद्धि होगी और यह डाऊंन स्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना से काफी अधिक निवेश आकर्षित करेगा। विभाग की प्लान योजनाएं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और इस विभाग से सम्बद्व स्वायत्त निकायों को भी सहायता प्रदान करेगी।

2.26 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की प्लान योजनाओं का योजना–वार परिव्यय तथा 2012–13 (बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान) और 2013–14 के लिए परिव्यय तालिका–X में दिया गया है :–

तालिका X: विभाग का योजना–वार प्लान परिव्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	योजना का नाम	एपी (2012-13) (बीई)	एपी (2012-13) (आरई)	एपी (2013-14) (बीई)
I	**पीएसयू को परियोजना आधारित सहयोग**	**40.00**	**28.73**	**10.00**
1.1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	24.00	24.63	10.00
1.2	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड लिमिटेड (एचआईएल)	16.00	4.10	-
II	**स्वायत्त निकायों को सहायता**	**117.00**	**44.34**	**145.30**
2.1	सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफॅ प्लास्टिक इन्जीनियरिंग एंड टेक्नोलाजा(सिपेक्ट) ओपेक ऋण	110.00	40.00	140.96
2.2	इन्सटीट्यूट आफॅ पेस्टीसाइड फारमुलेशन टेक्नोलाजी (आईपीएफटी)	7.00	4.34	4.34
III	**अन्य जारी परियोजनाएं**	**1600.00**	**1563.93**	**1044.70**
3.1	असम गैस क्रैकर योजना	1552.00	1552.00	1000.00
3.2	केमिकल प्रमोशन एंड डेबलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस)	10.00	2.00	3.00
3.3	रसायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी)	1.50	1.00	1.50
3.4	आईटी / सचिवालय	0.30	0.30	0.70
3.5	अन्य	36.20	8.63	39.50
	कुल	**1757.00**	**1637.00**	**1200.00**

2.27 वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निधियों के आवटंन में पर्याप्त वृद्धि की गई थी। चालू वर्ष, अर्थात 2012–13, 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान, 1757.00 करोड़ रू0 के बजअ अनुमान आवंटन को संशोधित अनुमान अवस्था से घटाकर 1637.00 करोड़ रू0 कर दिया गया था। निम्नलिखित तालिकाएं वर्ष 2012–13 के दौरान योजना और योजनेत्तर संशोधित बजट अनुमान और 2011–12 का वास्तविक बजट दर्शाती है।

तालिका XI: वास्तविक बजट 2011–12, संशोधित अनुमान 2012–13 (योजना)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	योजना का नाम	वास्तविक बजट 2011-12	संशोधित अनुमान 2012-13
1	सचिवालय	0.35	0.30
2	पेट्रो–रसायन की नई योजनाएं	4.61	8.63
3	असम गैस क्रैकर परियोजना	875.44	1376.30
4	सीपीडीएस	1.34	2.00
5	सीडब्ल्यूसी	0.74	1.00
6	आईपीएफटी	0.89	4.34
7	सीपेट–ओपेक	43.79	40.00
8	एचआईएल	0	4.10
9	एचओसीएल	0	24.63
10	एनईआर	0	175.70
	कुल	**927.16**	**1637.00**

तालिका XII: वास्तविक बजट 2011–12, संशोधित अनुमान 2012–13 और बजट अनुमान 2013–14 (योजनेत्तर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	योजना का नाम	वास्तविक बजट 2011-12	संशोधित अनुमान 2012-13	बजट अनुमान 2013-14
1	सचिवालय	11.63	12.33	13.22
2	सिपेट	0.53	0	0
3	असम गैस क्रैकर परियोजना	0	0	0.01
4	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	322.49	94.79	126.59
5	सीडब्ल्यूसी	0	0	0.01
6	आईपीएफटी	3.29	3.1	3.15
7	पीसीएल	1.1	0	0.01
8	एचआईएल	0	0	0.01
9	एचओसीएल	0	0	0.01
	कुल	**339.04**	**110.22**	**143.01**

2.28 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार, लमबित यूसी में ₹ 4.19 करोड़ की राशि लंबित है। इनको समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सी एंड एजी क ऑडिअ के बारे में, कोई पीएसी पैरा लंबित नहीं है। सी एंड एजी (व्यावसा यिक) के पैरा के मामले में, 4 पैरा लंबित है जिनको शीघ्र ही सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति

2.29 पीसीआइआर नीति बड़े पैमाने पर समनवित और पर्यावरणानुकुल तरीके से पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों के संवर्द्धन के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया गए हैं। ऐसे समनवित पीसीपीआईआर से को–साईटिंग, नेटवर्किंग और आम अवसंरचना और सहायता सेवाओं का उपयोग करके बेहतर कौशल का लाभ उठाया जा सकेगा।

2.30 पीसीपीआईआर लगभग 250 वर्ग कि0मी0 (प्रोसेसिंग क्रियाकलाप के लिए निर्धारित न्यूनतम 40 प्रतिशत पदनामित क्षेत्र के साथ) विशेष रूंप से निर्धारित क्षेत्र है। यह क्षेत्र उत्पादन परियोजनाओं, जन–उपयोगिताओं, लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण संरक्षण, आवासीय क्षेत्र तथा प्रशासनिक सेवाओं का संयोजन होगा।

2.31 आर्थिक कार्य सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति (सीसीइए) ने 8 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में पीसीपीआईआर की स्थापना सम्बन्धी नीति संकल्प का अनुमोदन किया। पीसीपीआईआर नीति के अनुसार, भारत सरकार को रेल, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, पोर्ट विमानपत्तन एवं दूरसंचार सहित बाहय भौतिक अवसंरचना लिंकेजेज की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। इस अवसंरचना का जहां तक संभव हो, सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से सृजन /उन्नयन किया जाएगा और केन्द्र सरकार विद्यमान योजनाओं के माध्यम से आवश्यक अर्थक्षमता अंतर निधियन (वायेबिलिटी गैप फंडिग) उपलब्ध कराएगी। भारत सरकान ने पीसीपीआईआर को 4 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित कर दिया है।

वर्तमान स्थिति

2.32 फरवरी, 2009 से, भारत सरकार ने गुजरात के दाहेज में, उड़ीसा के पारादीप में, आंध्र प्रदेश कें विशाखापत्तनम – काकीनाडा में तथा तमिलनाडु के कुड्डालोर –नागापट्टनम जिलों में पीसीपीआईआर की स्थापना को अनुमोदित किया है। सभी राज्य सरकारों (तमिलनाडु को छोड़कर जहां राज्य सरकार के विचाराधीन है) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है जिसमें दोनों पक्षों के संबंधित प्रतिबद्धताओं व क्रियान्वयन के लिए समय–सीमा आदि का विधिवत उल्लेख किया गया है। ये पीसीपीआईआर क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और वास्तविक प्रगति की निगरानी सचिव (सीएंडपीसी) की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय निगरानी समिति द्वारा की जा

रही है। पीसीपीआईआर को राज्य सरकार के साथ मिलकर घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोड शो, प्रदर्शनी, सेमिनार एवं सम्मेलनों आदि के माध्यम से सक्रियता से प्रमोट किया जा रहा है।

2.33 एक बार पूरी तरह स्थापित हो जाने के पश्चात, इन पीसीपीआईआर में 7,62,894 करोड़ रू0 के निवेश होने की संभावना है। अब तक इन क्षेत्रों में 1,80,000 करोड़ रू0 के मूल्य का निवेश हो चुका है। पीसीपीआईआर में 53,468.7 करोड़ रू0 मूल्य के अवसंरचना सृजित होने की संभावना है जिसमें भारत सरकार की ओर से 4646.30 करोड़ रू0 का योगदान होगा। पीसीपीआईआर में लगभग 33.96 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस संबंध में पीसीपीआईआर–वार विवरण संक्षिप्त रूप से पैरा 2.34 में और प्रत्येक पीसीपीआईआर की प्रगति की तालिका–XIII में प्रस्तुत है:–

तालिका–XIII : पीसीपीआईआर की तथ्य शीट

राज्य	संभावित निवेश (करोड़ रू. में)	31.12.2012 तक वास्तवित निवेश (करोड़ रू. में)	अवसंरचना निवेश (करोड़ रू. में)			रोजगार (व्यक्ति लाख में)
			योग	भारत सरकार का अंश		
				वी जी एफ	बजटीय सहायता	
आंध्र प्रदेश	3,43,000	9688.92	18,731	1206.8	-	11.98
गुजरात	50,000	1,29,379	7,749.70	80.5	-	8
ओड़िसा	2,77,734	-	13,634	716	-	6.48
तमिलनाडु	92,160	-	13,354	1143 .0	1500	7.5
योग	**7,62,894**	**1,39,053**	**53468.7**	**3146.3**	**1500**	**33.96**
				4646.3		

2.34.1 गुजरात पीसीपीआईआर

- गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन(जीआईडीसी) ने पीसीपीआईआर में अवसंरचना के प्रावधान के लिए 1722 करोड़ रू0 खर्च किया है।
- क्षेत्र में अवसंरचना के सृजन के लिए सभी एजेंसियों ने 6899 करोड़ रू0 खर्च किया है।
- जन आपूर्ति एवं सड़कों के विकास के लिए जीआईडीसी द्वारा 1500 करोड़ रू0 अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है।
- गुजरात पीसीपीआईआर में 20000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
- एंकर टिनेंट मैसर्स ओपल ने 8707 करोड़ रू0 की लागत से क्रैकर संयत्र के मैकेनिकल कार्य को लगभग 62% पूरा कर लिया है और सी 2/सी 3 एक्सट्रैक्शन इकाई शुरू होने क लिए तैयार है।
- पीसीपीआईआर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम के अधीन किया गया है।
- शीर्ष प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र के लिए विकास योजना को अंतिम रूंप से अनुमोदित किया गया है।
- अंतिम ईआईए रिपोर्ट परामर्शदाता नीरी द्वारा 5.10.2012 को प्रस्तुत किया गया है।
- दि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी), नई दिल्ली ने पीसीपीआईआर के अधीन सभी 44 गांवों में समाजिक–आर्थिक अध्ययन किए हैं।

2.34.2 आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर

- मैसर्स एलईए एशोसिएट्स द्वारा मास्टर प्लानिंग पूरी कर ली गई है और विकास योजना का प्रारूंप तैयार कर लिया गया है।
- अंतिम ईआईए रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालयन को अप्रैल, 2013 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ईआईए को अनुमोदित कर दिया और एपीएनईजेड जो कि पीसीपीआईआर का हिस्सा है के लिए मेरीन डिस्पोजल पाइप लाइन बिछाने के लिए पर्यावरण अनापतति व सीआरजेड अनापतति प्रदान कर दिया है।
- अब तक 90,000 वयिक्तयों के लिए रोजगार सृजित हुआ है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से राजमार्ग संपर्क के लिए तीन सड़कों को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के हिस्से के रूंप में 40 करोड़ रू0 स्वीकृत किए हैं।

- आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम–राजमुंद्री खंड को छः लेन में बदलने का कार्य अप्रैल, 2012 में एनएचएआई और कंसीटियम के बीच समझौते के तहत मैसर्स ट्रान्सट्राय कंर्सोटियम प्रा0 लि0 को सौंपा है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने जनवरी, 2013 में हैदराबाद में घोषणा की है कि पीसीपीआईआर में 40,000 करोड़ रू0 की लागत से एचपीसीएल द्वारा 15 एमएमटीपीए ग्रीनफील्ड रिफाइनरी–सह–क्रैकर काम्पलेक्स स्थापित किया जाएगा।

2.34.3 उड़ीसा पीसीपीआईआर

- एंकर टीनेंट इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0(आईओसीएल) ने 22,000 करोड़ रुंपए का निवेश किया है। आईओसीएल की रिफाइनरी के 2014 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
- पाराद्वीप निवेश क्षेत्र विकास लि0 नाम की विशेष उधेश्य निकाय का गठन किया है।
- आईएल एंड एफएस, आईडीसी एवं एल एंड टी रोमबॉल ने प्रारंभिक मास्टर प्लान तैयार किया है। विकास योजना का प्रारूंप तैयार करने के लिए परामर्शदाता का चयन जारी है। पीसीपीआईआर के लिए जल उपलब्धता का अध्ययन डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा किया जा रहा है।
- एनएच–5ए के विकास के लिए बोली प्रक्रिया जारी है और धर्मा व एसट्रांक पोर्ट के बीच ग्रीन फील्ड कारीडोर विकसित करने के लिए परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
- 1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र एसपीआई पोट्र्स(प्र0) लि0 द्वारा स्थापित किया जा रहा है। सूरत–पाराद्वीप गैस पारेषण पाइपलाइन– जोकि एक अंतर्राज्यीय गैस पारेषण पाइपलाइन है, को गेल क्रियानवित कर रही है।
- राज्य में गैस आधारित ढांचा के विकास के लिए गेल द्वारा प्रस्तावित इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा(इडको) के साथ संयुक्त उद्यम पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आईओसीएल ने 5 एमएमटीपीए एलएनजी टर्मिनल के लिए धर्मा पोर्ट कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

2.34.4 तमिलनाडु पीसीपीआईआर

- एंकर टीनेंट नागार्जुन ऑयल कारपोरेशन लि0(एनओसीएल) ने रिफाइनरी विस्तार परियोजना में 6090 करोड़ रुंपए का निवेश किया है।
- परियोजना के प्रथम चरण के शुरूं होने की तिथि जुलाई, 2014 निर्धारित की गई है। इस परियोजना की क्षमता बढ़ाकर 12 एमएमटीपीए कर दी गई है जिससे लागत भी बढ़कर

22,103 करोड़ रुंपए हो गई है।

- इंजीनियर्स इंडिया लि0 एवं तमिलनाडु इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन के बीच पीसीपीआईआर के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
- कच्चे तेल की प्राप्ति के लिए एकल बिन्दु निगरानी तेल व पेट्रोलियम ईंधन की निकासी के लिए उत्पाद का निर्माण कार्य निमार्णाधीन है और 25% प्रगति दर्ज की गई है।

2.35 वर्ष 2009 में, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पीसीपीआईआर की स्थापना को भी अनुमोदित किया था। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया में पीसीपीआईआर परियोजना से बाहर होने के निर्णय की सूचना दी है और सूचित किया है कि हल्दिया के नयाचार द्वीप में औद्योगिक पार्क, पावर प्लांट व इको टूरिज्म पार्क विकसित करने का निर्णय किया गया है। सरकार की इस सूचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया है, जिसने राज्य सरकार के निर्णय को अनुमोदित कर दिया है।

2.36 पीसीपीआईआर में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए और उनकी अर्थक्षमता सुधारने के लिए विभाग द्वारा विशेष सिफारिशें विचारार्थ एवं उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के लिए प्रस्तुत की गई हैं:–

i) भविष्य में अनुमोदित होने वाले पीसीपीआईआर के लिए, एंकर टीनेंट व संबंधित राज्य सरकार के साथ एमओयू के रूंप में स्पष्ट व बिना किसी शर्त के प्रतिबद्धता होनी चाहिए जिसमें निवेश का प्रकार अनुमानित निवेश राशि और समय–सीमा का विधिवत उल्लेख होगा। रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग, राज्य सरकार व एंकर टीनेंट के बीच तीन पक्षीय एमओयू भी होना चाहिए। एंकर टीनेंट द्वारा निवेश प्रस्ताव, जिससे पूरी पीसीपीआईआर परियोजना खटाई में पड़ सकती है, में किसी प्रकार का विचलन होने की दशा में, पीसीपीआईआर अनुमोदित करने के लिए संशोधित अनुमोदन सक्षम प्रधिकारी (सीसीईए) से लेना आवश्यक होगा।

ii) एंकर टीनेंट द्वारा पीसीपीआईआर में हाईड्रोकार्बन फीडस्टॉक के आयात पर सीमा शुल्क शून्य होना चाहिए और यह शुल्क संरचना दस वर्ष की अवधि तक होनी चाहिए।

iii) पीसीपीआईआर में विनिर्मित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए सीमा शुल्क में कमी (मुक्त व्यापार समझौते–एफटीए में भारत की प्रतिबद्धता के फलस्वरूंप) से पीसीपीआईआर में नए निवेश का रास्ता खुलेगा। यह सिफारिश की जाती है कि भविष्य में हस्ताक्षरित होने वाले एफटीए और मौजूदा एफटीए की समीक्षा के मामलों में ऐसे उत्पादों पर सीमा शुल्क को और आगे नहीं घटाया जाना चाहिए।

iv) निम्नलिखित मदों के लिए 50% भारत सरकार की फंडिंग का प्रावधान :–

- मास्टर प्लान तैयार करना;
- पीसीपीआईआर में ट्रीटमेंट, पुनःचक्रण व खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निपटान व तरल रसायनिक अपशिष्ट के लिए तंत्र का विकास;
- पीसीपीआईआर में डिसेलिनेशन वाटर साइक्लिंग प्लांट;
- विश्वस्तरीय आधुनिक आपदा प्रबंधन व प्रबंध केंद्र;
- किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जनसंख्या/यातायात के लिए प्रत्येक पीसीपीआईआर में एक बाहर निकालने का रास्ता; तथा
- पीसीपीआईआर को जोड़ने वाले दूसरे राज्यों की परियोजनाओं (ओड़िसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु) को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में चिन्हित करना।

v) जैसा कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) में परिकल्पित है, पीसीपीआईआर की स्थापना के लिए अपेक्षित सभी क्लीयरेंस के संबंध में समय सीमा परिभाषित की जाएगी। यदि समय–सीमा के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो समय–सीमा समाप्त होने के पश्चात क्लीयरेंस "जारी किया हुआ" माना जाएगा। इसी तरह राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड), जो कि एनएमपी के अधीन है, ईआईए, 2006 पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देकर विचार किया जाएगा।

vi) नए पीसीपीआईआर में कई तत्व है और मौजूदा पीसीपीआईआर में भी डीआईपीपी की औद्योगिक अवसंरचना विकास स्कीम, शहरी विकास मंत्रालय का जेएनएनयूआरएम आदि के माध्यम से केंद्रीय फंडिंग संभव है। जब राज्य सरकार पीसीपीआईआर के किसी पक्ष को ऐसी किसी स्कीम के तहत वित्त पोषित के लिए सुझाव देगी, भारत सरकार की संस्तुत करने वाले मंत्रालय को समुचित प्राथमिकता देना चाहिए।

2.37 विभाग की उपरोक्त सिफारिशें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जो कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का हिस्सा है, के पास विचारार्थ है।

राष्ट्रीय पेट्रो–रसायन नीति

2.38 राष्ट्रीय पेट्रो रसायन नीति के अनुसरण में, सरकार ने तीन स्कीमें तैयार की हैं जैसे– (क) पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, (ख) पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्रों(सीओई) की स्थापना, एवं (ग) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना।

2.39 प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः इस स्कीम का लक्ष्य पेट्रो–रसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के लिए नामांकन मंगवाने का कार्य सिपेट को सौंपा गया है।

2.40 इसके अनुप्रयोग के क्रियान्वयन में प्रथम वर्ष के क्रियान्वयन के अनुभव के आधार पर आवेदन व मूल्यांकन के आधार पर इसे संशोधित किया गया ताकि वर्ष 2011–12 में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कार में भागीदारों की संख्या बढ़ाई जा सके। वर्ष 2011–12 में स्कीम को 8 श्रेणियों व 3 उपश्रेणियों में 429 नामांकन प्राप्त हुए थे। जांच की गहन प्रक्रिया से गुजरने के बाद प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 15 नामांकनों का चयन किया गया। बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त होने को देखते हुए, 2011–12 में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 10 उपविजेता भी घोषित किए गए। पुरस्कृतों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए दिल्ली में 26 मार्च, 2012 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 63 लाख प्रतिवर्ष के दर से 3.15 करोड़ रुंपए के योजनागत सहयोग के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना(2012–17) में इसे जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2.41 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापनाः इस स्कीम का लक्ष्य देश में पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी व अनुसंधान के लिए विद्यमान अवसंरचना में सुधार लाने तथा पॉलीमर व प्लास्टिक के विकास को संवर्द्धित करना है। वर्ष 2010–11 में, सिपेट व राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे की पहचान उत्कृष्टता केंद्र के रूंप में स्थापित किया गया है। 2010–11 में लगभग 2.00 करोड़ रुंपए की राशि जारी की गई थी। विभाग ने चयनित सीईओ के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए सितंबर, 2011 में विशेषज्ञ पैनल गठित किया है। विशेषज्ञ समिति ने एनसीएल, पुणे व सिपेट, चेन्नई के प्रयासों की सराहना की है और महसूस किया है कि परियोजना की प्रगति अच्छी हुई है और निर्धारित समय–सीमा को पूरा किया है। विशेषज्ञ पैनल ने कार्य के अगले चरण को शुरूं करने की सिफारिश की है। विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश के आधार पर सिपेट, चेन्नई को जनवरी, 2012 में एवं एनसीएल, पुणे को फरवरी, 2012 में 2 करोड़ रुंपए की दूसरी किश्त जारी की है। स्कीम को 12वीं योजना में 22 करोड़ रुंपए के प्लान सहयोग के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना(2012–17) में बनाए रखने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2.42 प्लास्टिक पार्कों की स्थापनाः इस स्कीम का लक्ष्य आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्क की स्थापना करना और विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ पारिस्थितिकी का निर्माण व क्षेत्र को एक जैसी सुविधाएं प्रदान करके मूल्य श्रंखला में आगे बढ़ना व अर्थव्यवस्था में योगदान करना है। स्कीम के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रबंधक की नियुक्ति की गई थी। स्कीम के क्रियान्वयन

के लिए प्रचलनात्मक दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व पंजाब से प्राप्त प्रारंभिक प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 24 फरवरी, 2012 को सचिव की अध्यक्षता में स्कीम स्टीयरिंग समिति(एसएससी) की एक बैठक हो चुकी है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम व उड़ीसा से प्राप्त 4 प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय इस तथ्य के साथ कि जो दो परियोजनाएं सभी मामलों में डीपीआर पहले प्रस्तुत करेंगी, उन्हें चालू योजना अवधि के दौरान अनुमोदित किया जाएगा और शेष दो परियोजनाओं को तत्समय नियम व शर्तों पर अगली योजना अवधि में अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, डीपीआर तैयार करने में तैयारी में कमी और अन्य परेशानियों के कारण 19.10.2012 को हुई स्कीम स्टीयरिंग समिति की बैठक में डीपीआर जमा कराने की समय–सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

असम गैस क्रैकर परियोजना

2.43 केंद्र सरकार और अखिल असम छात्र यूनियन(आसु) और अखिल असम गण परिषद(एएजीपी) के बीच 15 अगस्त, 1985 को समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के अनुसरण में असम गैस क्रैकर परियोजना शुरूं की गयी थी। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 18 अप्रैल, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में 5460.61 करोड़ रुंपए(नियत लागत) पर असम गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना को अनुमोदित कर दिया था। 8 जनवरी, 2007 को निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी, नामतः मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड(वीसीपीएल) इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है।

2.44 तथापि, विभिन्न कारणों से जैसे समयवृद्धि, संयत्र का उपइष्टतम अकार, ढांचागत आवश्यकताओं में वृद्धि जिससे विस्तृत इंजीनियरिंग एवं प्रचालानात्मक आवश्यकताओं में वृद्धि निर्माण लागत बढ़ने, बार–बार बंदी, श्रमिक अशान्ति, साइट पर दक्ष जन–संसाधन की अपर्याप्त उपलब्धतता, दीर्घ मानसून आदि के कारण परियोजना के समय एवं लागत में वृद्धि हुई।

2.45 भारत सरकार, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने असम गैस क्रैकर परियोजना में संशोधित लागत अनुमान के प्रस्ताव पर 16.11.2011 को अनुमोदित किया। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 8920 करोड़ रूंपए (''यथा निर्माण आधार'' पर) के संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित किया, जिसका निधियन पैटर्न निम्नानुसार है –

(क)	पूंजी सब्सिडी–	4690 करोड़ रूंपए
(ख)	ऋण –	2961 करोड़ रूंपए
(ग)	इक्विटी –	1269 करोड़ रूंपए

2.46 संशोधित परियोजना अनुसूची के अनुसार मैकेनिकल परिपूर्ण की तिथि जुलाई, 2013 और परियोजना शुरूं होने की तिथि दिसम्बर, 2013 है। 15.01.2013 तक की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण प्रगति मूल अनुसूची लक्ष्य 94.2% की तुलना में 87.8% था। 31.01.2013 तक स्थिति के अनुसार, संचयी व्यय ₹6077.01 करोड़ का है जिसमें वर्ष 2011–12 में 2334.62 करोड़ रूंपए का व्यय शामिल है। इसके अतिरिक्त 15.01.2013 तक 8345.16 करोड़ रूंपए का कुल वित्तीय प्रतिबद्धता पूरी की गई है।

2.47 रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग ने वर्ष 2012–13 के लिए पूंजी सबसिडी के रूंप में बीसीपीएल को सम्पूर्ण बजट परिव्यय 1552 करोड़ रूंपए निर्गत कर दिया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वित्त मंत्रालय से 2012–13 अनुदान के लिए अनुपूरक मांग में वास्तविक आवश्यकता के अधार पर 800 करोड़ रूंपए की अतिरिक्त पूंजी सबसिडी का प्रस्ताव किया था। तथापि, एजीसीपी को 2012–13 में कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं दिया गया है। तदानुसार, विभाग ने योजना आयोग से वार्षिक योजना 2013–14 में 1000 करोड़ रूंपए का बजटीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि एजीसीपी की पूंजी सबसिडी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। लापेटकाटा, दुलियाजान एवं लकवा स्थलों पर परियोजना की गतिविधियां पूरे जोर–शोर पर हैं। सभी प्रमुख अनुबंध और क्रय आदेश दिए जा चुके हैं। सिविल एवं संरचना कार्य पूरे होने के कगार पर हैं।

2.48 निदेशक (वित्त), बीसीपीएल के त्यागपत्र देने के पश्चात नए वयिक्त को नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है।

2.49 असम गैस क्रैकर परियोजना से रोजगार सृजन होने की संभावना है क्योंकि डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग एवं सहयोगी गतिविधियों में भारी निवेश हुई है। यह परियोजना असम राज्य एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आर्थिक रूंप से महत्वपूर्ण है।

रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी)

2.50 सीडब्ल्यूसी सार्वभौमिक भेदभाव रहित, बहुपक्षीय, निरस्त्रीकरण संधि है जो सभी प्रकार के रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन अधिग्रहण, अंतरण उपयोग एवं भंडारण को प्रतिबंधित करता है। भारत इस संधि का भागीदार है। दिनांक 30.09.2011 के अनुसार 188 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। भारत के पास इस समझौते के संगत पूर्ण विकसित रसायन उद्योग हैं। सीडब्ल्यूसी अधिनियम, 2000 के लिए यह विभाग प्रशासनिक विभाग भी है जो इस देश में लागू

है। इस सीडब्ल्यूसी क्रियाकलाप संबंध में कार्य के आबंटन के क्रम में रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग रसायन उद्योग के मामलों और विशेष रूप से घोषणाओं की तैयारी, ओपीसीडब्ल्यू की टीमों द्वारा निरीक्षणों का सरलीकरण के बारे में उद्योग में जागरूकता के सृजन के लिए भी उत्तरदायी है।

2.51 घोषणाएं और सत्यापन समझौते के क्रियान्वयन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रत्येक पक्षकार देश से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसूचित रासायनों के उत्पादन, आयात और निर्यात और उनके उत्पादन केन्द्रों की वार्षिक घोषणा करें। अन्य कार्बनिक रसायन का उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थलों की बड़ी संख्या के संबंध में भी घोषणा किए जाने की अपेक्षा की जाती है। भारत निर्धारित समय–सीमा में घोषणाएं करता रहा है।

2.52 ओपीसीडब्ल्यू द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिएनियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं कि अनुसूचित रासायनों से जुड़े क्रियाकलाप समझौते के प्रावधानों के अनुरूप है। भारत को (31.12. 2012 के अनुसार) 131 निरीक्षण अब तक प्राप्त हुए हैं। इसमें 2011 के दौरान भारत द्वारा अब तक प्राप्त सफलता पूर्वक सम्पन्न किए गए 21 निरीक्षण शामिल हैं। रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग निरीक्षण आयोजित करने और साथ ही इसके वास्तविक उत्तरदायित्व के लिए अग्रिम तैयारी को सुकर बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों में एस्कार्ट अधिकारियों को तैनात करता है। सीडब्ल्यूसी के अन्तर्गत अपनी बाध्यताओं के लिए रसायन उद्योग द्वारा अनुपालन को सुकर बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी के लिए संगत रसायन उद्योग की संघनता वाले विभिन्न स्थानों पर विभाग ने भारतीय रसायन परिषद के सहयोग से पीपीपी मोड़ में हेल्पडेस्क भी स्थापित किया है। इन हेल्पडेस्कों के निम्नलिखित कवरेज हैः–

स्थान	शामिल राज्य
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, ओड़िसा और छत्तीसगढ़
कोलकाता	बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र
दिल्ली	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंड़ीगढ़, उत्तराखण्ड और जम्मू कश्मीर
मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि
चैन्नई	तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल
वड़ोदरा	गुजरात

2.53 निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए हेल्प–डेस्क की स्थापना की गई है:–

i. सीडब्ल्यूसी अधिनियम के अन्तर्गत रसायन उद्योग की प्रतिबद्धताओं के ब्यौरे को शामिल करते हुए एक स्पष्ट विहंगम दृष्टि देते हुए सभी स्टेट धारकों को सीडब्ल्यूसी के बारे में सूचना देना।

ii. उद्योग के सर्वे के माध्यम से संभावित घोषणा कर्त्ता इकाइयों की पहचान तथा घोषणा दायर करने में उनकी सहायता करना।

iii. सीडब्ल्यूसी के अन्तर्गत यथानिर्धारित प्रोफार्मे में घोषणाएं करने में इकाइयों की सहायता करना।

iv. रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग के परामर्श से परिचालन के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार किया जाना।

v. आस–पड़ोस में जागरूंकता कार्यशालाएं आयोजित करना। इस अवधि के दौरान 15 जागरूंकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

vi. रासायनिक हथियार समझौते का यथोचित प्रचार–प्रसार करें।

vii. विभाग को अपने द्वारा किए गए क्रियाकलापों के बारे में मासिक रिपोर्ट भेजें।

viii. संयंत्रों के दौरे और घोषणा सामाग्र यिों की समीक्षा के माध्यम से अनुसूचित इकाइयों द्वारा दायर घोषणाओं के ठीक होने के सत्यापन कार्य में विभाग की सहायता करना।

ix. सीडब्ल्यूसी अधिनियम से संबंधित इसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

2.54 विगत में, पूर्वानुमानित क्रिया–कलापों की वार्षिक घोषणाएं(एडीएए) और विगत क्रिया–कलापों की वार्षिक घोषणाएं(एडीपीए) फैसिलिटीज द्वारा मैन्यूअली प्रस्तुत की गयी थी। घोषणाओं की बढ़ती संख्याओं को देखते हुए और घोषणाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उधेश्य से, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने एनआईसी के सहयोग से एक प्रणाली तैयार करने की पहल की है जिसके द्वारा घोषणाकर्ता ऑनलाइन घोषणा दर्ज करेंगे। अपनी घोषणा को ऑनलाइन दर्ज करा पाने की घोषणाकर्त्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए एनआईसी द्वारा तैयार साफ्टवेयर की दिनांक 30. 09.2011 को शुरूंआत की गयी। एडीएए 2012 को एनएसीडब्ल्यूसी को इलेक्ट्रॉनिक रूंप से भेज दी गई है।

इण्डिया केम 2012

2.55 भारतीय रसायन उद्योग को संवर्द्धित करने के लिए भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग तथा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज(फिक्की) ''इंडिया–केम'' कार्यक्रम श्रंखला प्रत्येक दूसरे वर्ष संयुक्त रूंप से आयोजित करता है। यह कार्यक्रम भारतीय रसायन उद्योग को अपनी क्षमता अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सम्मुख प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। रसायन, पेट्रोरसायन एवं औषध उद्योग के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के भाग लेने से भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय विकास देखने का अवसर प्राप्त होता है।

2.56 इंडिया–केम अंतर्राष्ट्रीय प्रदशर्नी एवं सम्मेलन के 7वें अंक का आयोजन 04–06 अक्टूबर, 2012 के बीच मुबंई में आयोजित हुआ था। इंडिया–केम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2012 का नाम ''उभरता भारत रसायन क्षेत्र में सतत विकास'' रखा गया था।

2.57 4 अक्टूबर, 2012 को प्रणव मुखर्जी, भारत के राष्ट्रपति ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री के. शंकरनारायण ने की और इस अवसर पर माननीय मंत्री(रसायन एवं उर्वरक) श्री एम. के. अलागिरी व माननीय राज्यमंत्री(रसायन एवं उर्वरक) श्री श्रीकांत कुमार जेना उपस्थित थे। इस सम्मेलन में रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र के अग्रणी उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया।

2.58 उद्घाटन संबोधन में भारत के राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करते हुए हरित रसायन व सतत उपायों को अपनाकर भारतीय रसायन उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया। उन्होंने उद्योग की क्षमता के भरपूर दोहन के लिए अनुसंधान व विकास पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने फिक्की द्वारा तैयार रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग का हैंडबुक भी जारी किया।

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा इंडिया केम, 2012 का उद्घाटन। इस अवसर पर माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) श्री एम. के. अलागिरी व माननीय राज्यमंत्री(रसायन एवं उर्वरक) श्री श्रीकांत कुमार जेना उपस्थित थे।

2.59 इंडिया केम के साथ–साथ, निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित हुएः

i) भारत व जापान में रसायन क्षेत्र के विकास के लिए सतत उपायों के संबंध में परस्पर समय बढ़ाने व सूचना के आदान–प्रदान के लिए माहौल तैयार करने के लिए द्वितीय इंडो–जापान उद्योग रसायन नीति संवाद आयोजित किया गया। इस संवाद में रसायन प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिसमें पर्यावरण पर प्रभाव जैसे प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव संरक्षण, पुनः चक्रण, तकनीकी बाधाएं सहित दोनों देशों के बीच रसायन व्यापार को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। आईपीएफटी, गुड़गांव ने नए कीटनाशक फार्मूलेशन के विकास के क्षेत्र में जापान को प्रौद्योगिकी प्रदान करने की पेशकश की।

ii) विश्व भर में रसायन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुधों पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए वैश्विक उद्योग संघों का एक रसायन सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 25 संगठनों व उद्योग संघो ने हिस्सा लिया।

iii) रसायन, रंजक, कीटनाशक, आवश्यक तेलों आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केमिकल द्वारा एक व्युतक्रम रसायन क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजत की गई थी। 16 देशों जैसे आस्ट्रेलिया, बंग्लादेश, मिस्र, ईरान, मैक्सिकों व सऊंदी अरब के 38 अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं सहित 180 शिष्टमंडल ने इस बैठक में हिस्सा लिया।

iv) एक सीईओ बैठक आयोजित की गई थी जिसमें रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग के 50 अग्रणी उद्यमियों ने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय उद्योग की परिचर्चा को प्रभावित करने वाले कारणों पर चर्चा करने व सरकारी कार्यलयों में त्वरित अनापततियों को प्राप्त करने के लिए नए उपायों पर चर्चा की गई।

v) इस क्षेत्र में सतत विकास एवं नवोन्मेषण सुनिश्चित करने के लिए फिक्की ने ''फिक्की रसायन एंव पेट्रोरसायन अवार्ड स्कीम'' का गठन किया था और ये पुरस्कार इंडिया–केम, 2012 में प्रदान किए गए।

vi) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में, 274 कंपनियां जिसमें 140 विदेशों से थी, ने हिस्सा लिया। इससे भारतीय कंपनियों को अपनी क्षमता व संभावनाएं पेश करने के लिए एक मंच प्राप्त हुआ।

vii) सम्मेलन में 11 सत्र हुए जिसमें क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मुधों जैसे अवसंरचना, नवोन्मेषण व हरित रसायन, रसायन उद्योग में सुरक्षा, पीसीपीआईआर, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, पेट्रोरसायन क्षेत्र में वृद्धि के अवसर, विशेषीकृत रसायन आदि पर चर्चा की गई।

खतरनाक रसायनों के व्यापार के लिए पूर्व सूचना सहमति पर रोटरडैम कन्वेशन

2.60 पीआईसी यानी पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया पर रोटरडैम कन्वेशन को रोटरडैम में प्लेनिपोटेनटरिज सम्मेलन में 10 सितम्बर, 1998 को अपनाया गया। यह समझौता 24.2.2004 से लागू हुआ। भारत ने 24.5.2006 को अपनी सहमति दी।

2.61 इन कन्वेंशन का लक्ष्य जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित पक्षों के बीच सामूहिक उत्तरदायित्व एवं सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह खतरनाक रसायनों के आयात–निर्यात के बारे में राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया की व्यवस्था करके उनकी विशेषताओं के बारे में सूचना के आदान– प्रदान को सुकर बना कर तथा पार्टियों को इन निर्णयों की जानकारी देकर पर्यावरणीय रूप से इनके सुरक्षित उपयोग में भी योगदान देना चाहता है।

प्रमुख प्रावधान

2.62 इस समझौते में पेस्टीसाइड्स और औद्योगिक रसायन शामिल हैं जिन्हें पार्टियों द्वारा स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित कर दिया गया है या सख्ती से सीमित कर दिया गया है और जिन्हें पाटियों द्वारा पीआईसी प्रक्रिया में शामिल किए जाने हेतु अधिसूचित किया गया है।

2.63 32 पेस्टीसाइडों, 4 अत्यन्त खतरनाक पेस्टीसाइड फार्मूलेशनों और 11 औद्योगिक रसायनों सहित समझौते के अनुबंध–III में 43 रसायन सूचीबद्व और पीआईसी प्रक्रिया के अध्यधीन है। पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पीआईसी सचिवालय को इन रसायनों से सम्बन्धित अपनी आयात नीति की जानकारी दें।

2.64 प्रत्येक पक्ष से आशा की जाती है कि वह समझौते के अन्तर्गत अपेक्षित प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण नामित करें। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग औद्योगिक रसायनों के लिए पदनामित राष्ट्रीय प्राधिकरण है और कृषि और सहयोग विभाग पेस्टीसाइड्स के लिए पदनामित राष्ट्रीय प्राधिकरण (डीएनए) है।

2.65 निर्यातक पक्ष को आयातक देश में प्रतिबंधित और सख्ती से सीमित रसायनों के सम्बन्ध में आयातक पक्ष को निर्यात अधिसूचना प्रदान करनी पड़ती है। औद्योगिक रसायनों के लिए अन्य पक्षों से प्राप्त निर्यात अधिसूचनाओं की रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, जो रसायन के लिए डीएनए है, द्वारा जांच की जाती है और निर्यातक देश के डीएनए को पावती/उत्तर भेजा जाता है।

स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपीज) संबंधी स्टाकहोम समझौता

2.66 स्टॉक होम समझौता स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपीज) से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने की वैश्विक संधि है। पीओपीज ऐसे रसायन हैं जो लम्बी अवधि के लिए पर्यावरण में अक्षुण्ण रहते हैं, भौगोलिक रूंप से व्यापक रूंप से संवितरित हो जाते हैं, जीवित जीवों (लिविंग आर्गनिज्म्स) के वसायुक्त टिश्यू में जमा हो जाते है और मनुष्यों तथा वन्य जीवों के लिए जहरीलें होते हैं। पीओपीज विश्वभर में फैला सकते हैं और ये जहॉ कहीं भी जाएंगें, नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझौते में यह निर्धारित किया गया है कि इसके क्रियान्वयन में सरकारों को पर्यावरण में पीओपी के निर्गम को समाप्त करने या कम करने का उपाय करना होगा। यह समझौता 17 मई, 2004 को लागू हुआ। भारत ने 13–01–2006 को इस समझौते की अभिपुष्टि की।

2.67 स्टॉकहोम समझौते में जानबूझ कर उत्पादित सभी पीओपीज (औद्योगिक रसायन एवं पेस्टीसाइड्स) की समापति या उसपर प्रतिबंध की मांग की गई है। इस समझौते में डॉयोक्सिन और फ्यूरोन्स जैसे अनजाने में उत्पादित पीओपीज के निर्गम का निरंतर अल्पीकरण और जहां कहीं व्यवहार्य हों, इसकी पूर्ण समाप्ति की भी मांग की गई है। वर्तमान में, स्टॉकहोम समझौते के अन्तर्गत इक्कीस रसायन शामिल हैं जिसमें से भारत में डीडीटी का उपयोग प्रतिबंधित है। कृषि के उधेश्यों के लिए डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मलेरिया नियंत्रण में उपयोग के लिए ही इसका सीमित तरीके से उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रसायन डेलड्रीन

जोकि स्टॉक होम समझौते के अन्तर्गत सूचीबद्व भी है, का प्रयोग टिड्डियों के नियंत्रण के लिए सीमित तरीके से किया जाता है।

2.68 पीओपीज वाले स्टॉक पाइल्स तथा कचरे का अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, मानकों और मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित, दक्ष और पर्यावरणानुकुल तरीके से निश्चित रूंप से प्रबंधन और नियन्त्रण किया जाना चाहिए। प्रत्येक देश को इस समझौते के अन्तर्गत अपनी बाध्यताओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी योजना विकसित करने की आवश्यकता है। समझौते के क्रियान्वयन में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए एक अंतरिम वित्तीय तंत्र रूंप में वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा (जीईएफ) की स्थापना की गई है।

रजिस्ट्रेशन इवैल्यूएशन ऑथोरेजाइशन ऑफ केमिकल्स (रीच)

2.69 यूरोपियन यूनियन ने रीच (रसायनों का पंजीकरण, मूल्यांकन एवं प्राधिकरण) संबंधी कानून अधिनियमित किया है। जिसमें उद्योग को उत्पादों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इस नए कानून में यह परिकल्पित है:—

पंजीकरण:— प्रतिवर्ष 1 टन से अधिक की मात्रा में विनिर्मित या आयातित रसायनों के सुरक्षित उपयोग के बारे में सूचना देना अपेक्षित है।

मूल्यांकन:— पूर्णता के लिए उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मूल्यांकन किया जाएगा, और

प्राधिकरण:— अत्यधिक चिंता वाले पदार्थ के उपयोग का अतिरिक्त मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा और इसे अनुमोदित किया जा सकता है यदि नियंत्रण पर्याप्त है या विकल्प अनर्थक्षम हैं। विकल्पत: यदि जोखिमों को प्रबंधित करने वाले अपेक्षित उपायों को अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है।

2.70 ईयू द्वारा लागू रीच कानून 1 जून, 2007 से प्रभावी हुआ है। ईयू स्थित यूरोपियन केमिकल एजेंसी के पास व्यापारी एवं विनिर्माताओं द्वारा रसायन के पूर्व पंजीकरण की प्रक्रिया 1 दिसम्बर, 2008 को बंद हो गई। 1 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, भारत से 650 कम्पनियों ने केमेक्सिल के माध्यम से 7500 पदार्थों का पूर्व पंजीकृत कराया है। कई अन्य कम्पनियॉ है जिन्होंने सीधे ही ईसीएचए में अपने उत्पादों को पूर्वपंजीकृत करवाया है।

2.71 2.71 पूर्व पंजीकरण चरण के बंद होने के साथ ईसीएचए के पास पंजीकरण की आखिरी समय सीमा निम्नानुसार हैः–

1000 मी.टन से अधिक मात्रा में बाजार में लाए गए पदार्थ या अत्यधिक चिंता वाले पदार्थ	1.12.10
100–1000 मी0ट0 की मात्रा में बाजार में लाए गए पदार्थ	1.6.13
100 मी0ट0 तक की मात्रा में बाजार में लाए गए पदार्थ	1.6.18

2.72 ईयू को रसायन निर्यातकों की सहायता देने के लिए केमेक्सिल में क्रीच हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। रीच की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्यातकों का मार्गदर्शन करता है। साथ ही, निर्यातित रसायनों के पंजीकरण में कार्य को सुविधाजनक बनाता है। हिस्से करने और इसके द्वारा शामिल लागत में करने के लक्ष्य के साथ केमेक्सिल ने दिसम्बर, 2010 तक पंजीकृत किए जाने वाले पदार्थ के सम्बन्ध में स्थानीय परिसंघ गठित करने के लिए कदम उठाए हैं। अब तक 150 पदार्थों के सम्बन्ध में 56 ऐसे परिसंघ गठित किए जा चुके हैं।

अध्याय – III

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी

भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना

3.1 विश्व की सबसे दुखद औद्योगिक दुर्घटना 2/3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि को हुई जब भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्टरी के 2 टैंकों में रखी हुई मिथाइल आइसोसायनेट (मिक) नामक एक घातक गैस के वातावरण में फैलने के कारण भोपाल शहर में भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और घायल हुए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा दुर्घटना के तत्काल बाद विभिन्न राहत और पुनर्वास उपाय किए गए। ये राहत उपाय अभी तक जारी हैं।

3.2 यूसीआईएल और इसके प्रबंधन के विरूंद्ध बड़ी संख्या में विभिन्न न्यायालयों में दीवानी और आपराधिक मामले दायर किए गए थे। पीड़ितों को उचित कानूनी हक सुनिश्चित कराने और उनके दावों के निपटारे के लिए भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत एक योजना तैयार की। सभी दावों के संबंध में अधिनिर्णय और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने के लिए कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित कार्यालय की स्थापना की गई थी।

3.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14 एवं 15 फरवरी, 1989 के अपने आदेशों एवं निपटान द्वारा अंतिम रूंप से भोपाल गैस पीड़ितों को भुगतान किये जाने वाले मुआवजा राशि पर विवाद का निपटान कर दिया। निपटान में, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन को 470 मिलियन यूएस डॉलर मुआवजा राशि भुगतान करने का निर्देश दिया जिसे कंपनी ने फरवरी, 1989 में सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दिया।

मुआवजा दावों का अधिनिर्णय

3.4 कल्याण आयुक्त का कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना 1985 में भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों के बीच मुआवजा राशि का शीघ्रता से संवितरण के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। मुआवजा का वास्तविक संवितरण नवम्बर,1992 में आरंभ किया जा सका जब उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्तूबर,1992 को मुआवजा भुगतान के तरीकों का निर्धारण किया।

30.09.2012 तक लगभग 5,74,375 दावेदारों को 1548.56 करोड़ रूपये बांटे जा चुके हैं। 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार, मूल मुआवजा दावों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	कुल दी गई राशि (मूल) (रू. करोड़ में)
1	मृत्यु	5295	54.64
2	स्थायी अपंगता	4902*	25.18
3	अस्थायी अपंगता	35,455**	137.66
4	अत्यधिक गंभीर मामले	42	0.41
5	मामूली चोटें	5,27,894***	1,328.54
6	संपत्ति/पीएसयू की हानि	555	2.01
7	पशुधन की हानि	233	0.11
योग		**5,74,376**	**1548.55**

*, **, *** मृत्यु श्रेणी के अन्तर्गत दावा किए गए 10,047 मामलों में, अधिनिर्णय के उपरांत, स्थायी अपंगता के मामले (1703 मामले), अस्थायी अपंगता (1783 मामले) और शेष मामलों पर मामूली चोट (6561 मामले) के अधीन विचार किया गया। इस तरह विभिन्न श्रेणियों में मामलों की कुल संख्या इस प्रकार रहीः– स्थायी अपंगता – 4,902 (3199 + 1703), अस्थायी अपंगता – 35,455(33672 + 1783) और मामूली चोटें – 5,27,894(5,21,333 + 6,561)।

3.5 उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 19 जुलाई, 2004 के आदेश में कल्याण आयुक्त को उन व्यक्तियों जिनके दावे यथा अनुपात के आधार पर निपटाए गए, को निपटाए गए, बगैर निपटाए और लंबित दावों की संख्या पर विचार करते हुए लगभग 1500 करोड़ रू0 की शेष राशि यथानुपात रूंप से (मूल मुआवजा के 1:1 के अनुपात में) संवितरित करने का निर्देश दिया था। यथानुपात मुआवजे का संवितरण उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार 15 नवम्बर, 2004 से शुरूं हुआ। 30.08.2012 तक 1510.60 करोड़ रू0 यथानुपात आधार पर 5,62,792 दावाकर्त्ताओं को संवितरित किए गए थे। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य जारी है। कल्याण आयुक्त ने यथानुपात मुआवजे के लिए अनुपस्थित दावेदारों के मामले को बंद करने के मामले पर उच्चतम न्यायालय से निदेश मांगा है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अभी तक कोई आदेश/निदेश जारी नहीं किया है।

3.6 सरकार ने, मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर गैस पीड़ितों के निम्नलिखित श्रेणियों में अनुग्रह राशि के भुगतान का निर्णय लिया हैः–

श्रेणी	अनुग्रह राशि
मृत्यु	₹ 10 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
स्थायी अपंगता	₹ 5 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अत्यंत गंभीर चोटें	₹ 5 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
कैंसर मामले	₹ 2 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
पूरी तरह किडनी असफलता के मामले	₹ 2 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अस्थायी अपंगता	₹ 1 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)

3.7 सरकार द्वारा उपरोक्त श्रेणियों के पीड़ितों के बीच अनुग्रह राशि के संवितरण के लिए ₹740.28 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई और उपर्युक्त श्रेणियों के पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए कल्याण आयुक्त को जारी कर दिए गए हैं। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने 19.12.2010 को गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना शुरूं किया। 15.10.2012 तक 471,428 मामलों में निर्णय लिया गया और 674.01 करोड़ रुंपए संवितरित किए गए हैं। भारत सरकार ने मार्च, 2012 को कैंसर एवं पूरी तरह किडनी फेल होने के 9000 अतिरिक्त मामलों के बीच 134 करोड़ रूंपए की अनुग्रह राशि भुगतान करने को अनुमोदत किया।

भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कार्ययोजना

3.8 प्रारंभिक राहत एवं पुनर्वास उपायों के रूंप में, पुनर्वास कार्य चलाने के लिए 1985 से 4 वर्षों तक केन्द्र सरकार ने 102 करोड़ रूंपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। तदुपरांत, गैस पीड़ितों की चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुर्नवास के लिए केन्द्र सरकार ने 163.10 करोड़ रूंपये के निर्गम के साथ एक कार्ययोजना को अनुमोदित किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 258 करोड़ रूंपये कर दिया गया। यह निर्णय लिया गया था कि इस निर्गम को केन्द्र सरकार एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 अनुपात में वहन किया जाएगा और तदनुसार केन्द्र सरकार ने अपने 75% अंश के बराबर 193.50 करोड़ रूंपए जारी किए। कार्य योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं के संबंध में रखरखाव एवं आवर्ती व्ययों के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार की अपनी वार्षिक योजना में समुचित प्रावधान करने का सुझाव दिया गया था।

3.9 मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए किए जाने वाले विभिन्न पुनर्वास उपायों के लिए ₹982.75 करोड़ के परिव्यय के साथ कार्य योजना पर एक नया ज्ञापन अप्रैल, 2008 में मंत्रियों के समूह (जीओएम) के समक्ष प्रस्तुत किया था। सरकार ने, मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न पुर्नवास उपायों के लिए प्रथम दृष्टया 75:25 के आधार पर राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)

के रूप में ₹272.75 करोड़ की मंजूरी प्रदान की थी।

भोपाल में विशिष्ट अस्पताल

3.10 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पूर्व यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन द्वारा अति विशिष्ट सुविधाओं सहित एक विशेष अस्पताल का निर्माण किया गया है जिसका नाम भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी) है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, विशिष्ट अस्पताल के निर्माण तथा प्रबंधन की देखभाल के लिए अगस्त, 1998 में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री ए एम अहमदी की अध्यक्षता में ''भोपाल मेमोरियल अस्पताल ट्रस्ट'' नामक एक नया न्यास गठित किया गया है। अस्पताल ने जुलाई, 2000 से कार्य आरंभ कर दिया है।

3.11 इस अस्पताल में ह्य्दय वक्षीय शल्य चिकित्सा, वृक्क संबंधी चिकित्सा, मूत्र विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, मस्तिष्क शल्य चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, फुफ्फुसीय चिकित्सा, मनोविज्ञान आदि जैसी 12 विधाओं में सुविधाओं सहित 330 बिस्तर उपलबध हैं। गैस पीड़ितों के लिए भोपाल के गैस प्रभावित वार्डों में 8 मिनी यूनिटें स्थापित की गई हैं। अस्पताल तथा इसकी मिनी यूनिटों के चालू होने के समय से ही भर्ती गैस प्रभावित रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और मिनी यूनिटों तथा मुख्य बीएमएचआरसी अस्पताल (ओ पी डी सेन्टर) में आने वाले गैस पीड़ितों को निःशुल्क दवाईयां प्रदान की जा रही हैं। अस्पताल गैस पीड़ितों को दी गई शल्य चिकित्सा संबंधी सुविधाओं पर होने वाले खर्च को भी वहन करता है और ह्य्दय रोगियों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए भी व्यवस्था करता है।

3.12 केंद्र सरकार ने जून, 2011 में मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर नाभिकीय ऊंर्जा विभाग एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से बी एम एच आर सी के अधिग्रहण का निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय ने 19.07.2010 को इस निर्णय की पुषटि कर दी। सितंबर, 2011 में सचिवों की समिति ने नाभकीय ऊंर्जा विभाग द्वारा बीएमआरसी को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा विधिवत् तथा समुचित रूप से अधिग्रहण तथा इसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, संबंधी लाए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया और मंत्रिमंडल ने 04.01.2012 को हुई बैठक में इसे अनुमोदित किया गया।

यूसीआईएल संयंत्र स्थल को पर्यावरणीय उपचारण

3.13 यूसीआईएल संयंत्र स्थल के पर्यावरणीय उपचारण के बारे में 2802/2004 में दायर लोक हित याचिका पर सुनवाई करते समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल स्थित संयंत्र स्थल के समग्र पर्यावरणीय उपचारण के समन्वय के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सचिव की

अध्यक्षता में 2005 में कृतिकबल का गठन किया था। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करके मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में संयंत्र स्थल और उसके आसपास के जहरीले कचरे को हटाने/के निपटान के लिए तीन चरण वाला रोड मैप तेयार किया था जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमोदित कर दिया था। 21.07.2010 तक कृतिक बल रोडमैप के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों का समन्वय कर रहा है जिसमें संयंत्र स्थल पर पड़े एकत्रित जहरीले कचरे को हटाया जाना/निपटाना करना, संयंत्र स्थल और उसके आस–पास के क्षेत्र में संदूषित मिट्टी और भू–जल का पूर्ण उपचारण और संयंत्र का ध्वंस और समापति शामिल है। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 21.7.2010 के आदेश के पश्चात से पूर्व कृतिक बल को समाप्त करते हुए कृतिक बल समिति क रूंप में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राजय मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता ओर मंत्री, बीजीटीआर एंड आर विभाग, मध्य प्रदेश सरकर की सह–अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति को पुनः नामित किया।

3.14 यूसीआईएल संयंत्र में भंडारित 390 एमटी विषैले अपशिष्ट में से 40 एमटी लाइम स्लज को जून, 2008 में पीतमपुर स्थित शोधन, भंडारण एवं निपटान सुविधा केन्द्र (टीएसडीएफ) में निपटाया गया। अंकलेश्वर, गुजरात स्थित वीईआईएल भस्मक में शेष 350 एमटी विषैले अपशिष्ट को भस्म किए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों को गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाईयों की श्रृंखला के पश्चात दिनांक 28 जनवरी, 2010 के आदेश के माध्यम से एसएलपी का निपटान किया और पीतमपुर, मध्यप्रदेश स्थित नए भस्मक को शीघ्र शुरूं करने ताकि उस भस्मक में अपशिष्ट का दहन किया जा सके, के कार्यदल के निर्णय की पुष्टि की। तदनुसार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात पीतमपुर में भस्मक को परीक्षण के तौर पर मई, 2010 में शुरूं किया गया। गैर यूसीआईएल कचरे से परीक्षण के तौर पर भस्मक का संचालन सफलतापूर्वक पूरा होने और भस्मक के स्थायी होने के बाद, यूसीआईएल अपशिष्ट के साथ भस्मक को परीक्षण के तौर पर चलाया जाएगा।

3.15 सरकार के निर्णय के अनुसार, मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री की सह–अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपचारी कार्रवाई के सहयोग एवं निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया। सरकार ने प्रदूषक की ओर से मुआवजा दावे को लंबित रखते हुए 310 करोड़ रूंपए की वर्तमान अनुमानित उपचारी लागत का वहन करने का निर्णय भी लिया। प्रदूषक की देयता नियत करने के संबंधित मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लमबित है।

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पर मंत्रियों का समूह

3.16 भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों एवं उनके परिवारों की राहत एवं पुनर्वास से संबंधित उपचारी उपायों से संबंधित सभी मुधों की जांच करने और समुचित सिफारिश करने के संबंध में वर्तमान मंत्रियों के समूह का पुर्नगठन 26 मई, 2010 को किया गया था। मंत्रियों के समूह की लगातार चार दिनों तक 18.06.2010 से 21.06.2010 तक बैठक हुई और त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक एवं आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया। मंत्रियों के समूह ने मुआवजा, वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण, वैधानिक मामलों, भोपाल स्मृति अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुधों, पर्यावरण संबंधित मुधों एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई नई कार्य योजना पर चर्चा की। मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल ने विभिन्न निर्णय लिए और नियत समय सीमा के अधीन इन निर्णयों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये। मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुरूप भोपाल गैस पीड़ितों के लिए विभिन्न पुनर्वास उपायों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 75:25 की हिस्सेदारी के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार को 272.75 करोड़ रूपए और कुछ श्रेणियों के पीड़ितों को अनुग्रह राशि के संवितरण के लिए 740.28 करोड़ रूपए प्रदान किए गए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम), भोपाल के दिनांक 07.06.2010 के आदेश के विरूद्ध सत्र न्यायालय में संशोधित आवेदन एवं अपील दायर की और 13.09.1996 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरूद्ध क्यूरेटिव याचिका भी दायर की। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं विदेश मंत्रालय ने अप्रैल, 2011 में वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के मामले को विधि मंत्रालय के परामर्श के साथ आगे बढ़ा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार द्वारा बीएमएचटी के अधिग्रहण करने के निर्णय की पुष्टि कर दी। आईसीएमआर का 31वां अनुसंधान केन्द्र भोपाल में पूरी तरह कार्य करने लगेगा। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने उच्चमत न्यायालय के 1989 और 1991 के उसके निर्णय जिसमें यू0 एस0 डालर 470 मिलियन की क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया, के विरुंद्ध अतिरिक्त मुआवजे की मांग के लिए 3.12.2010 को क्यूरेटिव याचिका दायर की। रिट याचिका स0 2802/2004 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक स्थानांतरण याचिका भी दायर की गयी है।

3.17 मंत्रिसमूह ने यह भी सिफारिश की थी कि पीतमपुर में स्थित टीएसडीफ में 350 एमटी विषैले अपशिष्ट के दहन से संबंधित मुधे की आगे ओवरसाइट समिति द्वारा, इसके निपटान के लिए पद्धति/प्रौद्योगिकी तथा स्थल चुनाव के संबंध में शीर्ष समीक्षा समिति के अंतिम सिफारिशों के आधार पर, आगे जांच की जाएगी। शीर्ष समीक्षा समिति समिति का गठन संयंत्र स्थल एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के पर्यावरणीय उपचार के लिए एनईईआरआई, एनजीआरआई और आईमार्टसीटी रिर्पोटों की समीक्षा के लिए गठित की गयी थी। शीर्ष समीक्षा समिति की अंतिम रिपोर्ट को विज्ञान

एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ओवरसाइट समिति को सौंप दिया गया है। उक्त अपशिष्ट को पीतमपुर स्थित भस्मक में दहन करने में मध्यप्रदेश सरकार की असमर्थता के मधेनजर 350 एमटी विषैले अपशिष्ट के निपटान के मुधे पर ओवरसाइट समिति द्वारा 24 मार्च, 2011 एवं 25 मई, 2011 को हुई बैठक में चर्चा की गयी। ओवरसाइट समिति ने नागपुर, महाराष्ट्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन(डीआरडीओ) के भस्मक सुविधा केंद्र में विषैले अपशिष्ट के निपटान के विकल्प पर विचार किया। इस विषैले अपशिष्ट के नागपुर में प्रवेश एवं निपटान के विरुद्ध निजी पक्षों द्वारा दायर एक जनहित याचिका का बाम्बे उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई, 2011 को निपटारा कर दिया था और महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(एमपीसीबी) को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर जहाँ न्यायालय में यह मामला लंबित है, से संपर्क करने का निर्देश दिया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.07.2011 एवं 11.08.2011 के आदेश के माध्यम में नागपुर तक अपशिष्ट के परिवहन को स्थगित कर दिया और एमपीसीबी को नमूनों का विश्लेषण करने व डीआरडीओ सुविधा, नागपुर का निरीक्षण करने का निर्देश दिया तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि डीआरडीओं सुविधा में भस्म करने से निकट रहने वाले लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। एमपीसीबी ने विषैले अपशिष्ट के निपटान से खतरे की संभावना के विश्लेषण में अपनी असमर्थता जताई और न्यायालय में 9.12.2011 को कहा कि डीआरडीओं को सांविधिक अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि डीआरडीओं द्वारा सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भोपाल गैस कचरे को पीतमपुर स्थित परिवहन, भंडारण एवं निपटान सुविधा(टीएसडीएफ) में निपटाने के पूर्व निर्णय, जिसे उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2010 में अनुमोदित किया है और मंत्रिमंडल ने जून, 2010 में अनुशंसित किया है, को क्रियान्वित करने का निर्णय 22.2.2012 को लिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को अपने निर्णय से सूचित करने के उपरांत न्यायालय ने 05.03.2012 को सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

3.18 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 4.12.2012 के आदेश में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सम्मुख सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को व्यक्तिगत रूंप से हाजिर होने से छूट प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश सरकार, एमपीपीसीबी, सीपीसीबी इत्यादि को पीतमपुर, मध्य प्रदेश में कचरें (350 एमटी) के भष्मीकरण करने के लिए 22.02.2012 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए पूर्ण रूंप से सहयोग देने और पीतमपुर में ऐसे भष्मीकरण को भी किए जाने का भी निर्देश दिया। पार्टियों की सुनवाई के पश्चात, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11.5.2012 के आदेश में पीतमपुर में कचरें को भस्म करने के अपने दिनांक 04.04.2012 के पूर्व आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित किया,

जबकि यह भी निदेश दिया कि भारत सरकार जीआईजेड के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय ले सकता है। भारत सरकार ने भोपाल गैस कचरे को निपटाने के लिए जर्मनी ले जाने के जीआईजेड के प्रस्ताव को भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर निर्णय लिया था। मध्य प्रदेश सरकार एवं जीआईजेड के बीच अनुबंध को अंतिम रूंप देने के लिए जीआईजेड के साथ चर्चा हुई थी और जीआईजेड ने जर्मनी में नकारात्मक प्रचार के कारण प्रस्ताव को 17.9.2012 को वापिस ले लिया। जीओएम ने 22.10.2012 को अपनी बैठक में सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एवं सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव कि टीएसडीएफ, पीतमपुर में कचरा दहन की प्रक्रिया को जारी रखने और 2 माह के भीतर वास्तविक भोपाल कचरे को परीक्षण के तौर पर दहन करने तथा उसके बाद भोपाल कचरे के नमूने को पीतमपुर लाने और दहन करने, के उपरांत इस निर्णय को अनुमोदित किया। यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

अध्याय – IV

सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

4.1 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को रसायनों/मध्यवर्तियों के लिए विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के लिए 12 दिसम्बर, 1960 को निगमित किया गया था जो रंजक, रंजक मध्यवर्तियों, रबड़ रसायनों, पेस्टिसाइड्स, औषधों और भेषजों, लेमिनेट्स आदि के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। यह आशा थी कि इन रसायनों एवं मध्यवर्तियों के स्वदेशी विनिर्माण से डाउनस्ट्रीम उद्योग को गति मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में देश के लिए आत्मनिर्भरता की प्रापित होगी और रसायन इकाइयों की स्थापना होगी। एच ओ सी एल को स्थापित करने का यह उधेश्य प्राप्त कर लिया गया है क्योंकि इस समय एचओसीएल के उत्पादों पर आधारित 500 से भी अधिक इकाइयां देश भर में स्थापित की गई हैं जिनसे न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली है, बल्कि इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रवेश किया है और ये कई वर्षों से रसायनों, रंजकों और औषधों का निर्यात करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही हैं।

4.2 एचओसीएल द्वारा विनिर्मित उत्पादों में फिनाल, एसीटोन, फार्मेलडिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, एनीलीन, नाइट्रोटोल्यून, सलफ्यूरिक एसिड /ओल्यूम, ऐसीटेनेलांइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल हैं। एचओसीएल द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल में बेंजीन, टोल्यून, एलपीजी, मेथनोल, नेफ्था और सल्फर शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश पेट्रोलियम रिफाइनरियों से आते हैं। एचओसीएल देश में तरल राकेट उड़ान एन2 ओ4 का एकमात्र विनिर्माता है।

4.3 एचओसीएल की दो इकाइयाँ रसायनी (महाराष्ट्र) में और कोच्चि (केरल) में हैं। इसकी मै0 हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी भी है जो रूंद्रराम (आंध्र प्रदेश) में स्थित है और यह पोलीटेट्रा–फ्लूरो इथाइलीन (पीटीएफई) का विनिर्माण करती है जो कि एक उच्च प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग प्लास्टिक है।

4.4 कंपनी को फरवरी, 2005 में बीआरएफआर को संदर्भ किया और बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 9.3.2006 को एक पुनर्वास प्रस्ताव अनुमोदित एवं क्रियान्वित किया गया जिसमें गैर संचयी वरियता शेयर को 8% पर पुर्नभुगतान के आधार पर उच्च लागत बांडों एवं वीआरएस के भुगतान के लिए, 31.3.2005 तक के दंड ब्याज की माफी और ब्याज पर ब्याज की माफी तथा भारत सरकार के 100 करोड़ रूंपए की गारंटी को 10 वर्षों तक उपयोग

करने के लिए 250 करोड़ रू0 का नकद निषेचन शामिल है। इस वित्तीय पुर्नसंरचना के उपरांत कंपनी का नेटवर्थ सकारात्मक हो गया और कंपनी एसआईसीए, 1985 के अनुसार बीआईएफआर से बाहर आ गई।

4.5 कोच्चि इकाई वर्ष भर अपने संस्थापित क्षमता का 100 प्रतिशत से अधिक उपयोग करती रही है क्योंकि बीपीसीएल– केआर और एचओसी प्लांट के बीच स्थापित पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से कच्चे माल की लगातार आपूर्ति करने के लिए उपाय किए गए, जिससे कंपनी को बाधा रहित उत्पादन कार्य निष्पादन को सुचारूं रूंप से बनाने में मदद मिली। इससे कंपनी को सैंपलिंग के लिए बाह्य खर्चे व व्ययों को कम करने व टैंकर तथा लॉरियों से कच्चा माल प्राप्त होने की दशा में होने वाले हानि पर पूरा नियंत्रण करके पूर्णतः समाप्त करने में मदद मिली।

4.6 एचओसीएल उत्पादन लागत कम करन का प्रयास कर रहा है। रसायनी में, एनीलीन उत्पादन के लिए नापथा ईंधन को सीएनजी से प्रतिस्थापित किया गया हे। इसी तरह, कोच्चि में एलएसएफओ ईंधन को 2013 के मध्य तक आरएलएनजी से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा जिसमें फिनॉल व एसीटोन के उत्पादन लागत में कमी आ जाएगी। कंपनी हाइड्रोजन पैराआक्साइड एवं एन2 ओ4 के उत्पादन की बाधाओं को भी दूर कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एचओसीएल को पुनः प्रगति के पथ पर लाने के लिए, रसायनी में उपलब्ध भूमि की उपयोग करने के लिए आरसीएफ, बीसीपीएल, जेएनपीटी आदि के साथ विलय या संयुकत उद्यम के विकल्प की संभावना भी तलाश रहा है।

नये प्रस्ताव एवं परियोजनाएं

4.7 विगत 5 वर्षों के दौरान कंपनी का भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (मी0 टन)	टर्नओवर (करोड़ रू.)	शुभ लाभ/हानी (करोड़ रू.)
2007-08	242013	666.59	(+) 13.61
2008-09	245192	620.9	(-) 25.27
2009-10	221249	520.71	(-) 83.07
2010-11	238684	738.03	(+)25.71
2011-12	178792	606.37	(-) 78.07

4.8 एचओसीएल ने निम्नलिखित नई परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है:

i) रसायनी में नाइट्रिक एसिड संयंत्र के नवीकरण के लिए एनओक्स ब्लोआर

ii) रसायनी में नाइट्रिक सएड प्लांट के लिए एयर कंप्रेशर एवं रेफ्रीजरेटर कंप्रेशर

iii) रसायनी में फारमलडिहाइड संयंत्र में मिथेनॉल नेपोटाजर

iv) रसायनी संयंत्र में कच्ची सामग्री भंडारण टैंक

v) कोच्चि इकाई में लो सल्फर फर्नेस ऑयल(एलएसएफो) को आरएलएनजी में हॉट ऑयल यूनिट, ब्यॉलर संयत्र व कैपटिव पावर प्लांट(सीपीपी) में बदलना।

मैसर्स हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड

4.9 मैसर्स हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है। एचएफएल 14.07.1983 को विनिगमित किया गया था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 1402, बाबूखान एस्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद में है। कंपनी पॉली–ट्रा फ्लूरो इथाइलीन (पीटीएफई) एवं क्लोरो–डाई–फ्लूरो मिथेन (सीएफएम– 22) के निर्माण में संलग्न है। पीटीएफई का रसायन, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक उद्योग में बहुतायत में इस्तेमाल होता है और रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में रणनीतिक अनुप्रयोग है। इसकी फैक्ट्री रूंद्रराम, मेडक जिला, आंध्रप्रदेश में अवस्थित है।

4.10 कंपनी बीआईएफआर के अधीन है। प्रचालन एजेंसी मै0 आईडीबीआई में अधीन पुनर्वास पैकेज को बीआईएफआर द्वारा 03.12.2007 को अनुमोदित किया गया था। एचओसीएल प्रबंधन ने इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पुनर्वास प्रस्ताव में मुख्य रूप से सीएफएम–22 के उत्पादन के दौरान सीएफएम–23 का ताप ऑक्सीकरण है जो कि स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) का हकदार है। कंपनी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आयोजक देश के दर्जे के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और यह परियोजना वातावरण परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र नीति निर्धारण सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) बोर्ड द्वारा 14 नवम्बर, 2008 को पंजीकृत किया गया। कंपनी फ्लूरो विशेषीकृत रसायन के लाभप्रद व्यापार में विविधीकरण और फ्लूरों विशेषीकृत रसायन जैसे टीएफई– इथर पहली बार भारत में विकसित किया है और गत तीन वर्षों से सफलतापूर्वक बिक्री कर रहा है। एचएफएल ने 2011–12 में 252.25 लाख रुंपए का निवल लाभ अर्जित किया है जबकि गत वर्ष में निवल लाभा 223.47 लाख रुंपए था।

4.11 गत पांच वर्षों के दौरान कंपनी का भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन निम्नानुसार था:

वर्ष	कारोबार (लाख रू. में)	शुभ लाभ (रू. लाख में)
2007-08	1181.67	3996.4
2008-09	1599	55.51
2009-10	2023.13	306.27
2010-11	3352.42	223.47
2011-12	5032.53	252.25

4.12 एचएफएल की निम्नलिखित परियोजनाएं शुरूं करने की योजना है:

i) मोनोमर संयंत्र की बाधाएं दूर करना

ii) विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर(वीएसएससी), तिरूंअनंतपुरम के लिए एफईपी वेसिन का विनिर्माण

iii) फ्लूरो विशेषीकृत रसायन के निर्माण के लिए एएफटीपीएल के साथ संयुक्त उद्यम

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड

4.13 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच आई एल) को 1954 में निगमित किया गया था और भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एनएमईपी) जिसे अब नेशनल वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के रूंप में जाना जाता है, की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इसके द्वारा डीडीटी के विनिर्माण हेतु दिल्ली में इसकी फैक्टरी लगाई गई। संयंत्र में उत्पादन अप्रैल, 1955 में प्रारंभ हुआ। इस कंपनी ने 1957 में कोचीन के पास उद्योगमंडल में डीडीटी के विनिर्माण हेतु अपनी दूसरी फैक्टरी स्थापित की। कंपनी ने 1977 में रसायनी, महाराष्ट्र में मेलाथियान जो जन स्वास्थ्य हेतु कीटनाशक है, के विनिर्माण हेतु एक संयंत्र स्थापित किया। आज एचआईएल की तीन विनिमार्ण इकाइयां केरल में उद्योग मंडल, महाराष्ट्र में रसायनी एवं पंजाब में भंटिडा में अवस्थित हैं। कंपनी की सभी विनिमार्ण इकाइयां आईएसओ प्रमाणित हैं ओर आईएसओ 9001:2000, आईएसओ 14001:2004 व आईएसओ 18001:2007 की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। कंपनी का कारपोरेट कार्यालय आईएसओ प्रमाणित है।

4.14 एचआईएल ने डीडीटी के विनिमाण्र व आपूर्ति के जरिए खतरनाक रोगों जैसे मलेरिया, काला अजार, डेंगू, जापानी एपसेफलैटिस आदि की रोकथाम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डीडीटी आज भी इन रोगों को रोकने जो जल जनित मच्छरों से उत्पन्न होते हैं की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। डीडीटी जोकि पूरे कारोबार का लगभग 48% है, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जनित रोग रिवारण कार्यक्रम में आपूर्ति की जाती है। कंपनी विश्व के अग्रण डीडीटी आपूर्तिकर्ता के रूंप में उभरा है। यूनिडो जिम्बबे में आपूर्ति के

लिए एचआईएल से डीडीटी की खरीद करता है। एचआईएल ने वर्ष 2011–12 के दौरान दक्षिण अफ्रीका नामीबिया को डीडीटी की आपूर्ति की है।

4.15 एचआईएल ने कृषि समुदाय को उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण कीटनाशक की आपूर्ति के लिए सातवें दशक के उत्तरार्ध में कृषि–रसायन के क्षेत्र में विविधिकरण किया था। कृषि रसायन की बिक्री दिल्ली, अहमदाबाद, कोयंबटूर, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर एवं बैंगलोर स्थित 7 क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से कृषि रसायन की बिक्री करता है। कंपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य व कृषि सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ताकि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य व कृषि उत्पादकता बढ़ा कर खुशहाली लाई जा सके।

4.16 कंपनी को, उच्चतम न्यायालय द्वारा 14 मई, 2011 को एंडोसल्फान, जोकि कुल बिक्री कारोबार का 20% था, पर प्रतिबंध लगाने से एक चुनौती का सामना करना पड़ा है। एंडोसल्फान पर रोक लगने के बावजूद भी कंपनी का कारोबार गत वर्ष में 271.04 करोड़ रूपए की तुलना में इस वर्ष कारोबार 279.82 करोड़ रुपए रहा है, जोकि स्थापना से अब तक का उच्चतम कारोबार है।

4.17 गत 5 वर्षों के दौरान कंपनी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार था:

(रू0 करोड में)

वर्ष	उत्पादन (एमटी)	बिक्री कारोबार	(शुभ लाभ/हानी)
2007-08	19845	210.19	(+)06.52
2008-09	16415	215.35	(+)02.71
2009-10	18253	243.88	(+)03.06
2010-11	17473	271.04	(+)01.58
2011-12	16363	279.82	(+)01.60

4.18 नई परियोनाएं एवं प्रस्ताव

i) कंपनी ने मौजूदा बाजार व नए बाजार में तेजी से आगे बढ़ने और अपनी स्थिति और सुदृढ़ करने की रणनीति तैयार की है। एक नया क्षेत्र बीज व्यापार का क्षेत्र है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने फसल व सबजियों उत्पादन व प्रमाणित बीजों के विपणन के लिए एचआईएल को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। एचआईएल को एक स्थान कृषि केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जमीनी कार्य पूरा हो चुका अर्थात दो महत्वपूर्ण कृषि आदान जैसे बीज व कीटनाशक प्रदान करेगा।

ii) कंपनी ने इंडोर रेसिड्यू स्प्रे के रूप में उपयोग के लिए एक नए उत्पाद के विकास के लिए भी पहल शुरूं की है। यह नया उत्पाद जल जनित रोग के नियंत्रण में एक प्रमुख कदम होगा।

यह कार्य एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में किया जा रहा है जिसकी निगरानी वैज्ञानिकों एवं अभियंताओं का दल करता है।

iii) कंपनी के पास सुरक्षित, आर्थिक एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशी फार्मूलेशन के विकास के लिए केंद्रीय अनुसंधान व विकास परिसर, गुड़गांव में एक सुसज्जित अनुसंधान दल है। मिट्टी की उर्वरता को पुनः प्राप्त करने और मिट्टी की प्रतिक्रिया व रसायन की प्रवृत्ति को सुधारने के लिए देश के विभिन्न भागों से नमूने एकत्रित किए गए हैं ताकि मिट्टी सुधारक (केक्टीफायर) पर अनुसंधान किया जा सके। इससे किसानों के साथ–साथ एचआईएल को भी लाभ प्राप्त होने की आशा है।

iv) अपने उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए, एचआईएल, कृभको, बीवीएफसीएल, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लि0, नेशनल फर्टिलाइजर लि0, राजफेड आदि के डीलर नेटवर्क के सराथ उत्पाद के वितरण हेतु गठबंधन किया है।

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल)

4.19 बीसीपीएल का गठन 08 जनवरी, 2007 को हुआ था। यह असम गैस क्रैकर परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है जिसका विवरण इस रिपोर्ट के खंड 2.43 से 2.49 में दिया गया है।

अध्याय – V

स्वायत्त संस्थान

सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)

5.1 केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) देश में प्लास्टिक और इससे जुड़े उद्योगों के विकास के लिए शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी सहायता और अनुसंधान (एटीआर) संबंधी सभी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रति समर्पित स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है। सिपेट देश भर में फैले 23 स्थानों से प्रवक्ता मॉडल (हब एण्ड स्पोक्स मॉडल) में परिचालन करता है :

- चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, लखनऊं एवं कोच्चि में 5 उच्च स्तरीय शिक्षण केंद्र शामिल हैं।
- सिपेट के अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, हाजीपुर, हल्दिया, जयपुर, इम्फाल, मैसूर और पानीपत में 11 पारंपरिक केन्द्र हैं।
- सिपेट के 2 आरएंडडी विंग–एडवांस रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिम्यूलेशन (एआरएसटीपीएस), मदुरई और लेबोरेटरी फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलिमेरिक मेटेरियल (एलएआरपीएम), भुवनेश्वर;
- 2 विशेष यूनिट– एडवांस टूलिंग एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर (एटीपीडीसी) और एडवांस प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सेंटर (एपीपीटीसी)
- 2 लोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, गुवाहटी में स्थित हैं।
- देश में प्लास्टिक और इससे जुड़े उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिपेट के सभी केंद्रों पर डिजाइन–कैड/कैम/सीएई, टूलिंग एवं मोल्डिंग विनिर्माण, प्लास्टिक प्रोसेसिंग एवं टेस्टिंग तथा गुणत्ता आश्वासन के क्षेत्र में एक ही स्थान पर एक समान अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

शैक्षणिक कार्यक्रम

दीर्घकालिक कार्यक्रम

5.2 5.2 शैक्षणिक क्षेत्र में, सिपेट विभिन्न स्तर की प्रवेश योग्यता के साथ 11 विभिन्न दीर्घकालिक कार्यक्रम जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी, आयोजित करता है।

संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न दीर्घकालिक कार्यक्रम निम्नानुसार हैं –

- तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी (डीपीटी)
- तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (डाएमपीटी)
- डेढ़ वर्षीय पूर्णकालिक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाईन सीएडी/सीएएम के साथ
- डेढ़ वर्षीय पूर्णकालिक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग (पीजीडी–पीपीटी)
- चार वर्षीय पूर्णकालिक बी.टेक (प्लास्टिक इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी)
- चार वर्षीय पूर्णकालिक बी.ई/बी.टेक (मैन्यूफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी)
- दो वर्षीय पूर्णकालिक एम.टेक (प्लास्टिक इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी)
- दो वर्षीय पूर्णकालिक एम.टेक (पॉलीमर नैनोटेक्नोलॉजी)
- दो वर्षीय पूर्णकालिक एम.ई. (सीएडी/सीएएम)
- दो वर्षीय पूर्णकालिक एम.एस.सी (बायो पॉलीमर साइंस)
- पांच वर्षीय पूर्णकालिक एम.एस.सी (टेक.) इन मैटेरियल साइंस इंजीनियरिंग

5.3 संबंधित ख्यातिप्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से उच्च शिक्षण केंद्रों में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

5.4 वर्ष 2011–12 में, दीर्घकालिक कार्यक्रमों में 9523 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा वर्ष 2012–13 में, 10,542 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 11% अधिक है।

अल्पकालिक कार्यक्रम

5.5 नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त पॉलीमर साइंस एण्ड टेक्नोलोजी के क्षेत्र में प्लास्टिक तथा सहयोगी उद्योग के तकनीकी कामगारों के लिए कुशलता तथा दक्षता में सुधार के लिए संस्थान अतिविशिष्ट एवं आवश्यकता अनुकूल अल्पकालिक कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2011–12 में, 22,508 प्रतिभागियों ने विभिन्न दक्ष विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया तथा लाभ उठाया था। वर्ष 2012–13 में, सितम्बर, 2012 तक सिपेट में 9379 प्रतिभागियों ने इन पाठ्यक्रमों में हिस्सा लिया है।

सम्मेलन/सेमिनार/प्रदर्शनी

5.6 लेबोरेटरी फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलीमेरिक मैटेरियल (एलएआरपीएम)– सिपेट का

आर एंड डी विंग ने अहमदाबाद में 10 से 12 फरवरी, 2012 तक ''पॉलीमेरिक मैटेरियल इन एडवासमेंट (एपीएम–2012) : एक्सप्लोरिंग दि हिडेन पोटेंसिएल ऑफ पॉलीयेरिक मैटेरियल'' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन में विभिन्न थीमों पर लगभग 260 अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए गए। प्रतिभागियों में 8 विदेशी विश्वविद्यालयों से ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधानकर्त्ता एवं छात्र शामिल थे।

5.7 एपीएम 2012 के साथ ही, सिपेट के इतिहास में पहली बार खास यूजी छात्रों के लिए टेक–फीस्ट–2012 इवेंट का आयोजन किया गया था जिसमें भाऊँषण प्रतियोगिता, पोस्टर प्रेजेंटेशन, क्विज कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

5.8 सरकारी अधिकारियों, एनजीओ एवं विभिन्न स्टेक धारकों के लिए सम्मेलन/कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित करके सिपेट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के मुधे पर समाज में सक्रियता से योगदान कर रहा है। ''प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट : रिसाइकलिंग प्रौद्योगिक'' विषय पर एक कार्यशाला नई दिल्ली में 21 मार्च, 2012 को आयोजित की गई थी।

5.9 चेन्नै स्थित 5 चयनित स्कूलों में पेपरमैर(एनएनजीओ)के सहयोग से सिपेट ने जमीनी स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाईकिलिंग के लिए ''रिसाईकल वॉल'' की शुरूंआत भी की है।

संकाय विकास कार्यकम

5.10 सिपेट की फैकल्टी से यूएसए, यूके, ताइवान एवं जापान जैसे देशों में उपकरण प्रशिक्षण के लिए पदस्थापित किया गया है।

5.11 सिपेट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों जैसे चाइनाप्लास्ट, 2012, आईपीएफ 2012, एनपीई 2012, प्लास्टविजन अरेबिया, श्रीलंका प्लास्ट 2012 एवं अन्य उद्योग इवेंट जैसे प्लास्ट इंडिया 2012 एंव डाई एंड मोल्ड इंडिया प्रदर्शनी, सकल गुरूंकुल एक्जीविशन में हिस्सा लिया इनमें लगभग 150 फैकल्टी एवं तकनीकी सपीटिंग स्टाफ को पदस्थापित किया गया था और वे लाभान्वित हुए थे।

5.12 उपकरण प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी के अतिरिक्त, सिपेट स्टाफ एवं फैकल्टी ने भी विभिन्न इन–हाउस फैकल्टी विकास कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। लगभग 25 स्टाफ सदस्यों को पीडीआई अनुरक्षकों के रूंप में आईएसओ/आईईसी 17020 के अनुसार प्रशिक्षित किया गया था।

5.13 रिसर्च स्कालर को सहयोगी पीएचडी कार्यक्रमों को ग्रीन प्रोजेक्ट के अधीन टोरोन्टों विश्वविद्यालय, कनाडा में पदस्थापित किया गया है।

5.14 वर्ष 2012–13 के दौरान, सितम्बर, 2012 तक देश व विदेश में 148 फैकल्टी को सम्मेलन/सेमिनार/सिंपोजियम/उपकरण प्रशिक्षण/एफडीपी में भाग लेने व दक्षता स्तर बढ़ाने के लिए भेजा गया।

प्रौद्योगिकी सहयोग/सेवा

5.15 सिपेट को प्रौद्योगिकी सहयोग सेवा प्रदान करने का प्रतिष्ठित कार्य सौंपा गया है। रिर्पोटिंग अवधि के दौरान, सिपेट द्वारा निम्नलिखित प्रमुख प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान की गई हैं :

i) टीएनसीएससी, तमिलनाडु सरकार के लिए मिक्सी, पंखे एवं ग्राइंडर के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन से संबंधित परीक्षण एवं परामर्श सेवाएं।

ii) मैसर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, दमदम के लिए ट्विन कंटेनर प्रोजेक्ट के लिए मोल्ड का निमार्ण।

iii) मैसर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री–दमदम के लिए मल्टीमोड हैंड्ग्रेनेड परियोजना के लिए मोल्ड का निमार्ण।

iv) इसरो, बैंगलोर के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लए प्रीसीजन कंपोनेंटस का निर्माण व आपूर्ति।

v) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के लिए गर्भ–निरोधक उपकरणों का परीक्षण एवं मूल्यांकन।

vi) सिपेट द्वारा प्लास्टिक उत्पादो के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी की विशेषज्ञता को प्लास्टिक सहयोगी उत्पादो के लिए विभिन्न केंद्रीय व राज्य सरकार संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त।

vii) वर्ष 2011–12 के लिए, सिपेट ने देश भर में विभिन्न ख्यातिप्राप्त उद्योग/संस्थान/राज्य सरकार एजेंसियों से 35169 कार्य प्राप्त किए। आशा हे कि वर्ष 2012–13 में 38,000 कार्य किए जाएंगे।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

5.16 रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, सिपेट के आर एंड डी प्रभाग (एलएआरपीएम और एआरएसटीपीएस) के माध्यम से निम्नलिखित आर एंड डी गतिविधियां शुरूं की गई हैः–

i) डीएसटी, सीएसआईआर, ओआईडीबी, डीसीपीसी आदि जेसी निधियन एजेंसियों से प्रयोजित आर एंड डी परियोजनाएं निष्पादित की गई हैं।

ii) उच्च प्रभाव वाले अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में 16 अनुसंधान पत्र प्रकाशित हुए हैं और विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रस्तुत किए गए हैं।

iii) 12 छात्र पॉलीमर साईंस व टेक्नोलोजी के क्षेत्र में पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत हुए हैं।

iv) 100 एम टेक थिसिस कार्य निष्पादित किए गए हैं।

वैश्विक परिसंवाद

5.17 सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 1 से 6 अप्रैल, 2012 तक यूएसए और कनाडा का दौरा किया (i) एनपीई 2012–अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक शोकेस एवं एक्जीविशन में ऑरलेंडो, यूएसए में हिस्सा लिया तथा (ii) सिपेट व मिशिडान स्टेट विश्वविद्यालय, यूएसए तथा टोरेंटो विश्वविद्यालय, कनाडा के बीच छात्र/संकाय एक्सचेंज कार्यक्रम, कोलेबोरेटिव अनुसंधान व शैक्षणिक सामग्री एक्सचेंज आदि के लिए एमओयू की प्रगति की समीक्षा की।

5.18 अन्य भारतीय शिष्ट मंडल ने होस्टन व सैन फ्रांसिस्को, यूएसए का 26 मार्च से 2 अप्रैल, 2012 तक दौरा किया। दौरे के दौरान, शिष्टमंडल में विश्व पेट्रोरसायन सम्मेलन, 2012 में हिस्सा लिया और उद्योग एवं सरकारी अधिकारियों के साथ प्लास्टिक रिसाइकलिंग व अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र पर चर्चा की।

5.19 महानिदेशक, सिपेट ने भारतीय शिष्टमंडल के साथ चाइनाप्लाट 2012 में हिस्सा लिया जोकि 18–21 अप्रैल, 2012 के बीच शंघाई, चीन में आयोजित किया गया था। दौरों के दौरान, सिपेट व शंघाई विश्वविद्यालय, पीआर चीन के संकाय/छात्र विनिमय कार्यक्रम व सहकारी अनुसंधान पॉलीमार विज्ञान अनुसंधान की दिशा में एमओयू पर हस्ताक्षर किया।

श्रीमती नीलकमल दरबारी, भा0 प्र0 से0, संयुकत सचिव(पीसी), रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग द्वारा शंघाई विश्वविद्यालय, शंघाई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

5.20 ''पीवीसी, एचडीपीई–पाइप्स एवं फिटिंग्स जिसमें एचडीपीई पाइपों की वेल्डिंग शामिल हैं की प्रोसेसिंग व परीक्षण'' विषय पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम मैसर्स टोपाज मल्टी इंडस्ट्रीज, एसएआरएल, गुएना, पश्चिम अफ्रीका द्वारा 21 मई से 1 जून, 2012 तक आयोजित की गई थी।

महत्वपूर्ण घटनाएं

5.21 5.21 उच्च शिक्षण केंद्र को माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार श्री एम.के. अलागिरी ने राष्ट्र को 26 मार्च, 2012 को आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटन किया।

श्री एम. के. अलागिरि, माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री द्वारा
26 मार्च, 2012 को उच्च शिक्षण केंद्र का उद्घाटन

5.22 कोच्चि स्थित बायो–पॉलीमर साईंस एंड टेक्नोलोजी(सीबीपीएसटी) बायो–पॉलीमर साईंस व टेक्नोलोजी में शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए आदर्श केंद्र होगा। यह केंद्र मौजूदा उद्योगों को तकनीकी सलाह व परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा और उद्यमियों को बॉयो–पॉलीमर आधारित विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देगा। सीबीपीएसटी के मुख्य लक्ष्य निम्नानुसार हैः

- बायो–पॉलीमर विज्ञान व प्रौद्योगिकी में विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम के माध्यम से पात्र प्रोफेशनल के लिए ज्ञान केंद्र सृजित करना।
- बायो–पॉलीमर के वाणिज्यिक रूंप से विकास में शैक्षणिक व अनुप्रयोग अनुसंधान के बीच की दूरी को इस करना।
- बायो प्लास्टिक/बायो पॉलीमर, बायो मैटेरियल, नैचुरल फाइबर, कंपोस्टेबल मैटेरियल व बायो मैटेरियल आधारित नैनो टेक्नोलोजी के विकास आदि में आर एंड डी प्रोजेक्ट शुरूं करना।
- केंद्र का उद्घाटन 25 अगस्त, 2012 को श्री एम.के. अलागिरी, माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय एवं ओमेन चंडी, माननीय मुख्यमंत्री, केरल द्वारा संयुक्त रूंप से उद्घाटन किया गया।

सेंटर फॉर बायोपॉलिमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीबीपीएसटी) कोच्चि का श्री एम.के. अलागिरी, माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय एवं ओमेन चंडी, माननीय मुख्यमंत्री, केरल द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।

कीटनाशक सूत्रयोग प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)

5.23 इन्स्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नालॉजी (आईपीएफटी) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मई, 1991 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक लाभनिरपेक्ष संगठन है। आई.पी.एफ.टी. ने पेस्टीसाइड उद्योगों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं और यह सुरक्षित, कार्यकुशल व पर्यावरण के अनुकूल सूत्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने में सक्षम रहा है। आई.पी.एफ.टी. में तीन मुख्य प्रभाग और एक प्रायोगिक संयंत्र शामिल है। यह इंस्टीट्यूट घरेलू तथा बाह्य, दोनों प्रकार की परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है।

संस्थान के लक्ष्य

5.24 संस्थान के बर्हिनियम के अनुसार आईपीएफटी के मुख्य लक्ष्य निम्नानुसार हैं:–

i) विश्वस्तरीय उपयोगकर्ता एवं पर्यावरण मैत्रीय कीटनाशक फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी का विकास एवं उत्पादन।

ii) नए फार्मूलेशनों के मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष अनुप्रयोग टेक्नोलॉजी का संवर्द्धन।

iii) सुरक्षित विनिर्माण परंपरा, गुणवत्ता आश्वासन, कच्ची सामग्री मानकीकरण एवं स्त्रोत से संबंधित जानकारी का आदान–प्रदान।

iv) विश्लेषणात्मक एवं परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करना।

v) कृषि रसायन क्षेत्र में कार्य कर रहे कीटनाशी वैज्ञानिकों की योग्यता एवं उपयोगिता में सुधारात्मक कदम उठाना।

vi) कीटनाशी कार्मिकों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से सतत शिक्षा।

वर्ष 2012–13 के दौरान उपलब्धियां

5.25 वर्ष 2011–12 में प्रयोगशाला ने अप्रैल, 2011 में ओपीसीडब्ल्यू द्वारा आयोजित 29वें दक्षता परीक्षा में भाग लिया था और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2011–12 के लिए ओपीसीडब्ल्यू द्वारा (ग्रेड "ए") पद प्राप्त किया। आईपीएफटी ने अप्रैल, 2012 में आयोजित 31वें ओपीसीडब्ल्यू दक्षता परीक्षण में भाग लिया ओर 2012–13 के दौरान भी "पद" प्राप्त हुआ है और यह विश्वभर में कुछ "ओपीसीडब्ल्यू मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं" के प्रतिष्ठित क्लब का एक सदस्य है।

5.26 आईपीएफटी कीटनाशक व सीडब्ल्यूसी संबंधी रसायनों के विश्लेषण के लिए आईएसओ–17025(2005) के अनुसार नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरटीस (एनएबीएल) द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला हे। प्रयोगशाला का डेस्कटॉप लेखांकन अक्तूबर, 2011 में आयोजित हुआ था।

5.27 आईपीएफटी ने जून, 2011 में भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता/प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक प्राप्त किया था और यह 2012–13 में भी जारी रहा। इससे राजस्व सृजन में वृद्धि भी होगी क्योंकि आईपीएफटी, बीआईएस से जांच के लिए नमूने प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त है

5.28 आईपीएफटी ने वर्ष 2011–12 में एक पुस्तकालय स्थापित किया था और वर्ष 2012–13 में एनआईएससीएआईआर का सदस्य बन गया। सीएपीएस स्कीम के तहत आईपीएफटी अपने आर एंड डी के लिए 30 जर्नल मंगवता है।

5.29 आईपीएफटी एवं आईआईटी कानपुर के बीच एमओयू "कीटनाशक के प्रयोग के बाद हवा में कीटनाशक अवशेष को मापना" विषय पर एक सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है। आईपीएफटी एवं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसी) के बीच "ड्रोमेडरी ऊंट के मूत्र में कीटनाशक का फेरो–रसायन" शीर्षक से एक अनुसंधान शुरू किया है।

5.30 मच्छररोधी के रूंप में सिट्रोनेला तेल व पर्यावरण अनुकूल एवं त्वचा अनुकूल सर्फक्टेंट, स्टेबलाइजर्स एवं प्रिजर्वेटिव के साथ एक क्रीम फार्मूलेशन तैयार किया गया है। फिजिको–केमिकल, मच्छररोधी एवं टोक्सोकोलीजिकल (त्वचा में जलन) अध्ययन पूरा किया जा चुका है। इस क्रीम की प्रभाविकता उपलब्ध क्रीम की तुलना में वाणिज्यिक रूंप में उपलब्ध है (पेटेंट दायर किया जा चुका है)।

5.31 रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग ने ग्प्वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित तीन परियोजनाओं की अनुशंसा की है–

(i) अत्याधिक विषैले, वृहत पहुंच व प्रभावी कीटनाशकों के पानी में घुलनशील दानों, जो कि उपयोगकर्ता अनुकूलन व पर्यावरण अनुकूल है का विकास किया, जो कि उनकी विषाक्तता को कम करेगा व प्रतिबंध से बचाएगा।

(ii) बाक्यूलोवायरस का बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक व फार्मूलेशन का विकास।

(iii) समेकित निजी और घरेलू तकनीक से दीमक का प्रबंधन।

शैक्षणिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिणाम

5.32 5.32 आईपीएफटी द्वारा विभिन्न सम्मेलनों में 4 पत्र प्रस्तुत किए गए, 4 अन्य पत्र राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय जनर्लों में प्रकाशित हुए हैं, 3 पेटेंट आधारित अनुबंध व अन्य गतिविधियां की गई हैं। 5 आईपीएफटी वैज्ञानिकों को विचार प्रस्तुत करने/भाषण देने व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है।

राजस्व सृजन

5.33 आईपीएफटी ने 26 नई परियोजनाएं शुरूं की हैं और उद्योग प्रायोजित परियोजनाओं व कीटनाशक नमूने के परीक्षण के बाद चालू वित्तीय वर्ष में रिकार्ड राजस्व सृजित किया है। अप्रैल से अक्तूबर, 2012 के दौरान 28,66,100.00 रूं0 का राजस्व सृजित किया गया जबकि पूर्व वर्ष में इसी अवधि के दौरान 11,78,425.00 रूं0 सृजित किया गया था।

अध्याय – VI

सामान्य प्रशासन

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

6.1 विभाग का मुख्य कार्यकलाप विभिन्न प्रकार के रसायनों और पेट्रोरसायनों उद्योगों के लिए नीति बनाना, क्षेत्रीय आयोजना, संवर्धन तथा विकास करना है। विभिन्न प्रकार के रसायनों और पेट्रोरसायन मदों के निर्माण में संलग्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्रण विभाग का प्रमुख कार्य है।

6.2. सचिव, भारत सरकार, विभाग के प्रमुख हैं और उनकी सहायता के लिए एक वित्त सलाहकार दों संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार और दो उप महानिदेशक हैं। संगठन चार्ट अनुबंध–IV पर संलग्न है।

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के मुख्य विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूंप से विकलांगों को रोजगार

6.3. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूंप से विकलांगों के रोजगार की स्थिति 31.12.2011तक निम्न प्रकार है:–

समूह	पदों की कुल सं0	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	शारीरिक रूप से विक्लांग
क	40	3	-	-
ख	63	7	-	1
ग	84	19	3	1
कुल	**187**	**29**	**3**	**2**

6.4 समूह ''क'' पदों में अखिल भारतीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के अलावा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी, केन्द्रीय सेवाएं और अन्य विभाग/उपक्रमों के अधिकारी शामिल हैं। समूह ''ख'' और ''ग'' के पदों की भर्ती आमतौर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है।

अभिलेख प्रबंधन

6.5 केन्द्र सरकार, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों तथा कार्पोरेशन इत्यादि के सरकारी रिकार्डों के प्रबंधन, प्रशासन तथा संरक्षण करने के लिए संसद ने ''सार्वजनिक रिकार्ड अधिनियम, 1993'' नामक अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार ने नियम भी बनाए हैं। अधिनियम की धारा 5 (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सामान्य प्रशासन के अवर सचिव को विभाग में रिकार्ड अधिकारी के रूंप में नामित किया गया है। एआर एंड पीजी विभाग द्वारा संचालित प्लान स्कीम के अंतर्गत विभाग में एक आधुनिक अभिलेख कक्ष की स्थापना की गई है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनआईए) को नियमित रूंप से अपेक्षित रिपोर्ट एवं रिटर्न भेजी जाती हैं।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

6.6 विभाग में तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संबद्ध तथा नियंत्रणाधीन कार्यालयों में सांविधिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के आदेशों तथा संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने लिए प्रशासन प्रभाग के अंतर्गत एक हिन्दी अनुभाग है। संयुक्त सचिव के मार्गदर्शन में हिन्दी अनुभाग के कार्य पर्यवेक्षण के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा) और संयुक्त निदेशक (राजभाषा) हैं।

6.7 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत सभी कागजात तथा वार्षिक रिपोर्ट, कार्य निष्पादन बजट, अनुदान मांगें, संसद प्रश्न, आश्वासनों, स्थायी समिति से संबंधित कागजात तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट, मंत्रिमंडल नोट, विभागीय वेबसाइट अद्यतन करना इत्यादि अंग्रेजी तथा हिन्दी में जारी किए गए तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के आधार पर हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गए। राजभाषा विभाग द्वारा तैयार वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने प्रयास किए गए हैं।

6.8 विभाग में हिन्दी पखवाड़े का 15 से 30 सितम्बर, 2012 तक आयोजन किया गया। इस अवधि में, पांच प्रतियोगिताएँ हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी निबंध लेखन, टिप्पण एवं आलेखन एवं अनुवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए विशेष रूंप से हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। गैर–हिन्दी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पृथक पुरस्कार रखे गए थे। मेधावी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

6.9 इस विभाग में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है जिसकी नियमित बैठकें हुई। इसमें विभाग में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की गई तथा अनुपालन के लिए उपायों के सुझाव दिए गए और उनका अनुसरण किया गया। विभाग में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन को मॉनिटर करने के लिए रा0 का0 स0 की तिमाही बैठक आयोजित की गई। 27 अप्रैल, 2012 एवं 5 दिसम्बर, 2012 को दो कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

6.10 वर्ष के दौरान विभिन्न अनुभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट एकत्र कर डाटाबेस में शामिल कराने के लिए राजभाषा विभाग को भेजी गई। विभाग के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा इसमें पाई गई कमियों को सुधारने के लिए उपायों के सुझाव दिए गए। वार्षिक मूल्याकंन रिपोर्ट पर राजभाषा विभाग की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कारवाई विभाग में शुरूं की गई और आवश्यक निर्देश दिये गये।

6.11 राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के तहत तैयार कार्यक्रम के अंतर्गत, अधिकारियों तथा कर्मचारियों जिन्हें हिन्दी का ज्ञान नहीं है, उन्हें हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान दिलाने के लिए कार्यकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सरकार की इसी योजना के तहत कर्मचारियों को हिन्दी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि तथा उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर नकद पुरस्कार दिया गया।

6.12 एक वार्षिक नकद पुरस्कार योजना विद्यमान है जिसके अंतर्गत अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को संपूर्ण वर्ष के लिए अपना दैनिक वर्कशीट तैयार कर स्क्रीनिंग समिति को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना होता है।

सतर्कता संगठन की गतिविधियाँ एवं उपलबधियां

6.13 विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) पदस्थापित हैं जो विभाग के कर्मचारियों एवं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध – शिकायतों की जाँच करते हैं। निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव एवं सतर्कता अनुभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की सहायता करते हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या की जांच की गई और उन पर उचित कार्रवाई की गई।

6.14 29 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2012 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' आयोजित किया गया। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी पीएसयूज एवं स्वायत्तशासी निकायों को भी सीवीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित करने का सुझाव दिया गया। विभाग में, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रतिज्ञा दिलायी गई।

शिकायत प्रकोष्ठ

6.15 माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के निर्देशों के अनुसार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन व पेट्रोरसायन विभाग में जुलाई, 2004 में एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया। यह प्रकोष्ठ सभी रसायनों एवं पेट्रोरसायनों से संबंधित उपलब्धता, गुणवत्ता, मूल्यन, नीतिगत मामले आदि से संबंधित शिकायतों की निगरानी करता है।

6.16 इस शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना के बारे में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनो में प्रचार किया गया था। ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था, लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली(पीजीआरएएमएस) 01 अगस्त, 2005 से लागू की गई है। शिकायत प्रकोष्ठ का व्यापक प्रचार करने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के वेबसाइट पर जानकारी दी गई है और रसायन और पेट्रोरसायन के कार्यक्षेत्र में आने वाले संस्थानों/संगठनों के वेबसाइट पर भी जानकारी दी गई है ताकि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधीन संस्थानों/संगठनों के वेबसाइट से पीजीआरएएमएस तक पहुंचा जा सके। यह शिकायत कक्ष आम लोगों की शिकायतों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लिंग समता

6.17 कार्य स्थलों पर महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट कतिपय दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने एक शिकायत समिति का गठन किया है। समिति जून, 2002 से कार्यरत है।

विकलांग वयिक्तयों के अधिकार

6.18 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, विकलांग वयिक्तयों के अधिकारों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करता है।

6.19 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग समूह ''क'' में 12 तकनीकी पदों, समूह ''ग'' में स्टाफ कार चालकों के 5 पदों, वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर के 2 पदों और डिस्पैच राइडर के 1 पद तथा समूह ''घ'' के 48 पदों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है। विभाग ने समूह ''घ'' पदों में शारीरिक रूंप से

विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 पदों (1 पद बधिर विकलांग और 01 पद अस्थि विकलांगता) की पहचान की है। आरक्षण रोस्टर में बिन्दु सं. 1 अस्थि विकलांगता वाले वयिक्तयों के लिए चिन्हित किया गया है। अगले बिन्दु पर 34वीं रिक्तता को भरने के समय ही विचार किया जाएगा। अस्थि विकलांगता वाले व्यक्ति ने ओएच के लिए चिन्हित पद को भरा है। बधिर विकलांग के लिए चिन्हित पद को रिक्ति की उपलब्धता पर भरा जाएगा।

6.20 विकलांग व्यक्तियों के लिए भौतिक अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं तथा सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित की जाती है। विभाग का सूचना एवं सुविधा केन्द्र विशेष रूंप से शास्त्री भवन के भू–तल पर स्थापित किया गया है ताकि ऐसे व्यक्तियों के लिए आसानी एवं बाधारहित पहुँच सुनिश्चित हो सके। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं, यदि कोई हो, को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

सूचना का अधिकार

6.21 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, 21 जून, 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ ताकि प्रत्येक लोकप्राधिकरण के कार्यशैली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बोध आ सके। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित संगत जानकारी वेबसाइट पर इस रूंप में उपलब्ध करा दी गई थी जो आम लोगों की सहज पहुंच में हो और समझी जा सके। विभाग में सात (7) केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) जनता एवं सूचना का आग्रह करने वालों को जानकारी देने के लिए नामित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चार (4) संयुक्त सचिव एवं ऊंपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्दिष्ट विषय, जिससे वे जुडे हैं, के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूंप में भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

अनुबन्ध – I

आर एफ डी

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के लिए

परिणाम रूपरेखा दस्तावेज

(2011-12)

खंड 1:
दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य

दृष्टि - रसायन एवं पेट्रो-रसायन उद्योग का विकास एवं प्रगति एवं पर्यावरण अनुकूल प्रमुख वैश्विक देश बनने में मदद करना

लक्ष्य - रसायन एवं पेट्रो-रसायन क्षेत्र में सार्वजनिक, निजी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निवेश में उत्पादन एवं निर्यात की प्रभावी दर को बनाए रखना। उद्योग की आवश्यकता को पूरा करते हुए मानव संसाधन योजना को प्रोत्साहित करना। क्षेत्र उत्पादकता को बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल तथा क्षेत्र के दीर्घावधि विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए सतत् प्रौद्योगिकी एवं परंपरा को अपनाना

उद्देश्य -

1. रसायन क्षेत्र में विकास एवं गति को बढ़ाना।
2. पेट्रो-रसायन क्षेत्र में निवेश एवं प्रगति को संवर्द्धित करना।
3. असम गैस क्रैकर परियोजना को क्रियान्वित करना।
4. सिपेट के माध्यम से डाउन स्ट्रीम उद्योग में मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
5. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के पुर्नवास उपायों के क्रियान्वयन में प्रभावी समन्वय।
6. रसायनिक हथियार समझौता का अनुपालन।
7. राष्ट्रीय पेट्रो-रसायन नीति को लागू करना।
8. हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड लि0(एचआईएल) के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना 1
9. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि0(एचओसीएल) के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना।
10. प्लास्टिक में पर्यावरणीय चिंताओं का हल निकालना।
11. इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी को प्रभावित बनाना।

कार्य-

1. कीटनाशी अधिनियम, 1968(1968 का 46) का, कीटनाशी छोड़कर प्रशासन
2. शीरा

खंड 1 :
दृष्टि, उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्य

3 एल्कोहल-मोलेसिस से औद्योगिक एवं पेय शराब

4 डाईस्टफ एवं डाई मध्यवर्ती

5 सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को आवंटित नहीं होते

6 विभाग संबद्ध सभी उद्योग की योजना, विकास एवं नियंत्रण में सहयोग

7 भोपाल गैस रिसाव त्रासदी- इससे संबंधित विशेष कानून

8 पेट्रोरसायन

9 गैर-कोशकीय सिंथेटिक फाइबर(नायलन, पॉलिएस्टर, एक्रीलिक आदि)

10 सिंथेटिक रबड़

11 प्लास्टिक व ढांचागत वस्तुओं के निर्माण सहित प्लास्टिक

खंड 2 :
मुख्य लक्ष्य, सफलता प्रदर्शक एवं उद्देश्यों के मध्य परस्पर प्राथमिकताएं

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उत्तम	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
रसायन क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास के लिए सुविधा प्रदान करना	15.00	1.1 राष्ट्रीय रसायन नीति तैयार करना	1.1.1 टास्क फोर्स की रिपोर्ट को अंतिम रूप देना	दिनांक	1.50	30.6.2011	31.7.2011	31.8.2011	30.9.2011	31.10.2011
			1.1.2 टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर संबंधित विभागों/मंत्रालय से टिप्पणी प्राप्त करना	दिनांक	0.99	31.8.2011	30.9.2011	31.10.2011	30.11.2011	31.12.2011
			1.1.3 टास्क फोर्स की सिफारिश को क्रियान्वित करने हेतु कार्रवाई के लिए योजना को संबंधित मंत्रालय के साथ बैठक	दिनांक	0.99	31.10.2011	30.11.2011	31.12.2011	10.1.2011	31.1.2012
			1.1.4 राष्ट्रीय रसायन नीति का प्रारूप तैयार करना	दिनांक	1.50	15.12.2011	31.12.2011	15.1.2012	30.1.2012	15.2.2012
		1.2 राष्ट्रीय रसायन सुरक्षा एवं प्रबंध संस्थान की कार्रवाई शुरु करना	1.2.1 पाठ तैयार करना	दिनांक	1.50	30.6.2011	31.7.2011	31.8.2011	30.9.2011	31.10.2011
			1.2.2 संस्थान की कार्रवाई शुरु करना	दिनांक	1.50	31.10.2011	30.11.2011	31.12.2011	31.1.2012	29.2.2012
		1.3 इंडिया केम गुजरात के साथ	1.3.1 टास्क फोर्स का संविधान	दिनांक	0.18	10.4.2011	30.4.2011	15.5.2011	31.5.2011	10.6.2011

		संगठन	1.3.2 कंपनियों की भागीदारी	संख्या	0.19	115	112	110	106	105
			1.3.3 टास्क फोर्स की बैठक	संख्या	0.18	2	1	---	---	0
			1.3.4 मीडिया प्लान तैयार करना	दिनांक	0.18	30.4.2011	15.5.2011	30.5.2011	30.6.2011	1.7.2011
			1.3.5 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो द्वारा प्रचार	संख्या	0.18	2	1	---	---	0
			1.3.6 प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त करना	दिनांक	0.18	1.12.2011	10.12.2011	20.12.2011	25.12.2011	31.12.2011
		1.4 इंडिया केम 2012 का बंदोबस्त	1.4.1 स्टीयरिंग समिति का गठन	दिनांक	0.24	10.4.2011	30.4.2011	15.5.2011	30.5.2011	1.7.2011
			1.4.2 स्टीयरिंग समित की बैठकें	संख्या	0.24	3	2	1	---	0
			1.4.3 मीडिया प्लान तैयार करना	दिनांक	0.24	30.4.2011	15.5.2011	31.5.2011	30.6.2011	1.7.2011
			1.4.4 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो द्वारा प्रचार	संख्या	0.24	3	2	1	---	0
		1.5 अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष 2011	1.5.1 मीडिया अभियान शुरू करना	दिनांक	0.33	31.8.2011	15.9.2011	30.9.2011	31.10.2011	1.11.2011
			1.5.2 स्वच्छ प्रौद्योगिकी/सतत् विकास पर दो कार्यशालाओं का आयोजन	संख्या	0.33	2	1	---	---	0
			1.5.3 मीडिया अभियान का मूल्यांकन	दिनांक	0.33	15.2.2012	29.2.2012	10.3.2012	20.3.2012	28.3.2012
		1.6 डीडीटी के विकल्पों का अध्ययन	1.6.1 अध्ययन शुरू करना	दिनांक	0.50	30.6.2011	15.7.2011	31.7.2011	16.8.2011	31.8.2011

			1.6.2 समीक्षा	संख्या	0.50	2	1	---	---	0
		1.7 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना	1.7.1 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना	संख्या	2.00	4	3	2	1	0
		1.8 अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ् पार्टनररोधी एवं संरक्षा शुल्क लगाने जैसे वाणिज्यक मुद्दों को उठाना	1.8.1 त्वरित कार्रवाई एवं अनुवर्ती कार्रवाई	दिनों की संख्या	0.99	7	10	14	21	22
2. पेट्रो-रसायन क्षेत्र में निवेश व वृद्धि को बढ़ावा देना	12.00	2.1 पीसीपीआईआर की निगरानी	2.1.1 समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार उड़िसा सरकार द्वारा उड़िसा पीसीपीआईआर की अधिसूचना	दिनांक	2.00	1.3.2012	5.3.2012	15.3.2012	22.3.2012	31.3.2012
			2.1.2 समझौता ज्ञापन पर उड़िसा सरकार द्वारा प्रबंधन बोर्ड का गठन	दिनांक	2.00	30.9.2011	5.10.2011	17.10.2011	24.10.2011	31.10.2011
		2.2 तमिलनाडु सरकार के पीसीपीआईआर प्रस्ताव की प्रोसेसिंग	2.2.1 एचपीसी से अनापत्ति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीसीईए के समक्ष नोट प्रस्तुत	दिनों की संख्या	3.00	30	40	45	50	55
		2.3 पीसीपीआईआर का संवर्द्धन	2.3.1 पीसीपीआईआर के संवर्द्धन के लिए रोड शो	संख्या	2.00	4	3	2	1	0
		2.4 पीसीपीआईआर नीति की प्रभाविकता को बढ़ावा देना	2.4.1 पीसीपीआईआर की समीक्षा के लिए एचपीसी/सीओएस के लिए नोट तैयार करना	दिनांक	1.00	30.6.2011	15.7.2011	31.7.2011	15.8.2011	31.8.2011

			2.4.2 पीसीपीआईआर की सहायता हेतु लक्षित वित्त के लिए पीसीपीआईआर के अधीन स्कीम तैयार करना	दिनांक	1.00	30.9.2011	15.10.2011	31.10.2011	15.11.2011	30.11.2011
		2.5 अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ पार्टनररोधी एवं संरक्षा शुल्क लगाने जैसे वाणिज्यक मुद्दों को उठाना	2.5.1 त्वरित कार्रवाई एवं अनुवर्ती कार्रवाई	दिनों की संख्या	1.00	7	10	14	21	22
3. असम गैस क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन	10.00	3.1 वर्ष की व्यापार योजना की तुलना में उपलब्धि	3.1.1 वर्ष के व्यापार योजना की तुलना में वित्तीय प्रगति	%	3.00	100	90	85	80	75
		3.2 समय पर वित्त निर्गत करना	3.2.1 ब.अ. के अधीन पूंजी सब्सिडी निर्गत करना	दिनांक	2.00	30.9.2011	15.10.2011	20.10.2011	27.10.2011	31.3.2011
			3.2.2 सं.अ. के अधीन पूंजी सब्सिडी निर्गत करना	दिनांक	2.00	28.2.2012	10.3.2012	15.3.2012	20.3.2012	26.3.2012
		3.3 शिड्यूल के अनुसार परियोजना की प्रभावी निगरानी	3.3.1 भौतिक प्रगति	संख्या	1.50	9	7	6	4	3
			3.3.2 प्रतिवर्द्धित आदेशों की संख्या की तुलना में आदेश देना	%	1.50	100	90	80	60	50
4. सिपेट के माध्यम से डाउनस्ट्रीम उद्योग में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना	10.00	4.1 गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में सिपेट की सेवाओं में विस्तार	4.1.1 गतवर्ष की तुलना में छात्रों की % वृद्धि	%	2.50	10	8	6	4	2
			4.1.2 गतवर्ष की तुलना में प्रौद्योगिकी सहयोग सेवा से प्राप्त राजस्व में % वृद्धि	%	2.50	20	15	12	10	5

			4.1.3 गतवर्ष की तुलना में एआरएसटीपी एवं एलएआरपीएम के कार्य निष्पादन में % वृद्धि	%	2.50	20	15	12	10	5
		4.2 सिपेट में मानव संसाधन विकास	4.2.1 संकाय प्रशिक्षण में % वृद्धि	%	2.50	20	15	12	10	5
5. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के लिए पुर्नवास उपायों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी समन्वय	10.00	5.1 अनुग्रह राशि का संवितरण	5.1.1 अनुग्रह राशि के लिए सभी पात्र व्यक्तियों को सूचना जारी करना	दिनांक	5.00	31.7.2011	15.8.2011	31.8.2011	15.9.2011	30.9.2011
			5.1.2 31.10.2011 तक पात्र पीड़ितों को अनुग्रह राशि का अधिनिर्णय व संवितरण	संवितरण मामलों का %	5.00	90	85	80	76	75
6 रसायनिक हथियार समझौता(सीडब्ल्यूसी) का अनुपालन	8.00	6.1 सीडब्ल्यूसी राष्ट्रीय प्राधिकरण की समय पर घोषणा प्रस्तुत करना	6.1.1 संभावित गतिविधियों की वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना	दिनांक	1.50	15.10.2011	18.10.2011	25.10.2011	29.10.2011	1.11.2011
			6.1.2 पूर्व गतिविधियों की वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना(एडीपीए)	दिनांक	1.50	15.3.2012	20.3.2012	25.3.2012	31.3.2012	1.4.2012
		6.2 सीडब्ल्यूसी के बारे में जागरूकता सृजन	6.2.1 उद्योग के लिए सीडब्ल्यूसी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना	संख्या	1.00	12	10	8	7	6
		6.3 सीडब्ल्यूसी के अनुपालन में उद्योग को सहायता प्रदान करना	6.3.1 सीडब्ल्यूसी हेल्पडेस्क् की समीक्षा	संख्या	0.50	6	5	4	3	2
		6.4 सीडब्ल्यूसी अधिनियम में संशोधन	6.4.1 प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना	दिनांक	1.50	31.8.2011	15.9.2011	30.9.2011	15.10.2011	31.10.2011

		6.5 घोषणाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए प्रणाली शुरू करना	6.5.1 प्रणाली शुरू करना	दिनांक	1.00	30.9.2011	14.10.2011	30.11.2011	15.12.2011	31.12.2011
		6.6 घोषण के प्रस्तुतीकरण के साथ संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण	6.6.1 घोषणाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण पर कार्यशाला	संख्या	0.50	2	1	---	---	0
		6.7 ओपीसीडब्ल्यू/भारतीय रसायन परिषद के साथ रसायनिक सुरक्षा एवं सतत विकास पर कार्यशाला	6.7.1 ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करना	संख्या	0.50	2	1	---	---	0
7 राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति का प्रचालन	8.00	7.1 राष्ट्रीय पेट्रोरसासयन नीति के अधीन पहल करना	7.1.1 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का चयन	दिनांक	1.50	15.2.2012	1.3.2012	15.3.2012	20.3.2012	31.3.2012
			7.1.2 उत्कृष्टता केंद्र के लिए द्वितीय किश्त निर्गत करना	दिनांक	1.50	15.12.2011	31.1.2012	15.2.2012	28.2.2012	1.3.2012
			7.1.3 दो प्लास्टिक पार्कों को अंतिम अनुमोदन देना	दिनांक	1.50	1.2.2012	15.2.2012	1.3.2012	15.3.2012	31.3.2012
			7.1.4 प्लास्टिक विकास परिषद की बैठक आयोजित करना	संख्या	0.50	2	1	---	---	0
			7.1.5 प्रमुख क्षेत्रों में अंतर मंत्रालयी बैठक आयोजित करना	संख्या	0.50	2	1	---	---	0

			7.1.6 परीक्षण सुविधाओं में जांच करने के लिए परीक्षण सुविधाओं का सृजन	दिनांक	1.50	1.12.2011	1.1.2012	20.1.2012	15.2.2012	1.3.2012
			7.1.7 पेट्रोरसायन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक् पर रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए स्टेक धारकों के साथ परिचर्चा	संख्या	1.00	3	2	---	---	0
8 हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि(एचआईएल) के कार्य निष्पादन में सुधार	3.00	8.1 एमओयू के अधीन प्रगति की समीक्षा	8.1.1 समीक्षा की संख्या	संख्या	1.50	4	3	2	1	0
		8.2 योजना प्रस्तावों एवं उनकी संस्तुति का मूल्यांकन	8.2.1 योजनागत गुणों की बजटीय राशि की समीक्षा	दिनांक	0.75	10.3.2012	15.3.2012	20.3.2012	25.3.2012	26.3.2012
		8.3 बहुउत्पाद परियोजना संयंत्र के क्रियान्वयन की निगरानी	8.3.1 परियोजना पूरा होने की तिथि	दिनांक	0.75	31.12.2011	31.1.2012	29.2.2012	15.1.2012	31.3.2012
9 हिन्दुस्तान आर्गेनिक रसायन लि0(एचओसीएल) के कार्य निष्पादन की समीक्षा	3.00	9.1 एमओयू के अधीन प्रगति व कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा	9.1.1 समीक्षा की संख्या	संख्या	1.5.	4	3	2	1	0
		9.2 एचओसीएल में ईआरपी के क्रियान्वयन का पूरा होना	9.2.1 ऑनलाईन ईआरपी की तिथि	दिनांक	1.50	1.12.2011	1.1.2012	15.1.2012	31.2.2012	15.2.2012
10 प्लास्टिक में पर्यावरणीय चिंता को दूर करना	4.00	10.1 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहन	10.1.1 आगे प्रगति के लिए उद्योग के साथ चर्चा	संख्या	1.00	4	3	2	1	0

			10.1.2 जेएनएनयूआरएम के अधीन निधियन के लिए शहरी विकास मंत्रालय/शहरी स्थानीय निकाय के साथ पुनःचक्रण प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजना	संख्या	2.00	3	2	1	---	0
			10.1.3 उद्योग के साथ जागरूकता सृजन कार्यक्रम	संख्या	1.00	3	2	1	---	0
11. इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी को प्रभावी बनाना	2.00	11.1 सेवाओं में विस्तार व सुदृढ़ीकरण	11.1.1 2010-11 की तुलना में राजस्व में प्रतिशत वृद्धि	%	2.00	25	20	15	10	5
* आरएफडी के कार्यकरण को प्रभावी बनाना	3.00	अनुमोदन हेतु प्रस्ताव को समय पर सौंपना	ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.00	07.03.2012	08.03.2012	09.03.2012	10.03.2012	11.03.2012
		परिणामों का समय प्रस्तुति	ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.00	01.05.2012	03.05.2012	04.05.2012	05.05.2012	06.05.2012
* आंतरिक प्रभाविकता/प्रत्युत्तर/ मंत्रालय/विभाग की सेवाओं में सुधार	10.00	विभाग से प्रासंगिक एआरसी-II की सिफारिशों की 3 प्रमुख सिफारिशों की पहचान करना व क्रियान्वयन	विभाग से प्रासंगिक एआरसी-II रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	10.12.2012	15.12.2012	20.12.2012	24.12.2012	31.12.2012

		भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों से संबंधित विभागीय गतिविधि को पहचान करना व उन्हें लागू करने के लिए कार्य योजना बनाना	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्र को रोकने के लिए कार्ययोजना के अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	10.12.2012	15.12.2012	20.12.2012	24.12.2012	31.12.2012
		विभाग/मंत्रालय में ई ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना विकसित करना	ई ऑफिस के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	10.12.2012	15.12.2012	20.12.2012	24.12.2012	31.12.2012
		आईएसओ 9001 प्रमाणपत्र के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना को विकसित करना	आईएसओ 9001 प्रमाणपत्र के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.00	10.12.2012	15.12.2012	20.12.2012	24.12.2012	31.12.2012
		सेवोत्तम का क्रियान्वयन	नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखांकन	%	1.00	100	95	90	85	80
			शिकायत विवरण तंत्र के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखाकंन	%	1.00	100	95	90	85	80
* वित्तीय उत्तरदायित्व रूपरेखा में अनुपालन सुनिश्चित करना	2.00	सीएंडएजी के ऑडिट पैरा पर एटीएनएस का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएंडएजी द्वारा प्रस्तुतीकरण की तिथि से स्थिति तिथि(4 माह) के भीतर एटीएनएस की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60

		पीएसी पर पीएएसी सचिवालय पर एटीआरएस समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रस्तुत तिथि से स्थिति (6 माह) के भीतर एटीआर प्रस्तुत करने की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60
		31.3.2011 से पूर्व संसद में प्रस्तुत सीएंडएजी रिपोर्टों के ऑडिट पेरा संबंधी लंबित एटीएन का शीघ्र निवारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएनएस की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60
		31.3.2011 से पूव्र संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निवारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीआरएस की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60

खंड 3:
सफलता सूचकों का वास्तविक मूल्य

लक्ष्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वि.व. 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वि.व. 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वि.व. 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वि.व. 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वि.व. 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य
1 रसायन क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास के लिए सुविधा प्रदान करना	राष्ट्रीय रसायन नीति तैयार करना	टास्क फोर्स की रिपोर्ट को अंतिम रूप देना	दिनांक	---	---	31.7.2011	---	---
		टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर संबंधित विभागों/मंत्रालय से टिप्पणी प्राप्त करना	दिनांक	---	---	30.11.2011	---	---
		टास्क फोर्स की सिफारिश को क्रियान्वित करने हेतु कार्रवाई के लिए योजना को संबंधित मंत्रालय के साथ बैठक	दिनांक	---	---	31.1.2012	---	---
		राष्ट्रीय रसायन नीति का प्रारूप तैयार करना	दिनांक	---	---	28.2.2012	---	---
	राष्ट्रीय रसायन सुरक्षा एवं प्रबंध संस्थान की कार्रवाई शुरु करना	पाठ तैयार करना	दिनांक	---	---	31.7.2012	---	
		संस्थान की कार्रवाई शुरु करना	दिनांक	---	---	30.11.2011	---	---
	इंडिया केम गुजरात के साथ संगठन	टास्क फोर्स का संविधान	दिनांक	---	---	30.4.2011	---	---

		कंपनियों की भागीदारी	संख्या	---	---	112	---	---
		टास्क फोर्स की बैठक	संख्या	---	---	1	---	---
		मीडिया प्लान तैयार करना	दिनांक	---	---	15.5.2011	---	---
		घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो द्वारा प्रचार	संख्या	---	---	1	---	---
		प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त करना	दिनांक	---	---	---	---	---
	इंडिया केम 2012 का बंदोबस्त	स्टीयरिंग समिति का गठन	दिनांक	---	---	30.4.2011	---	---
		स्टीयरिंग समित की बैठकें	संख्या	---	---	2	---	---
		मीडिया प्लान तैयार करना	दिनांक	---	---	15.5.2011	---	---
		घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो द्वारा प्रचार	संख्या	---	---	2	---	---
	अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष 2011	मीडिया अभियान शुरू करना	दिनांक	---	---	15.9.2011	---	---
		स्वच्छ प्रौद्योगिकी/सतत् विकास पर दो कार्यशालाओं का आयोजन	संख्या	---	---	1	---	---
		मीडिया अभियान का मूल्यांकन	दिनांक	---	---	---	---	---

	डीडीटी के विकल्पों का अध्ययन	अध्ययन शुरू करना	दिनांक	---	---	15.7.2011	---	---
		समीक्षा	संख्या	---	---	1	---	---
	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना	संख्या	---	---	3	---	---
	अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ् पार्टनररोधी एवं संरक्षा शुल्क लगाने जैसे वाणिज्यक मुद्दों को उठाना	त्वरित कार्रवाई एवं अनुवर्ती कार्रवाई		---	---	---	---	---
2 पेट्रो-रसायन क्षेत्र में निवेश व वृद्धि को बढ़ावा देना	पीसीपीआईआर की निगरानी	समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार उड़िसा सरकार द्वारा उड़िसा पीसीपीआईआर की अधिसूचना	दिनांक	---	---	5.3.2012	---	---
		समझौता ज्ञापन पर उड़िसा सरकार द्वारा प्रबंधन बोर्ड का गठन	दिनांक	---	---	5.10.2011	---	---
	तमिलनाडु सरकार के पीसीपीआईआर प्रस्ताव की प्रोसेसिंग	एचपीसी से अनापत्ति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीसीईए के समक्ष नोट प्रस्तुत	दिनों की संख्या	---	---	45	---	---

	पीसीपीआईआर का संवर्द्धन	पीसीपीआईआर के संवर्द्धन के लिए रोड शो	संख्या	---	---	3	---	---
	पीसीपीआईआर नीति की प्रभाविकता को बढ़ावा देना	पीसीपीआईआर की समीक्षा के लिए एचपीसी/सीओएस के लिए नोट तैयार करना	दिनांक	---	---	---	---	---
		पीसीपीआईआर की सहायता हेतु लक्षित वित्त के लिए पीसीपीआईआर के अधीन स्कीम तैयार करना	दिनांक	---	---	---	---	---
	अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ् पार्टनररोधी एवं संरक्षा शुल्क लगाने जैसे वाणिज्यक मुद्दों को उठाना	त्वरित कार्रवाई एवं अनुवर्ती कार्रवाई	दिनों की संख्या	---	---	---	---	---
3 असम गैस क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन	वर्ष की व्यापार योजना की तुलना में उपलब्धि	वर्ष के व्यापार योजना की तुलना में वित्तीय प्रगति	%	54	100	100	100	---
	समय पर वित्त निर्गत करना	ब.अ. के अधीन पूंजी सब्सिडी निर्गत करना	दिनांक	13.6.2008	31.3.2010	15.10.2011	---	---
		सं.अ. के अधीन पूंजी सब्सिडी निर्गत करना	दिनांक	---	---	10.3.2010	---	---
	शिड्यूल के अनुसार	भौतिक प्रगति	संख्या	5	3	10	10	---

	परियोजना की प्रभावी निगरानी	प्रतिवर्द्धित आदेशों की संख्या की तुलना में आदेश देना	%	---	---	90	---	---
4 सिपेट के माध्यम से डाउनस्ट्रीम उद्योग में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना	गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में सिपेट की सेवाओं में विस्तार	गतवर्ष की तुलना में छात्रों की % वृद्धि	%	54	20	8	8	8
		गतवर्ष की तुलना में प्रौद्योगिकी सहयोग सेवा से प्राप्त राजस्व में % वृद्धि	%	46	20	15	15	15
		गतवर्ष की तुलना में एआरएसटीपी एवं एलएआरपीएम के कार्य निष्पादन में % वृद्धि	%	---	20	15	15	---
	सिपेट में मानव संसाधन विकास	संकाय प्रशिक्षण में % वृद्धि	%	32	20	15	15	15
5 भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के लिए पुर्नवास उपायों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी समन्वय	अनुग्रह राशि का संवितरण	अनुग्रह राशि के लिए सभी पात्र व्यक्तियों को सूचना जारी करना	दिनांक	---	---	15.8.2011	---	---
		31.10.2011 तक पात्र पीड़ितों को अनुग्रह राशि का अधि निर्णय व संवितरण	संवितरण मामलों का %	---	---	85	---	---

6 रसायनिक हथियार समझौता(सीडब्ल्यूसी) का अनुपालन	सीडब्ल्यूसी राष्ट्रीय प्राधिकरण की समय पर घोषणा प्रस्तुत करना	संभावित गतिविधियों की वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना	दिनांक	---	---	18.10.1011	18.10.1012	18.10.1013
		पूर्व गतिविधियों की वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना(एडीपीए)	दिनांक	---	---	20.3.2012	20.3.2013	---
	सीडब्ल्यूसी के बारे में जागरूकता सृजन	उद्योग के लिए सीडब्ल्यूसी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना	संख्या	---	---	10	10	10
	सीडब्ल्यूसी के अनुपालन में उद्योग को सहायता प्रदान करना	सीडब्ल्यूसी हेल्पडेस्क् की समीक्षा	संख्या	---	---	5	5	3
	अधिनियम में संशोधन	प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना	दिनांक	---	---	15.9.2011	---	---
	घोषणाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए प्रणाली शुरू करना	प्रणाली शुरू करना	दिनांक	---	---	14.10.2011	---	---
	घोषणा के प्रस्तुतीकरण के साथ संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण	घोषणाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण पर कार्यशाला	संख्या	---	---	1	1	1

	ओपीसीडब्ल्यू/भारतीय रसायन परिषद के साथ रसायनिक सुरक्षा एवं सतत विकास पर कार्यशाला	ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करना	संख्या	---	---	1	---	---
7 राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति का प्रचालन	राष्ट्रीय पेट्रोरसासयन नीति के अधीन पहल करना	राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का चयन	दिनांक	---	15.2.2010	1.3.2012	---	---
		उत्कृष्टता केंद्र के लिए द्वितीय किश्त निर्गत करना	दिनांक	---	15.2.2010	31.1.2012	---	---
		दो प्लास्टिक पार्कों को अंतिम अनुमोदन देना	दिनांक	---	28.2.2010	15.2.2012	---	---
		प्लास्टिक विकास परिषद की बैठक आयोजित करना	संख्या	---	---	1	---	---
		प्रमुख क्षेत्रों में अंतर मंत्रालयी बैठक आयोजित करना	संख्या	---	---	1	---	---
		परीक्षण सुविधाओं में जांच करने के लिए परीक्षण सुविधाओं का सृजन	दिनांक	---	---	---	---	---

		पेट्रोरसायन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक् पर रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए स्टेक धारकों के साथ परिचर्चा	संख्या	---	---	---	---	---
8 हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि(एचआईएल) के कार्य निष्पादन में सुधार	एमओयू के अधीन प्रगति की समीक्षा	समीक्षा की संख्या	संख्या	---	---	3	3	3
	योजना प्रस्तावों एवं उनकी संस्तुति का मूल्यांकन	योजनागत गुणों की बजटीय राशि की समीक्षा	दिनांक	---	---	15.3.2012	15.3.2013	---
	बहुउत्पाद परियोजना संयंत्र के क्रियान्वयन की निगरानी	परियोजना पूरा होने की तिथि	दिनांक	---	---	31.1.2012	---	---
9 हिन्दुस्तान आर्गेनिक रसायन लि0(एचओसीएल) के कार्य निष्पादन की समीक्षा	एमओयू के अधीन प्रगति व कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा	समीक्षा की संख्या	संख्या	---	---	3	3	3
	एचओसीएल में ईआरपी के क्रियान्वयन का पूरा होना	ऑनलाईन ईआरपी की तिथि	दिनांक	---	---	1.1.2012	---	---
10 प्लास्टिक में पर्यावरणीय चिंता को दूर करना	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहन	आगे प्रगति के लिए उद्योग के साथ चर्चा	संख्या	---	---	3	---	---

		जेएनएनयूआरएम के अधीन निधियन के लिए शहरी विकास मंत्रालय/शहरी स्थानीय निकाय के साथ पुनःचक्रण प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजना	संख्या	---	---	2	---	---
		उद्योग के साथ जागरूकता सृजन कार्यक्रम	संख्या	---	---	2	---	---
11 इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी को प्रभावी बनाना	सेवाओं में विस्तार व सुदृढ़ीकरण	2010-11 की तुलना में राजस्व में प्रतिशत वृद्धि	%	150.12	25	20	20	20
* आरएफडी के कार्यकरण को प्रभावी बनाना	अनुमोदन हेतु प्रस्ताव को समय पर सौंपना	ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण	दिनांक	30.11.2009	30.7.2010	08.03.2012	---	---
	परिणामों का समय प्रस्तुति	ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण	दिनांक	29.4.2010	18.10.2012	03.05.2012	---	---
* आंतरिक प्रभाविकता/प्रत्युत्तर/ मंत्रालय/विभाग की सेवाओं में सुधार	विभाग से प्रासंगिक एआरसी-II की सिफारिशों की 3 प्रमुख सिफारिशों की पहचान करना व क्रियान्वयन	विभाग से प्रासंगिक एआरसी-II रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को अंतिम रूप देना	दिनांक	---	---	15.12.2011	---	---

	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों से संबंधित विभागीय गतिविधि को पहचान करना व उन्हें लागू करने के लिए कार्य योजना बनाना	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्र को रोकने के लिए कार्ययोजना के अंतिम रूप देना	दिनांक	---	---	15.12.2011	---	---
	विभाग/मंत्रालय में ई ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना विकसित करना	ई ऑफिस के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	---	---	15.12.2011	---	---
	आईएसओ 9001 प्रमाणपत्र के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना को विकसित करना	आईएसओ 9001 प्रमाणपत्र के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	---	---	15.12.2011	---	---
	सेवोत्तम का क्रियान्वयन	नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखांकन	%	---	---	95	---	---
		शिकायत विवरण तंत्र के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखाकंन	%	---	---	95	---	---

* वित्तीय उत्तरदायित्व रूपरेखा में अनुपालन सुनिश्चित करना	सीएंडएजी के ऑडिट पैरा पर एटीएनएस का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएंडएजी द्वारा प्रस्तुतीकरण की तिथि से स्थिति तिथि(4 माह) के भीतर एटीएनएस की प्रतिशतता	%	---	---	90	---	---
	पीएसी पर पीएएसी सचिवालय पर एटीआरएस समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रस्तुत तिथि से स्थिति (6 माह) के भीतर एटीआर प्रस्तुत करने की प्रतिशतता	%	---	---	90	---	---
	31.3.2011 से पूर्व संसद में प्रस्तुत सीएंडएजी रिपोर्टों के ऑडिट पेरा संबंधी लंबित एटीएन का शीघ्र निवारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएनएस की प्रतिशतता	%	---	---	90	---	---
	31.3.2011 से पूव्र संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निवारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीआरएस की प्रतिशतता	%	---	---	90	---	---

खंड 4:

सफलता सूचकांक का विवरण एवं परिभाषा एवं मापने की प्रस्तावित प्रविधि

1. एचपीसी - उच्च अधिकार प्राप्त समिति
2. सीसीईए - आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
3. एडीपीए - विगत गतिविधियों पर वार्षिक घोषणा
4. पीसीपीआईआर - पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र
5. एमओए - सहमति ज्ञापन
6. सिपेट - सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी
7. एआरएसटीपी - एडवांस रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिमूलेशन
8. एलएआरपीएम - लेबोरेटरी फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलीमेरिक मैटेरियल्स
9. एमओयू - समझौता ज्ञापन

खंड 5:

अन्य विभागों से विशिष्ट कार्यनिष्पादन आवश्यकता

लक्ष्य के संबंध में: रसायन क्षेत्र में विकास व प्रगति प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष के संबंध में मीडिया कैंपेन के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए सफलता सूचकांक आयोग संघों, पर निर्भर है जोकि इसके लिए प्राइवेट मीडिया एजेंसी को इस कार्य में संलग्न किया है, उत्तरदायी हैं ।

लक्ष्य के संबंध में पेट्रो: रसायन क्षेत्र में निवेश में व प्रगति को संवर्द्धित करने पीसीपीआईआर से संबंधित, उड़िसा पीसीपीआईआर की अधिसूचना, प्रबंधन बोर्ड का गठन की गहनता से निगरानी की जाती है और विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जोकि वास्तव में उड़िसा सरकार द्वारा की जानी चाहिए ।

लक्ष्य के संबंध में: असम गैस क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन, सफलता सूचकांकों की प्राप्ति योजना आयोग/व्यय विभाग द्वारा संस्तुत/जारी निधि पर निर्भर करेगा । इसके अतिरिक्त परियोजना में कुछ कमियां पाई गई हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही हैं । ऐसे में वित्तीय लक्ष्यों को इस वर्ष 80 प्राप्त करना उत्कृष्ट माना जाना चाहिए । तथापि, परियोजना के व्यापारिक योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 100 का लक्ष्य उत्कृष्ट माना गया है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विभाग एवं पीएसयू ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लि0 के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है । विभाग द्वारा पूंजी सब्सिडी जारी करना बीसीपीएल के निधियों के उपयोग एवं भौतिक प्रगति पर निर्भर करेगा । परियोजना की भौगोलिक स्थिति, वर्षा एवं अन्य कारकों को देखते हुए परियोजना की प्रगति प्रभावित होगी ।

लक्ष्य के संबंध में: भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के लिए पुर्नवास उपायों को क्रियान्वित करने हेतु प्रभावी समन्वय, अनुग्रह राशि का अधिनिर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि पीड़ित अपने मामलों के अधिनिर्णय हेतु कल्याण आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होते हैं ।

खंड 6:
विभाग/मंत्रालय पर परिणामी प्रभाव

विभाग/मंत्रालय पर परिणामी प्रभाव	निम्नलिखित विभागो/मंत्रालयों के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	वि.व. 09/10	वि.व. 10/11	वि.व. 11/12	वि.व. 12/13	वि.व. 13/14

अनुबन्ध – II

उत्पादवार संस्थापित क्षमता एवं प्रमुख रसायनों का उत्पादन

(००० एमटी)

प्रमुख समूह/उत्पादन	संस्थापित क्षमता			उत्पादन							उत्पादन में वृद्धि%	
	2009-10	2010-11	2011-12	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I : एल्कली केमिकल्स												
सोडा ऐंश	2951.00	2951.00	2951.00	2298.24	2078.06	2005.51	1989.05	2058.34	2298.75	2410.82	11.68	4.88
कास्टिक सोडा	2689.97	2712.07	2712.07	1882.57	1914.22	2050.69	2050.03	2103.75	2178.45	2215.66	3.55	1.71
तरल क्लोरीन	2035.68	2034.68	2034.68	1293.80	1276.71	1387.13	1402.84	1439.92	1503.99	1486.10	4.45	-1.19
योग	7676.66	7697.76	7697.76	5474.61	5268.99	5443.32	5441.92	5602.00	5981.19	6112.58	6.77	2.20
II : अकार्बनिक रसायन												
एल्यूमिनियम फलोराइड	18.16	18.16	18.16	20.08	20.30	19.43	15.07	11.55	9.80	7.30	-15.16	-25.51
कैलशियम कार्बाइड	112.00	112.00	112.00	64.64	91.95	97.41	66.55	22.02	44.70	66.39	102.98	48.52
कार्बन ब्लैक	463.00	603.00	607.00	395.10	422.47	426.96	371.40	419.43	452.44	447.67	7.87	-1.05
पोटाशियम क्लोरेट	3.00	3.00	3.00	3.39	4.13	5.36	5.79	2.60	0.61	0.34	-76.55	-44.26
टिटेनियम डाइऑक्साइड	76.05	76.05	76.05	60.29	62.92	59.15	53.24	61.32	64.01	52.14	4.38	-18.54
लाल फास्फोरस	1.68	1.68	1.68	0.46	0.54	0.54	0.46	0.58	0.48	0.56	-17.24	16.67
योग	673.89	813.89	817.89	543.97	602.31	608.86	512.51	517.51	572.04	574.40	10.54	0.41
III : कार्बनिक रसायन												
एसिटिक एसिड	300.95	300.95	300.95	305.91	287.85	316.01	203.34	146.09	156.48	160.73	7.11	2.72
एसिटिक एनहाइड्राइड	55.32	55.32	55.32	28.63	30.60	29.32	36.14	43.42	43.90	43.84	1.10	-0.14
एसिटोन	43.94	47.82	47.82	36.79	44.22	47.19	46.83	44.25	50.50	42.80	14.12	-15.25
फिनोल	70.95	77.13	77.13	58.21	71.27	74.94	75.75	71.59	79.81	65.92	11.48	-17.40
मेथनोल	473.31	496.41	496.41	386.76	396.23	351.73	237.66	330.83	370.02	359.93	11.85	-2.73
फोरमेल्डीहाइड	389.04	389.04	390.29	249.39	234.82	242.76	231.84	259.67	266.60	263.80	2.67	-1.05
नाइट्रोबेंजीन	36.00	36.00	48.00	23.59	14.73	13.11	13.93	12.34	9.94	13.98	-19.45	40.64
मेलिक एनहाइड्राइड	23.15	23.15	23.15	12.75	12.95	4.25	2.97	2.55	2.80	2.63	9.67	-6.07
पेंटा एरीथ्रीटोल	18.60	18.60	21.70	15.18	13.73	14.95	13.82	11.21	11.72	11.40	4.59	-2.73
एनीलीन	39.10	39.10	60.10	48.11	47.37	44.98	29.67	39.38	30.76	40.09	-21.90	30.33
क्लोरोमिथेंस	83.76	83.76	94.70	93.80	92.19	85.86	96.22	91.12	110.78	98.57	21.58	-11.02
आईसोबूटाइल	3.50	3.50	3.50	2.31	2.52	3.33	3.34	4.07	2.26	1.94	-44.44	-14.16
ओएनसीबी	30.00	30.00	30.00	14.75	12.82	13.81	15.71	15.44	16.69	13.74	8.11	-17.68
पीएनसीबी	30.00	30.00	30.00	22.23	18.46	20.92	25.25	23.57	24.86	22.14	5.49	-10.94
मेक	5.00	5.00	5.00	1.36	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19		
एसिटाल्डीहाइड	238.40	238.40	175.23	159.11	163.87	182.48	108.07	59.25	32.25	65.39	-45.57	102.76
इथानोलेमाइन्स	10.00	10.00	10.00	8.65	7.27	9.86	12.31	7.00	3.45	8.73	-50.72	153.04
इथाइल एसिटेट	118.12	118.12	139.92	70.29	87.67	90.84	93.22	103.96	114.74	167.01	10.37	45.56
ओरथो नाइट्रो टोल्यूईन	8.80	8.80	16.40	7.45	6.80	5.72	8.10	13.80	14.20	11.14	2.91	-21.55
योग	1977.94	2011.10	2025.62	1545.26	1545.44	1552.05	1254.17	1279.55	1341.76	1395.97	4.86	4.04

IV : **पेस्टीसाइडस और इन्सेक्टीसाइडस**												
डीडीटी	6.34	6.34	6.34	4.43	4.50	3.44	3.31	3.61	3.09	3.62	-14.38	17.15
मेलाथियॉना	5.60	5.60	4.00	2.74	4.30	6.30	3.38	1.67	3.05	2.54	82.63	-16.72
पेराथियॉन (मिथाइल)	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
डाइमीथोएट	5.40	5.40	5.40	0.89	1.00	0.89	0.57	0.98	1.17	0.73	19.39	-37.61
डीडीवीपी	3.68	3.68	3.68	3.84	3.89	3.48	3.00	3.87	3.48	4.64	-10.11	33.55
क्वीनलफोस	2.80	2.80	2.80	0.86	0.82	0.52	0.84	0.99	1.01	0.99	2.12	-1.98
मोनोक्रोटोफोस	10.44	12.84	12.84	4.90	4.91	5.12	4.57	5.74	9.93	9.58	73.09	-3.58
फोस्फामिडोन	3.20	3.40	3.20	0.54	0.37	0.71	0.85	1.00	0.29	0.06	-71.53	-79.65
फोरेट	7.10	7.10	7.10	8.53	8.45	6.08	4.67	4.73	5.36	4.61	13.32	-13.99
इथीयोन	4.02	4.02	4.02	2.03	2.60	2.20	1.41	1.50	1.92	1.33	28.00	-30.73
इंडोसल्फान	14.20	14.20	14.20	8.30	9.31	10.54	11.35	9.90	11.49	1.35	16.06	-88.25
फेनवेलीरेट	2.44	2.44	2.44	0.57	0.52	0.72	0.49	0.53	0.80	0.55	50.09	-31.25
सिपरमेथरिन	7.13	7.13	10.59	6.48	5.06	4.66	4.03	6.23	4.95	8.79	-20.48	77.62
एनिलोफोस	0.00	0.00	0.00	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
एसिफेट	9.82	10.96	10.96	9.46	9.27	10.73	10.25	11.55	14.28	15.97	23.64	11.83
क्लोरपाइरीफोस	11.70	11.70	12.30	6.06	6.17	6.55	6.55	6.12	6.41	5.11	4.77	-20.28
फोसालोन	0.00	0.00	0.00	0.27	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
मेटासिसटोक्स	0.00	0.00	0.00	0.32	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
फेन्थियोन	0.00	0.00	0.00	0.33	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ट्रियाजोफोस	1.50	1.50	1.50	2.85	1.84	1.84	2.06	0.88	1.58	0.72	79.14	-54.43
लिन्डेन	0.33	0.33	0.33	0.18	0.25	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
टेमीफोस	0.50	0.50	0.50	0.03	0.10	0.23	0.27	0.08	0.12	0.13	38.10	12.93
डेल्टामिथरिन	0.30	0.30	0.28	0.31	0.34	0.26	0.03	0.02	0.52	0.33	2958.82	-36.54
एल्फामिथरिन	1.42	1.42	1.42	0.25	0.17	0.21	0.02	0.00	0.31	0.32		4.26
केप्टेन और केपटाफोल	1.80	1.80	1.80	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00	0.72	0.92		27.78
जेराम (थियो बारबामेट)	0.45	0.45	0.45	0.11	0.24	0.19	0.07	0.00	0.49	0.53		8.16
कारबिनडाजिम(बेविस्टिन)	1.20	1.20	1.20	0.53	0.14	0.07	0.20	0.38	0.59	0.43	54.19	-26.66
केलीक्सिन	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
मेनकोजेब	42.76	42.76	42.76	18.86	22.88	27.12	35.34	31.49	26.05	43.71	-17.27	67.79
कॉपर आक्सीचिलोराइड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2, 4 डी	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.27	0.21	0.00	0.00	0.00		
बूटाक्लोर	0.50	0.50	0.50	0.32	0.18	0.03	0.12	0.24	0.29	0.11	21.34	-62.07
आइसोप्रोटयूरोन	6.25	6.25	6.25	4.30	3.15	2.96	2.98	2.91	3.68	2.53	26.46	-31.30
ग्लाइफोसेट	7.60	7.60	11.02	1.52	2.89	2.58	4.34	4.66	4.86	5.24	4.29	7.82
डियूरोन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.13	0.20	0.30	58.73	50.00
एट्राजिन	0.50	0.50	0.50	0.00	0.09	0.22	0.26	0.26	0.24	0.66	-8.75	175.00
पुलूक्लोरालिन	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
जिंक फोसफाइड	1.10	1.10	1.10	0.70	1.11	0.95	0.91	0.92	0.86	0.89	-7.07	4.21
एल्यूमिनियम फोसफाइड	3.90	3.90	3.90	1.98	2.08	2.53	2.58	3.25	2.82	3.14	-13.23	11.35

डाइकोफोल	0.15	0.15	0.15	0.04	0.05	0.09	0.09	0.02	0.04	0.08	100.00	100.00
योग	164.14	167.87	173.53	93.68	98.01	102.12	104.75	103.65	110.58	119.91	6.68	8.44
V : **रंजक और रंजक पदार्थ**												
एजो डाईज	9.90	9.90	9.90	5.20	4.70	6.40	3.90	3.80	4.10	3.50	7.89	-14.63
एसिड डाइरेक्ट डाईज	24.40	25.60	25.60	0.11	3.00	7.70	8.10	11.90	15.70	13.30	31.93	-15.29
डिस्पर्स डाईज	36.60	36.60	54.60	16.70	20.80	21.80	23.30	25.10	28.60	29.30	13.94	2.45
फास्ट कलर बेसेज	0.50	0.50	0.50	0.00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.09	0.04	75.51	-56.98
इंग्रेन डाईज	1.96	1.96	1.61	0.42	0.57	1.20	1.09	0.93	0.70	0.98	-24.41	40.00
आईल सालयूबल (सोलवेंट डाईज)	3.60	3.60	3.60	0.70	0.75	1.20	2.20	2.25	2.02	2.60	-10.31	28.84
आप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट	15.10	15.10	15.10	2.70	2.99	4.70	5.50	8.40	10.40	10.20	23.81	-1.92
आर्गेनिक पिंगमेंट कलर्स	12.76	12.76	22.59	13.57	16.45	25.66	13.97	18.24	21.83	20.24	19.70	-7.28
पिंगमेंट इमलसन	4.81	4.81	4.81	2.22	1.82	1.90	3.39	4.79	5.63	4.96	17.56	-11.90
रिएकटिव डाइज	74.30	102.50	102.50	22.60	31.10	40.50	40.58	62.53	64.66	76.71	3.41	18.64
सल्फर डाइज (सल्फर ब्लैक)	3.00	3.00	3.00	3.00	5.72	4.24	5.64	8.69	8.60	7.02	-1.05	-18.37
वेट डाईज	2.98	2.98	2.98	1.60	1.49	1.60	1.46	1.70	1.94	1.69	14.12	-12.89
सलुविलिज्ड वेट डाईज	0.13	0.13	0.13	0.02	0.02	0.02	0.20	0.29	0.04	0.36	-87.63	902.82
नेफथोलस	0.90	0.90	0.90	0.44	0.32	0.14	0.15	0.08	0.07	0.04	-9.09	-38.57
योग	190.94	220.34	247.82	69.28	89.75	117.09	109.51	148.74	164.37	170.94	10.51	4.00
कुल प्रमुख रसायन (I से V)	10683.57	10910.95	10962.61	7726.80	7604.50	7823.44	7422.86	7651.45	8169.94	8373.79	6.78	2.50

@ Coverage of enterprises has been enlarged and production has been revised accordingly since 2005-06

अनुबन्ध – III

उत्पादवार संस्थापित क्षमता एवं प्रमुख पेट्रो–रसायनों का उत्पादन

(In thousand MT)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन							उत्पादन में वृद्धि %	
	2009-10	2010-11	2011-12	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A : **मूल प्रमुख रसायन**												
I : **सिन्थेटिक फाइबर्स / यार्न**												
1. पोलिस्टर फिलामेंट यार्न (पीएफवाई) ($)	1548	1592	1791	1015	1194	1350	1262	1345	1496	1490	11.23	-0.40
2. नॉयलन फिलामेंट यार्न (एनएफवाई) ($$)	20	20	20	40	32	28	28	30	33	30	10.00	-9.09
3. नॉयलन औद्योगिक यार्न (एनआईवाई) ($$)	48	48	48	55	72	84	69	88	86	88	-2.27	2.33
4. पोलिप्रोपाइलीन फिलामेंट यार्न (पीपीएफवाई) ($$)	11	8	8	9	10	10	9	9	6	7	-33.33	16.67
उप योग यार्न(1+2+3+4)	1627	1668	1867	1119	1308	1472	1368	1472	1621	1615	10.12	-0.37
5. एक्रीलिक फाइबर (ड्राई स्पन सहित) (एएफ)	93	95	95	114	107	85	78	91	76	76	-16.48	0.00
6. पालीयस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ)	1174	1174	1174	623	785	919	843	980	1037	953	5.82	-8.10
7. पॉलीप्राइलीन स्टेपल फाइबर (पीपीएसएफ)	4	4	5	3	4	3	3	3	4	4	33.33	0.00
8. पालीयस्टर स्टेपल फाइबरफिल (पीएसएफएफ)	72	72	72	47	47	45	51	54	53	49	-1.85	-7.55
कुल सिंथेटिक फाइबर / यार्न	2970	3013	3213	1906	2251	2524	2343	2600	2791	2697	7.35	-3.37
II : **पॉलीमर्स**												
1. लिनियर लो डेन्सिटी पॉलीइथालीन (एलएलडीपी)	No separate Capacity			689	772	837	817	683	897	1033	31.33	15.16
2. हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई)	No separate Capacity			1035	958	974	942	856	887	1119	3.62	26.16
एलएलडीपीई / एचडीपीई(संयुक्त) ($$$)	2085	2735	2735	1724	1730	1811	1759	1539	1784	2152	15.92	20.63
3. लॉ डेनसिटी पॉलीइथाइलीन (एलडीपीई)	160	160	160	201	195	198	191	193	179	194	-7.25	8.38
4. पॉलीस्ट्रीन (पीएस)	462	462	462	311	285	274	240	270	296	288	9.63	-2.70
5. पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी)	2076	2676	2676	1541	2001	1978	1771	1617	1684	2209	4.14	31.18
6. पॉली विनायल क्लोराइड (पीवीसी)	1279	1279	1279	953	926	998	1051	1110	1278	1296	15.14	1.41
7. विस्तार योग्य पॉलीस्ट्रीन (ईएक्स–पीएस)	68	94	138	39	46	44	49	63	71	72	12.70	1.41
कुल पॉलीमर	6130	7406	7450	4769	5183	5303	5061	4792	5292	6211	10.43	17.37

III : **सिंथेटिक रबर**												
1. स्ट्रेरीन बुटाडीन रबर (एसबीआर)	14	14	14	15	13	17	13	19	12	9	-36.84	-25.00
2. पॉली बुटाडीन रबर (पीबीआर)	74	74	74	67	72	74	72	73	76	79	4.11	3.95
3. निट्रील बुटाडीन रबर (एनबीआर)	25	25	25	9	10	13	11	13	6	0	-53.85	-100.00
कुल सिंथेटिक रबर	113	113	113	91	95	104	96	105	94	88	-10.48	-6.38
IV : **सिंथेटिक डिटरजेंट मध्यवर्ती**												
1. लीनियर अल्काइल बेंजीन (एलएबी)	497	497	532	468	460	471	434	464	475	454	2.37	-4.42
2. इथीलीन ऑक्साइड (ईओ)	124	124	124	88	96	114	117	154	164	169	6.49	3.05
कुल सिंथेटिक डिटरजेंट मध्यवर्ती	621	621	656	556	556	585	551	618	639	623	3.40	-2.50
V : **परफोरमेंस प्लास्टिक**												
1. एबीएस रेजीन	86	107	128	76	74	78	68	84	90	89	7.14	-1.11
2. नायलोन-6 एवं नायलोन 66	16	16	16	13	14	14	12	13	17	14	30.77	-17.65
3. पोलीमर मेथाक्रायलेट (पीएमएमए)	4	4	4	2	3	3	2	3	3	3	0.00	0.00
4. स्ट्रीन एक्रोलॉनिटिल (एसएएन)	96	96	96	36	41	61	58	72	82	77	13.89	-6.10
योग परफार्मेस प्लास्टिक	202	223	244	127	132	156	140	172	192	183	11.63	-4.69
योग प्रमुख रसायन												
(I+II+III+IV+V)	10036	11376	11676	7449	8217	8672	8191	8287	9008	9802	721.00	794.00
खः मध्यवर्ती												
I : **फाइबर मध्यवर्ती**												
1. एक्रिलोनिट्रील (एसीएन)	41	41	41	33	37	39	30	39	38	38	-2.56	0.00
2. केप्रोलेक्टम	120	120	120	117	121	86	84	123	123	118	0.00	-4.07
3. मोनो इथाइल ग्लाइकोल (एमईजी)	740	1040	1040	881	872	923	783	738	746	997	1.08	33.65
4. प्यूरीफाइड टेराफ्थालीक एसिड (पीटीए)	3873	3753	3753	1734	2379	2059	2154	2985	3191	3308	6.90	3.67
कुल फाइबर मध्यवर्ती	4774	4954	4954	2765	3409	3107	3051	3885	4098	4461	5.48	8.86
II : **बिल्डिंग ब्लाक्स**												
ओलेफिन												
1. इथाइलीन	2983	3783	3783	2719	2683	2810	2639	2515	2665	3320	5.96	24.58
2. प्रोपायलीन	2381	2886	2886	1745	2089	2157	1887	1859	1930	2528	3.82	30.98
3. बुटाडायन	295	295	295	207	223	244	214	205	242	250	18.05	3.31
कुल ओलेफिन	5659	6964	6964	4671	4995	5211	4740	4579	4837	6098	5.63	26.07

एरोमेटिक्स											
1. बेंजीन	1149	1279	1282	686	886	867	880	823	945	1002	14.82	6.03
2. टोलीन	261	258	258	159	147	142	139	137	128	132	-6.57	3.13
3. मिश्रित जायलीन	165	165	165	56	58	74	78	55	44	51	-20.00	15.91
4. ओर्थो जायलीन	420	420	420	242	431	269	224	358	400	390	11.73	-2.50
5. पायराक्सीलीन	2218	2218	2218	1394	1925	2137	2155	2223	2137	2394	-3.87	12.03
योग एरोमेटिक्स	4213	4340	4343	2537	3447	3489	3476	3596	3654	3969	1.61	8.62
ग: अन्य पेट्रो अधारित रसायन												
1. बुटानोल	**	**	**	15	14	14	11	8	18	22	125.00	22.22
2. सीफोर रिफाईनेट	225	262	262	105	76	77	55	65	71	209	9.23	194.37
3. डायथाइलिन ग्लायकोल	50	71	72	58	60	68	58	69	73	99	5.80	35.62
4. डाइसोटोन अल्कोहल	9	9	9	9	9	9	8	9	4	5	-55.56	25.00
5. इथाइल डाइक्लोराइड (उप उत्पाद)	593	593	593	263	220	267	277	445	454	435	2.02	-4.19
6. ii इथाइल हेक्सोनॉल**	25	25	25	24	24	27	23	16	29	49	81.25	68.97
7. इपीक्लोरोडाइन	10	10	10	11	10	9	8	7	8	9	14.29	12.50
8. आइसोब्यूटोनॉल	**	**	**	4	4	3	3	3	3	2	0.00	-33.33
9. आईसोप्रोपोनॉल (आईपीए)	70	70	70	28	21	49	51	62	67	71	8.06	5.97
10. मिथाइल मेथाक्रायलेट (एमएमए)	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	0.00	-20.00
11. पीथेलिक अनहाइड्रेड (पीएएन)	284	284	309	192	223	244	207	232	253	250	9.05	-1.19
12. प्रोपाइलिन ऑक्साइड (पीओ)	27	27	27	27	28	28	29	32	32	35	0.00	9.38
13. प्रोपाइलिन ग्लायकोल (पीजी)	15	15	15	16	16	17	16	19	17	19	-10.53	11.76
14. पॉलीविनाइल एसिटेट रेसिन	0	0	0	12	10	11	10	4	2	0	-50.00	-100.00
15. विनायल एसीटेड मोनोमर (वीएएम)	0	0	0	26	24	23	24	0	0	0	0.00	0.00
16. विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) (उप उत्पाद)	541	541	541	308	280	289	303	674	672	689	-0.30	2.53

($) : सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के रूप में ब्रॉड बेंडिंग के अधीन पीएफवाई, एनएफवाई, एनआईवाई और पीपीएफवाई का उत्पादन करने वाली सभी इकाइयों की क्षमता शामिल है।

($$) : एनएफवाई, एनआईवाई और पीपीएफवाई का उत्पादन करने वाली सभी इकाइयों की स्वतंत्र क्षमता।

चूंकी इन उत्पादों की क्षमता को भी सिंथेटिक, फिलामेंट यार्न में क्षमता में शामिल किया गया है और क्षमता के उपयोग की गणना नही की गई है।

($$$) : एलएलडीपीई एवं एचडीपीई की सम्मिलित उत्पादन क्षमता और क्षमता उपयोग की गणना नहीं की जा सकती। तथापि उत्पादन स्वतंत्र है।

(** : 2-ईएच के अधीन 2-ईएच, यूटोनॉल एवं आइसो यूटोनॉल की संयुक्त क्षमता।

अनुबन्ध – IV

संगठन संरचना